मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

सोमवार, दिनांक 02 मार्च, 2015

तारांकित प्रश्नोत्तर

<u>जप्त वाहनों की नीलामी</u>

1. **(*क्र. 454) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र परिसरों में विगत 05 वर्षों में चोरी, दुर्घटनाग्रस्त व अन्य कारणों से जप्त वाहनों की संख्या बतायें। (ख) क्या विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत जप्त वाहनों की निश्चित अवधि में प्रकरणों के निराकरण होने पर नीलामी की जाती है? (ग) यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों में कब-कब नियमानुसार इन वाहनों की नीलामी की गई व शेष वाहनों की नीलामी हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) जी हाँ मान. न्यायालय के निर्देश एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>चयन प्रक्रिया में मानदण्डों का अनुपालन</u>

2. **(*क्र. 2012) श्री अशोक रोहाणी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर (वेटनरी वि.वि.) में विज्ञापन क्रमांक 989 एवं 990 दिनांक 16.7.2013 हेतु बनाई गई भर्ती चयन समिति राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमोदित, राजपत्र में प्रकाशित, शेड्यूल द्वितीय दिनांक 5.2.2011 के अनुरूप है? (ख) इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को अभी तक कुल कितनी राशि किस मद से अदा की गई है? (ग) इन चयनित उम्मीदवारों को जो राशि वेतन के रूप में दी जा रही है, वह राज्य शासन के द्वारा भेजी जा रही ग्राँट में से दी जा रही है अथवा विश्वविद्यालय अपने स्तर पर दे रहा है? (घ) क्या भर्ती चयन समिति द्वारा राजपत्र में प्रकाशित चयन सूची का अनुपालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। अनुरूप थी। (ख) इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को वेतन भत्तों का भुगतान राशि रू. 53,36,572 किया गया हैं। (ग) राज्य शासन से प्राप्त ग्राँट से वेतन भत्ते भुगतान किये जा रहे हैं। (घ) अनुपालन किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पोषण आहार, संबंधित समूहों को हटाया जाना

3. **(*क्र. 1762) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या छतरपुर जिलान्तर्गत राजनगर एवं खजुराहों में संचालित समूहों को कार्य दिलवाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा महिला बाल विकास विभाग को पत्र दिया गया? (ख) यदि हाँ, तो महिला बाल विकास विभाग छतरपुर के अधिकारी द्वारा अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण रहे? (ग) राजनगर नगर पंचायत एवं खजुराहों नगर पंचायत क्षेत्र के तहत कितने समूहों को किन कारण से हटाया गया? इसकी जाँच किस आधार पर की गई? नये समूहों को किस नियम के तहत कार्य दिया गया?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। राजनगर नगर पंचायत के समूहों के संबंध में माननीय विधायक महोदय द्वारा पत्र दिया गया था। खजुराहों नगर पंचायत के सबंध में कोई पत्र नहीं दिया गया। (ख) राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों में किसी जन प्रतिनिधि की अनुशंसा के आधार पर किसी संस्था को पोषण आहार वितरण का कार्य दिए जाने का प्रावधान नहीं है। नगर पंचायत खजुराहों का प्रकरण क्र. डब्ल्यू.पी.नं. 11629/2014 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एवं राजनगर नगर पंचायत का प्रकरण न्यायालय कलेक्टर छतरपुर में विचाराधीन होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई। (ग) नगर पंचायत राजनगर में 01 लक्ष्मी स्व सहायता समूह एवं नगर पंचायत खजुराहों में क्रमश: 04 समूह/समिति को वितरण में अनियमितता व लापरवाही बरते जाने के कारण हटाया गया - 1. प्राथमिक वानिकी सहकारी समिति खर्राही, जटकरा, 2. चंदेल स्व सहायता समूह खजुराहों, 3. सरोजनी स्व सहायता समूह खजुराहों, 4. पार्वती स्व सहायता खजुराहों को पोषण आहार, संबंधित समूहों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। समूहों के द्वारा वितरण में कोई सुधार न किये जाने व कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव नहीं दिये जाने के कारण पृथक किया गया। विभागीय आदेश क्र. एफ 3-2/09/50-2/दिनांक 29/8/2009 के तहत नियमानुसार नवीन समूहों का चयन किया गया विभागीय परिपत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

बसाहट क्षेत्रों को आवासीय क्षेत्र घोषित किया जाना

4. **(*क्र. 254) श्री भारत सिंह कुशवाह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर जिले की ग्राम पंचायत बीरपुर, गिरवाई, अजयपुर, पुरानी छावनी के

द्वारा बसाहट क्षेत्रों को आवासीय क्षेत्र घोषित करने के लिये पंचायत के ठहराव प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय व शासन को प्रस्तुत किये थे? (ख) उक्त ग्राम पंचायत बीटफर द्वारा प्रस्ताव क्र. 15 दिनांक 20.6.14 के सर्वे क्र. 68, 79, 80, 82, 83, 91, 92, 94, 95, 96, 181, 174, 176, 158, ग्राम पंचायत गिरवाई द्वारा प्रस्ताव क्र. 14 दिनांक 20.6.14 के सर्वे क्रं. 1591, 1602, 1603, 1604 ग्राम पंचायत अजयपुर द्वारा प्रस्ताव क्रं. 16 दिनांक 20.6.14 से सर्वे क्र. 454, 654, 722, 550, 553, 547 प्रस्तुत किये थे? (ग) उक्त पंचायतों के ठहराव प्रस्ताव अनुसार एवं सर्वे अनुसार आवासीय क्षेत्र घोषित करने के संबंध में आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी हाँ। ग्राम अजयपुर के सर्वे क्र. 722 रकबा 3 बीघा स्वीकृत किया गया है।

राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण

5. **(*क्र. 2698) पं. रमेश दुबे :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राजस्व प्रकरणों को पंजीबद्ध करने की क्या कोई प्रक्रिया का नियमों अथवा निर्देशों में प्रावधान है और ऐसे प्रकरणों का निराकरण करने के लिए क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है? यदि हाँ, तो नियम व निर्देशों की प्रति सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में छिन्दवाड़ा जिले की तहसील विछुवा में दिसम्बर 2014 से प्रश्न दिनांक तक तथा जिला बालाघाट की तहसील किरनापुर, कटंगी एवं बिरसा में जनवरी 2012 से अक्टूबर 2014 तक भू-राजस्व संहिता के अधीन कुल कितने आवेदन पत्र किन-किन धाराओं के तहत प्रस्तुत किये गये, इन आवेदनों पर प्रकरण किस तिथि को प्रारंभ किया गया, इन प्रारंभ प्रकरणों को किन-किन तिथियों में पंजीबद्ध किया गया तथा उनके निराकरण की तिथि क्या थी? मदवार, राजस्व प्रकरण पंजी की प्रति सहित प्रकरणवार जानकारी दें। (ग) क्या उक्त तहसीलों में उक्त अवधि के दौरान प्रकरणों को प्रारंभ तिथि से दर्ज न करते हुए निराकरण के समय पिछली तिथियों में दर्ज कराया गया है तथा निर्धारित तिथियों व समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने के कारण पक्षकारों को उनके प्रकरणों की अपडेट स्टेटस ज्ञात करने में कठिनाई होती है? (घ) यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त तहसीलों में उक्त अवधि के दौरान पदस्थ तहसीलदारों को उसके लिए दोषी मानता है? क्या शासन प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में उक्त स्थिति की जाँच कराकर दोषी तहसीलदारों के विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ग्रामांचल में पेयजल की समस्या

6. **(*क्र. 392) श्री सचिन यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पीपलगोन, खलमलाय, बाडी, खामखेड़ा, मुलठान, हीरापुर, भटयाण बुजुर्ग, भटयाण खुर्द, सांगवी, झिरन्या में ग्रामवासियों को पीने के पानी के लिए पेयजल की व्यवस्था नर्मदा या अम्बकनाला से सामूहिक नल जल योजनान्तर्गत स्वीकृति दी गई है? यदि हाँ, तो बतायें। यदि नहीं, तो कब तक दी जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित ग्रामों में ग्रामीणों को पीने के पानी हेतु नल जल योजनान्तर्गत कार्य आज तक नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? (ग) उक्त ग्रामों में ग्रामीणों की पीने के पानी की जटिल समस्या को कब तक दूर कर नल जल योजनान्तर्गत कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो कारण दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) मात्र एक गांव झिरन्या को छोडकर शेष ग्रामों में नलजल/स्पाट्सोर्स योजनाएं पूर्व से ही संचालित है। झिरन्या गांव में स्थापित हैण्डपंपों से पर्याप्त पेयजल व्यवस्था है। (ग) उक्त ग्रामों में पीने के पानी की जटिल समस्या नहीं है।

भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु नवीन भवनों का निर्माण

7. **(*क्र. 2708) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन द्वारा नवीन आंगनवाड़ियां स्थापित करने के क्या प्रावधान हैं? क्या ऐसे ग्रामों में जहाँ की जनसंख्या एक हजार या उससे अधिक है अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित किये जाने की कोई योजना है? (ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार ऐसे कितने ग्राम हैं, जहाँ स्थापित आंगनवाड़ियों में क्षमता से अधिक बच्चे दर्ज हैं तथा निर्धारित मानक से अधिक दूरी से चलकर बच्चों को आना पड़ता है? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या तय मानक से अधिक दूरी एवं आबादी पर नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) उपरोक्तानुसार विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में कितने भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्र हैं? यदि भवन है तो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके भवनों में आंगनवाड़ी लगना बच्चों के लिये जोखिमपूर्ण तो नहीं है? क्या ऐसे भवनविहीन केन्द्रों एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों के स्थान पर सर्वसुविधायुक्त नवीन भवन स्वीकृत किये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) भारत शासन द्वारा आंगनवाड़ी स्वीकृत करने हेतु जनसंख्या के मापदण्ड निर्धारित किए गये है :- आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु-. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु - 400-800 (एक केन्द्र) 800-1600 (दो केन्द्र) 1600-2400 (तीन केन्द्र) (इसके पश्चात प्रति 800 की जनसंख्या पर एक केन्द्र 2. आदिवासी क्षेत्र हेतु :- 300-800 (एक केन्द्र) -जी हाँ ऐसे ग्रामों हेतु आवश्यकतानुसार नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के

प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए जाते हैं, स्वीकृति प्राप्ति पश्चात अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित किए जाते है। (ख) प्रश्नांश 'क' में दिए गए मापदण्डों के अनुसार अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता वाले ग्रामों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।** इसके अतिरिक्त अन्य कोई मानक निर्धारित नहीं होने से शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक हैं। (ग) निर्धारित जनसंख्या मापदंडों की पूर्ति होने पर नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव भारत शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत शासन द्वारा दी जाती है, अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (घ) ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में 276 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।** वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण भवन में कोई भी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं होने से शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

लायसेंस रद्द होने पर निजी सुरक्षा एजेंसियों के विरूद्ध कार्यवाही

8. **(*क्र. 595) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्टेट इण्डस्ट्रियल सिक्युरिटी एवं प्रायवेट सिक्युरिटी के द्वारा 01.01.2014 से 31 जनवरी 2015 तक के दौरान अनियमिततायें पाये जाने एवं नियमों के विपरीत कार्य करने पर कई निजी सुरक्षा एजेन्सियों के लायसेंस रद्द किये हैं? अगर हाँ तो जारी आदेशों की एक-एक प्रति दें? (ख) क्या म.प्र. में कार्यरत स्काईलार्क सी, निशा सिक्युरिटी मुम्बई एवं एस.आई.एस सिक्युरिटी नई दिल्ली के प्रायवेट सिक्युरिटी लायसेंस ए.डी.जी. कार्यालय ने निरस्त कर दिये हैं? यदि हाँ, तो उक्त कंपनियां प्रश्नतिथि तक अपने सिक्युरिटी गार्डस को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर किन नियमों के तहत तैनात कर कार्य करवा रही हैं? उक्त कंपनियों के विरूद्ध क्या प्रश्नतिथि तक प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है? यदि की गई है, तो एफ.आई.आर. की एक-एक कॉपी दें। (ग) क्या प्रायवेट सिक्युरिटी एक्ट 2005 एवं 2012 के अंतर्गत निशा सिक्युरिटी, एस.आई.एस., ब्ल्यु कैप सिक्युरिटी (जो वर्तमान में रिलायंस जीओ नेटवर्क फोर जी संपूर्ण म.प्र. में), ग्रुप फोर, गामा सिक्युरिटी, बी.आई.एस.एस. सिक्युरिटी मुंबई, स्काईलार्क, भारत सिक्युरिटी सर्विसेस भोपाल के द्वारा अपने यहाँ पदस्थ सुरक्षा गार्डों को बिना ट्रेनिंग दिलाये औद्योगिक एवं शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में तैनात किया गया है? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित कंपनियों के विरूद्ध ए.डी.जी. कार्यालय क्या करेगा? कंपनीवार/बिन्दुवार/प्रकरणवार जानकारी दें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। आदेश की प्रतियाँ **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** (ख) जी हाँ। उक्त का कारोबार बंद एवं प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** (ग) ऐसी कोई सूचना नहीं है। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित निशा सिक्युरिटी एस.आई.एस. स्काईलार्क एजेंसियों के लायसेंस

नियंत्रक अधिकारी द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं। अन्य के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

9. **(*क्र. 193) श्री राम लल्लू वैश्य :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली में कितने पशु चिकित्सालय/औषधालय स्वीकृत हैं और इनमें क्या डॉक्टरों की नियमित पदस्थापना की गई है तथा पशु चिकित्सालय/औषधालय भवनों का निर्माण पर्याप्त है? यदि नहीं, तो शासन कब तक इसकी पूर्ति करेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में रिक्त पशु चिकित्सालय/औषधालयों में रिक्त चिकित्सकों के पद की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली में 2 पशु चिकित्सालय एवं 1 पशु औषधालय स्वीकृत है, जी हाँ पशु चिकित्सालयों में सिविल सर्जन एवं पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पदस्थ हैं। पशु औषधालय चरगोड़ा में 1 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का पद रिक्त है। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग द्वारा समय-समय पर नियुक्तियाँ की जाती हैं, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अनुसूचित जाति एवं आदिवासी बसाहट को पट्टे का प्रदाय

10. **(*क्र. 2340) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के हनुमना तहसील अन्तर्गत ग्राम लोढ़ी (बनडोगवा) जड़कुड़, पिडरिया, बगैहा, बेलहा, पटेहरा, हटवा निर्भयनाथ एवं मऊगंज तहसील अन्तर्गत ग्राम उमरीमाधव, भाठी सेंगर, बरयाँ कला, मुदरिया चौबान, देवरी शिवमंगल सिहं, बरहटा, पकरा एवं बहेरूडाबर में अनुसूचित जाति एवं आदिवासी बसाहट है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या इन्हें इनके बसाहट का पट्टा प्रदाय किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कितने लोगों को कब तक पट्टा प्रदाय कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) ऐसे अनुसूचित जाति एवं आदिवासी परिवारों को जो आबादी मद की भूमि पर बसे हैं, उन्हें पट्टा प्रदान किया जा चुका है। निजी भूमि पर बसे परिवारों को वासस्थान दखलकार अधिनियम के अन्तर्गत पात्र पाये गये परिवारों को पट्टा प्रदान किया जा चुका है। ऐसे परिवार जो शासकीय भूमि पहाड़, चट्टान, कब्रिस्तान एवं निस्तार हेतु सुरक्षित भूमि पर अतिक्रमण कर बसे हैं, को विधिक प्रावधान नहीं होने से पट्टा प्रदाय नहीं किया जा सकता है।

दै.वे.भो. श्रमिकों/कर्मचारियों का नियमितीकरण/वेतन भुगतान

11. **(*क्र. 1372) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जिले के शासकीय संजय निकुंज असरार रोपणी में वर्ष 1983-84 से अब तक कितने वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत थे? क्या 1988 के पूर्व के दै.वे.भो. श्रमिकों को मासिक मस्टर रोल से मजदूरी भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) यदि हाँ, तो क्या कार्यरत दै.वे.भो. श्रमिकों को माह मार्च 2005 तक मासिक मस्टर रोल से भुगतान किया गया है? (ग) क्या सहायक संचालक, उद्यान सतना को पत्र दि. 6.2.96 से 31.12.98 के पूर्व के श्रमिकों को जिलाध्यक्ष द्वारा अनुमानित अकुशल श्रमिकों की दर पर मजदूरी भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे? यदि हाँ, तो ऐसे कितने श्रमिकों को बढ़ी हुई अकुशल श्रमिकों की दर का भुगतान किया जा रहा है? (घ) 1988 के पूर्व के दै.वे.भो. श्रमिकों/कर्मचारियों को नियमित किये जाने के आदेश शासन द्वारा दिये गये हैं? यदि हाँ, तो सतना जिले में क्या कार्यवाही की गई थी? यदि नहीं, तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (घ) जानकारी विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3847 के उत्तर में दी गई है, जिसकी प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

परिशिष्ट – "एक"

पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में कार्यवाही

12. **(*क्र. 1203) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में संचालित सभी थानों में जनवरी, 2012 से वर्तमान तक हत्या/प्रयास, बलात्कार, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, महिला उत्पीड़न, अपहरण, गुमशुदगी व लूट के कितने-कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये, जानकारी थाना/वर्षवार बतावें? (ख) ढोढर बैंक डकैती सहित उक्त घटनाओं में से किन-किन घटनाओं के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है? शेष घटनाओं के आरोपियों को गिरफ्तार न करने का कारण व इस हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी भी थाना/वर्षवार बतावें? (ग) क्या जिले में पुलिस की निष्क्रियता के कारण गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष लूट व अपहरण के मामलों में पाँच गुना वृद्धि हुई? यदि हाँ, तो इस हेतु उत्तरदायियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित घटनाओं के शेष आरोपियों को खोजकर पकड़ने में पुलिस के अब तक असफल रहने के क्या कारण हैं, कब तक पकड़ लिये जावेंगे? समय-सीमा बतावें।

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** (ख) थाना ढोढर में बैंक डकैती नहीं बल्कि वर्ष 2014 में बैंक में नकबजनी की घटना घटित हुई है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।** (ग) जी नहीं। नाबालिग बालक/बालिकाओं की गुमशुदगी के प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के निर्देशानुसार अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किये जाने से अपहरण शीर्ष में वृद्धि परिलक्षित हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) आरोपियों की गिरफ्तारी उनके फरार होने के कारण नहीं की जा सकी है। गिरफ्तारी हेतु विधि अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारी की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

वर्षों से नजूल जमीन पर काबिज लोगों को पट्‍टे

13. **(*क्र. 279) श्री यादवेन्द्र सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद नागौद एवं उचेहरा में कई लोग हजारों वर्षों से नजूल की जमीन में मकान बनाकर रह रहे हैं, किंतु नजूल द्वारा पट्‍टे नहीं दिये गये? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) इनको कब तक पट्‍टे दे दिये जायेंगे? क्या यह शासन की लापरवाही नहीं है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पेयजल भण्डारण हेतु टंकियों का निर्माण

14. **(*क्र. 2683) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा मझौली जल आवर्धन योजना अन्तर्गत क्रमश: 15.98 एवं 9.60 लाख रूपये की लागत से पानी भंडारण हेतु टंकियों का निर्माण कब किस निर्माण एजेंसी से किस अधिकारी के नियंत्रण में कराया गया? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जल आवर्धन योजना में कितनी राशि जल स्त्रोत खनन हेतु मंजूर की गई एवं कितनी राशि का उपयोग किया गया? विभाग द्वारा नल जल योजना हेतु पानी की टंकी निर्माण के क्या दिशा निर्देश हैं? क्या विभाग द्वारा भरपूर जल स्त्रोत प्राप्ति के पश्चात पेयजल की टंकी का निर्माण किया जाता है, या पानी की टंकी के निर्माण पश्चात जल स्त्रोत की तलाश की जाती है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता के परि. अतां. प्रश्न क्रमांक 1008 दिनांक 10 सितम्बर 2014 के प्रश्नांश (घ) के उत्तर में नलकूपों की असफलता के कारण निर्माण पश्चात उल्लेखित पानी की टंकियों का अभी तक न भरा जाना बतलाया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर में यदि हाँ, तो अव्यवस्थित निर्माण कर शासकीय राशि का दुरूपयोग करने वालों को क्या शासन चिन्हित कर दंडित करेगा एवं अन्य किसी योजना अन्तर्गत इन टंकियों को भरने का प्रयास किया जावेगा? यदि हाँ, तो किस तरह से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ख) रुपये 5.158 लाख स्वीकृत जिसके विरूद्ध रुपये 4.56 लाख का उपयोग किया गया। सफल स्त्रोत प्राप्त होने के उपरांत टंकी निर्माण के दिशा निर्देश हैं। जी हाँ, टंकी निर्माण पश्चात् स्त्रोत तैयार नहीं किया जाता है। (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद मझौली के पत्र क्रं. 1142 दिनांक 28.01.2013 के द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर योजना राशि रुपये 46.66 लाख स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है। योजना की

स्वीकृति उपरांत नगर परिषद मझौली द्वारा कार्य किये जावेंगे, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "दो"

अविवादित नामांतरण प्रकरणों के निराकरण हेतु समय-सीमा

15. **(*क्र. 1173) डॉ. मोहन यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण नियमानुसार कितनी समय-सीमा में किया जाना चाहिए तथा उक्त नामांतरण पश्चात उक्त प्रविष्टि पटवारी रिकॉर्ड एवं कंप्यूटर रिकॉर्ड में कितनी समय-सीमा में दर्ज होना चाहिए? (ख) उज्जैन जिले की विभिन्न तहसीलों में वर्ष 2013-14, 2014-15 में कुल कितने अविवादित नामांतरण आवेदन प्राप्त हुए? इनमें से कितने प्रकरणों का निराकरण नियत समयावधि में किया गया? कितने प्रकरणों का निराकरण नियत समयावधि पश्चात किया गया? कितने प्रकरण अभी भी लंबित हैं तथा निराकृत प्रकरणों में से कितने प्रकरणों की प्रविष्टि समय-सीमा में पटवारी रिकॉर्ड एवं कंप्यूटर रिकॉर्ड में कर नि:शुल्क खसरा बी-1 एवं भू-अधिकार पुस्तिका संबंधित को प्रदान की गयी है? (ग) क्या अविवादित नामांतरण प्रकरणों में भी पटवारियों, राजस्व अधिकारियों द्वारा जानबूझकर विलंब किया गया है? यदि हाँ, तो जानबूझ कर विलंब करने वाले किन-किन राजस्व अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? अधिकारी का नाम, पद सहित संपूर्ण विवरण दें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बंटवारा/नामांतरण के लंबित प्रकरणों का निराकरण

16. **(*क्र. 1350) श्री रणजीतसिंह गुणवान :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आष्टा विधान सभा क्षेत्र की आष्टा एवं जावर तहसील में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के कितने प्रकरण बंटवारे, नामांतरण के लंबित हैं, कब से लंबित हैं? (ख) प्रश्नांकित प्रकरण लंबित होने के क्या कारण हैं? प्रकरणवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांकित अवधि के लंबित प्रकरणों के निराकरण में क्या अधिकारियों/कर्मचारियों का दोष है? यदि हाँ, तो क्या उन पर कोई कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांकित लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) आष्टा विधानसभा क्षेत्र की आष्टा एवं जावर तहसील में बंटवारा/नामांतरण के लंबित प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' पर है।** (ख) प्रश्नांकित बंटवारा/नामांतरण प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलित होकर उनका निराकरण हितबद्ध पक्षकारों की समुचित सुनवाई पश्चात गुणदोष के आधार पर किया जाता है। तदनुसार न्यायालयीन प्रक्रिया प्रचलित है, प्रकरणवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' पर है।** (ग) लम्बे समय से निर्वाचन कार्य में संबंधित

अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यस्तता होने से उक्त के निराकरण में विलम्ब हुआ है। (घ) प्रश्नांकित लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही प्रचलित होकर न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन करते हुए उनका निराकरण यथाशीघ्र कर दिया जावेगा।

निर्भया मोबाइल सेवा योजना का संचालन

17. **(*क्र. 2563) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार महिला सुरक्षा के लिए निर्भया मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई है? निर्भया मोबाइल सेवा वर्तमान में कितने थानों में संचालित की जा रही है और कहाँ-कहाँ संचालित की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो निर्भया मोबाइल संचालन हेतु क्या व्यवस्था की गई एवं क्या सुविधा उपलब्ध है? इस योजना के लिए बजट में कितनी राशि का इंतजाम किया गया? जिलेवार बजट का ब्यौरा दें।

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। निर्भया मोबाइल सेवा प्रदेश के सभी 51 जिलों में संचालित है। थानों में संचालित नहीं है। (ख) प्रत्येक जिले में निर्भया मोबाइल के लिये निरीक्षक/ उनि./ सउनि. (महिला) - 01, प्र.आ. (महिला) 01, आरक्षक (महिला) -03, आर.चालक- 01, की टीम बनाई गई है। प्रत्येक निर्भया मोबाइल टीम को चार पहिया वाहन, वायरलेस सेट, शासकीय मोबाइल सिम प्रदाय की गई है। इस योजना के लिये पृथक से कोई बजट स्वीकृत नहीं है।

आवंटित नजूल भूमि की लीज का नवीनीकरण

18. **(*क्र. 2632) श्री बाला बच्चन :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भोपाल में ई-6 एवं ई-7 क्षेत्र अरेरा कालोनी में कितनी भूमि किस आदेश से गृह निर्माण मंडल को आवंटित की गई? (ख) गृह निर्माण मंडल को आवंटित नजूल भूमि का नवीनीकरण किन कारणों से नहीं हुआ है? पूर्ण विवरण देवें। (ग) गृह निर्माण मंडल को आवंटित नजूल भूमि का नवीनीकरण नहीं होने से कलेक्टर द्वारा उक्त भूमि का आधिपत्य कब तक लिया जावेगा तथा क्या मंडल के आवंटितियों की लीज नवीनीकरण की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या वरिष्ठ नागरिक मंडल भोपाल द्वारा कलेक्टर भोपाल को लीज नवीनीकरण के लिए ज्ञापन दिया गया है? यदि हाँ, तो उस पर की गई कार्यवाही का विवरण देवें।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। आदेशों के विवरण संकलित किये जा रहें। (ख) म.प्र. गृह निर्माण मंडल से अपेक्षित राशि प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण प्रचलित है। (ग) म.प्र. गृह निर्माण मंडल के पक्ष में लीज नवीनीकृत किये जाने हेतु प्रकरण प्रचलित है। मंडल से राशि प्राप्त होने पर प्रकरणों का निराकरण किया

जावेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "तीन"

उप तहसील का उन्नयनीकरण एवं रिक्त पदों की पूर्ति

19. **(*क्र. 2500) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कुल कितने टप्पा कार्यालय/उप तहसील संचालित हैं? उप तहसीलों के तहसील में उन्नयनीकरण हेतु क्या मापदण्ड है? (ख) विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत उप तहसील सोयतकलां में कुल कितने राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं? ग्रामवार जनसंख्या उपलब्ध करावें? क्या उप तहसील सोयतकलां के तहसील में उन्नयनीकरण हेतु कोई मांग या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि हाँ, तो क्या शासन प्रशासकीय कार्यों तक क्षेत्रवासियों की सुगम पहुँच हेतु कोई प्रभावी कदम उठायेगा? यदि हाँ, तो कार्यवाही किस स्तर पर प्रचलित है? (घ) सुसनेर वि.स. क्षेत्रान्तर्गत रिक्त पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकों के पदों की क्या स्थिति है? शासन स्तर से पदपूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है एवं कब तक पदपूर्ति होगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कम पाई गई मशीनों और प्लेटों की जांच में विलंब

20. **(*क्र. 2706) श्री विश्वास सारंग :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि.अता. प्रश्न संख्या 44 (क्र.1879) दिनांक 9 जुलाई 2014 के तहत क्या प्रश्न दिनांक तक जाँच हो गई है? यदि नहीं, तो क्या देरी कर प्रकरण को दबाया जा रहा है? (ख) संदर्भित प्रश्न के (क) एवं (ख) के तहत किस पदनाम के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ अभी प्राथमिकी दर्ज करायी गई है? जानकारी दें। प्राथमिकी की एक प्रति दें। (ग) संदर्भित प्रश्न के (क) एवं (ख) के तहत क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित हो गया है? यदि हाँ, तो एक प्रति दें। क्या विभाग दोषियों को बचाने का कार्य कर रहा है? यदि नहीं, तो अभी तक उत्तरदायित्व का निर्धारण क्यों नहीं हुआ? कारण दें।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं। नियमानुसार जाँच की जा रही है। जाँच अधिकारी के स्थानांतरण से विलंब हुआ है। (ख) जाँच अभी प्रचलित है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा दी जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय आवासों का आवंटन

21. **(*क्र. 2364) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र सहित मन्दसौर जिले के मल्हारगढ़, गरोठ और मन्दसौर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने शासकीय आवास समस्त विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को आवंटित हैं? (ख) कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी इन शासकीय आवासों में कितने वर्षों से निवासरत हैं? नाम तथा शासकीय आवास क्रमांक सहित जानकारी दें। (ग) ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जो आवास आवंटन के स्थान से अन्यत्र स्थान पर कार्यरत हैं तथा किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों के शासकीय आवंटन होने के साथ-साथ स्वामित्व के मकान हैं? (घ) ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं, जिनको आदेश होने के बाद भी आज दिनांक तक शासकीय आवास आवंटित नहीं हो पाए हैं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) कुल 916 शासकीय आवास गृह। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार।** (ग) ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो आवास आवंटन के स्थान से अन्यत्र कार्यरत हो। शेष **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार।** (घ) जानकारी निरंक है।

कुपोषित बच्चों के पोषण आहार एवं चिकित्सा की विशेष व्यवस्था

22. **(*क्र. 1432) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र गंजबसौदा के किस ग्राम में कितने बच्चों को किस श्रेणी के कुपोषण से गत दो वर्षों में ग्रसित पाया गया है? इसमें से किस ग्राम के कितने कुपोषित बच्चों की मृत्यु हो गई है? (ख) किस श्रेणी के कुपोषित बच्चों के आहार, दवाई आदि के संबंध में शासन के वर्तमान में क्या प्रावधान प्रचलित है? उन प्रावधानों के अनुसार गत दो वर्षों में कुपोषित पाए बच्चों के आहार पर कितनी राशि खर्च की गई, उनकी दवाइयों पर कितनी राशि खर्च की गई? (ग) ग्राम पंचायत मूड़री के ग्राम निहारिया में गत दो वर्षों में कितने बच्चों की मृत्यु होना दर्ज किया? इनमें से कितने बच्चे किस श्रेणी में कुपोषित पाए गए थे? उन कुपोषित बच्चों का समय पर इलाज न हो पाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) कुपोषित बच्चों के आहार एवं दवाइयों के लिये शासन क्या विशेष व्यवस्था कब तक करेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) विधानसभा क्षेत्र गंजबौसादा अंतर्गत दो वर्षों में कम वजन एवं अति कम वजन के बच्चों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।** इसमें ग्राम डाबर, बेहलोट तथा डफरयाई में एक-एक बच्चे की मृत्यु हुई है। मृत्यु के कारण संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2** अनुसार है। (ख) आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज सभी वजन श्रेणी के बच्चों को पूरक पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अति कम वजन वाले बच्चों को तृतीय मील आहार दिए जाने

का प्रावधान है। विभाग द्वारा कुपोषित बच्चों को दवाई दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अति कम वजन वाले बच्चों में से निर्धारित मापदण्ड वाले बच्चों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों में संदर्भित किए जाने का प्रावधान है, जहाँ उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा, दवाइयों के द्वारा पोषण प्रबंधन किए जाने का प्रावधान है। कम वजन वाले बच्चों हेतु उक्त अवधि में पोषण आहार पर राशि रूपये 89,19,612/- खर्च की गई। शेष का प्रश्न नहीं। (ग) ग्राम निहारियां में दो वर्षों में 5 बच्चों की मृत्यु होना पाया गया है, इनमें से कोई बच्चा कुपोषित श्रेणी का नहीं था। शेष का प्रश्न नहीं। (घ) अति कम वजन वाले बच्चों के लिए तृतीय मील आहार का प्रावधान पूर्व से है। दवाइयों हेतु विभाग अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है। अतः शेष का प्रश्न नहीं।

<u>उद्यानिकी नर्सरी की भूमि का सीमांकन</u>

23. **(*क्र. 2576) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शाजापुर जिले की जामनेर एवं कालापीपल उद्यानिकी में कितनी-कितनी हेक्टर भूमि का नर्सरी कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा है, तथा इन उद्यानिकी नर्सरी में सिंचाई के क्या साधन हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नर्सरी में भूमि का समुचित उपयोग करने के लिये विभाग की क्या कार्य योजना है? (ग) क्या काला पीपल उद्यानिकी नर्सरी की भूमि का सीमांकन किया गया था? यदि नहीं, तो इसकी सुरक्षा कैसे की जा रही है? (घ) क्या नर्सरी की भूमि को अतिक्रमणकर्ताओं से बचाने की दृष्टि से बाउण्ड्रीवॉल या तार फेंसिंग कार्य कराया जायेगा? अगर हाँ तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।** (ख) जामनेर नर्सरी से पूरी भूमि का और कालापीपल नर्सरी में उपलब्ध सीमित जल के मद्देनज़र भूमि का युक्तियुक्त उपयोग किया जाना प्रतिवेदित है। (ग) एवं (घ) सीमाएं सुनिश्चित होने से विगत तीन वर्षों में सीमांकन नहीं कराया गया है। नर्सरी की फेंसिंग की गई थी। क्षतिग्रस्त फेंसिंग की मरम्मत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

<u>परिशिष्ट – "चार"</u>

<u>अविवादित नामांतरण एवं बटवारे के अधिकार</u>

24. **(*क्र. 630) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत कुछ प्रावधानों के अधिकार ग्राम पंचायतों को तत्कालीन पंचायती राज लागू होने पर प्रदान किये थे, वह कौन-कौन से थे एवं कौन-कौन से अधिकार वापिस ले लिये? (ख) म.प्र. शासन द्वारा अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे के

अधिकार जो ग्राम पंचायतों को दिये वह कब और किस आदेश से वापिस लेकर राजस्व पदाधिकारियों को दे दिये हैं? (ग) गुना जिले में ऐसे कितने नामान्तरण, बंटवारे एवं सीमांकन प्रकरण कितनी अवधि के पेंडिग हैं? तहसीलवार जानकारी दें। (घ) क्या अविवादित नामान्तरण एवं बंटवारा करने का अधिकार राजस्व पदाधिकारियों के पास रहेगा या उन अधिकारों को ग्राम पंचायतों को पुन: सौंपा जायेगा? यदि नहीं, तो कारण बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) ग्राम पंचायत को अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा के अधिकार दिए गए थे, जो वापिस ले लिए गए हैं। (ख) राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 02-03/2010/सात/शा.6 दि. 08 अप्रैल 2013 के अन्तर्गत ग्राम सभा को प्रदत्त तहसीलदार की शक्तियां वापिस ले ली गई हैं। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।** (घ) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट – "पाँच"</u>

<u>राजस्व न्यायालयों के आदेश का पूर्णरूपेण पालन</u>

25. **(*क्र. 2142) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक सतना एवं रायसेन जिले में कितने नामांतरण आदेश राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित किये गये? तहसीलवार पारित आदेशों का विवरण दें। (ख) क्या राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के बावजूद भी राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार परिवर्तन/संशोधन नहीं किया गया और न ही विभाग की ऑनलाईन वेबसाइट में फीड किया गया, जिससे कृषकगणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? (ग) ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिनमें पारित आदेशों के अनुरूप रिकार्ड में आवश्यक सुधार/संशोधन नहीं किया गया? दोनों जिलों के प्रकरणवार कारण व अद्यतन स्थिति बतावें। उक्त मामलों में कब तक राजस्व न्यायालयों के आदेश का पूर्णरूपेण पालन कर लिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।** (ख) राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अनुसार राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन/संशोधन यथा समय कर दिया जाता है। उक्त संशोधन सहित खसरे का बैकअप तहसीलों द्वारा विभागीय वेबसाईट पर प्रत्येक माह अपलोड कराया जाता है। जिले में कृषकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। (ग) रायसेन जिले की तहसील उदयपुरा के अंतर्गत 11 प्रकरणों में आदेश पारित होने के बाद अपील के कारण सुधार/संशोधन नहीं किया गया है। अपील का निराकरण एवं स्थगन आदेश निरस्त होने पर सभी सुधार/संशोधन पूर्ण कर लिए जाएंगे।

<u>परिशिष्ट – "छ:"</u>

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना

1. **(क्र. 19) श्री दिलीप सिंह शेखावत :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि नागदा खाचरौद विधानसभा अंतर्गत स्थित खाचरौद मध्यप्रदेश का सबसे ज्यादा मटर उत्पादन का क्षेत्र है एवं अन्य सब्जियों व फूलों का उत्पादन भी प्रचुर मात्रा में होता है? (ख) क्या शासन द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग प्लॉट लगाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक? वर्तमान स्थिति से अवगत करावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) वर्ष 2013-14 में नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में 3560 हेक्टर क्षेत्र में हरी मटर, 2540 हेक्टर क्षेत्र में सब्जिया एवं 190 हेक्टर क्षेत्र में फूलों का उत्पादन किया जाना प्रतिवेदित है। (ख) नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर पात्र आवेदक उद्यमी को अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

पेयजल समस्या का निराकरण

2. **(क्र. 52) श्री मुकेश नायक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र में गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से ग्रस्त समस्यामूलक गांव/बसाहटों में जलापूर्ति की सरकार की क्या योजना है? इस बारे में विस्तार से जानकारी देवें? (ख) ग्रामीण इलाकों में भू-जल की गुणवत्ता तथा पवई विधानसभा क्षेत्र में नदी, नालों के पानी की गुणवत्ता की जांच के लिये क्या कोई सर्वेक्षण हुये हैं, यदि हाँ, तो इस बारे में जानकारी दी जाए?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) लक्ष्यानुसार आंशिक पूर्ण श्रेणी की बसाहटों में पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना है। (ख) पन्ना जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपंपों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार भू-जल की गुणवत्ता सही पाई गई है। नदी नालों के पानी की गुणवत्ता का सर्वेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल आपूर्ति

3. **(क्र. 53) श्री मुकेश नायक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में पेयजल संकटग्रस्त कितने समस्यामूलक गाँव/बसाहट हैं और इनमें स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिये सरकार की क्या योजना है? (ख) राज्य के अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में भू-जल प्रदूषणग्रस्त और पीने के लिये हानिकारक है, अतः इन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा

कराये गये भू-जल की गुणवत्ता सर्वेक्षण के बारे में बतावें तथा प्रदूषित भू-जल वाले इलाकों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिये सरकार की क्या योजना है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रदेश में 22603 बसाहटें आंशिक पूर्ण श्रेणी की हैं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इन बसाहटों में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना है। (ख) जी नहीं, मात्र उज्जैन जिले के नागदा में 14 ग्राम तथा रतलाम जिले के 7 ग्रामों में भूजल स्रोतों के परीक्षण में पेयजल दूषित पाया गया। विभाग द्वारा नियमित रूप से विभागीय प्रयोगशालाओं में भूजल स्रोतों की गुणवत्ता परीक्षण के कार्य किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा भी औद्योगिक क्षेत्रों के पेयजल स्रोतों की जाँच की जाती है। उज्जैन जिले के नागदा विकासखण्ड के प्रभावित ग्रामों में चंबल नदी आधारित एक समूह योजना लागत रूपये 18.13 करोड़ तथा रतलाम जिले के प्रभावित ग्रामों में एक समूह योजना लागत रूपये 14.23 करोड़ स्वीकृत की गई हैं जिनके क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है।

हितग्राहियों को ट्रेक्टर का प्रदाय

4. **(क्र. 92) श्री अरूण भीमावद :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अन्तर्गत 20HP से अधिक एवं 20HP से कम ट्रैक्टर दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो इसके लिए क्या मापदण्ड निर्धारित हैं? (ख) विगत तीन वर्षों में इस योजना के अंतर्गत शाजापुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने कृषकों को 20HP तथा इससे अधिक के ट्रैक्टर्स प्रदाय किये गये है? संख्या तथा नाम बतावे? (ग) क्या शासन द्वारा विधान सभावार अथवा क्षेत्रवार कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है? विगत 3 वर्षों की लक्ष्य पूर्ति का ब्यौरा दिया जावे? (घ) शाजापुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बिना सक्षम अनुशंसा के किसी हितग्राही को ट्रैक्टर प्रदाय किया गया है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क़) जी नही, अप्रैल 2014 से 20 एच. पी. तक के ट्रेक्टर दिये जाने का प्रावधान है, मापदण्ड **संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार** है। (ख) जी नहीं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार** है। (ग) जी नहीं। विगत वर्षो में शाजापुर जिले में लक्ष्य और उपलब्धि निम्नानुसार है :-

ट्रेक्टर	**वर्ष 2011 -12**		**वर्ष 2011 -12**		**वर्ष 2011 -12**	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
20 एच.पी. से अधिक	1	1	10	10	5	5
20 एच.पी. से तक	2	2	10	10	47	47

(घ) जी नहीं

परिशिष्ट - "सात"

कार्यपालिक (एम) बल का वेतनमान संशोधन

5. **(क्र. 93) श्री अरूण भीमावद :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पुलिस के कार्यपालिक (एम) बल को क्या जिला पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल की वाहिनियों, पी.टी.एस. रेल्वे, रेडियो इत्यादि इकाईयों में तैनात कार्यपालिक (एम) बल के कर्मचारियों के समान वेतनमान प्रदान किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा समकक्ष कर्मचारियों के समान वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु 23-12-2013 को अपनी अनुशंसा गृह विभाग को प्रेषित की गई है? (ग) उक्त अनुशंसा पर शासन द्वारा क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। (ग) पुलिस के कार्यपालिक (एम) संवर्ग को पुलिस कार्यकारी बल के समान वेतनमान दिये जाने का प्रस्ताव पूर्ण विचारोपरान्त अमान्य किया गया है।

व्यवहार न्यायालय की स्थापना

6. **(क्र. 132) श्री मोती कश्यप :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सत्य है कि दिनांक 28-02-2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या-45 (क्रं. 1737) में जानकारी दी गई है कि तहसील मुख्यालय ढीमरखेड़ा व बड़वारा में व्यवहार न्यायालय के प्रस्ताव संबंधी पत्र एवं स्मरण पत्र भेजे गये हैं और व्यवहार न्यायालय वर्ग-2 की सुनवायी योग्य ढीमरखेड़ा एवं बड़वारा क्षेत्र में उत्पन्न 3 वर्षों के संस्थापित एंव लम्बित प्रकरणों की जानकारी एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में परीक्षण किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) व्यवहार न्यायालय वर्ग - 2 से जुड़े किन पुलिस थानों व राजस्व न्यायालयों से 3 वर्ष से संस्थापित एवं लम्बित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त कर ली गयी है और उनमें क्या पाया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (क), (ख) की स्थापना हेतु किन्हीं स्थलों में खसरों और रकबों की भूमि को संरक्षित किया गया है? विवरण देवें? (घ) क्या मा. उच्च न्यायालय की ओर से किन्हीं न्यायिक अधिकारियों द्वारा प्रश्नांश (क), (ख), (ग) से संबंधित क्षेत्र व स्थलों का वर्ष 2013 व 2014 में अवलोकन किया गया है और उसमें क्या पाया गया है? (ड.) प्रश्नांश (क) तहसील मुख्यालयों में कब तक व्यवहार न्यायालय वर्ग - 2 की स्थापना कर दूरस्थ वन-पर्वतीय व बीहड़ क्षेत्र के संसाधन विहीन ग्रामों के अ.जा., अ.ज.जा. व अन्य वर्ग के ग्रामीणों के लिये न्याय सुलभ करा दिया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पुलिस द्वारा निरअपराध को जेल भेजने पर कार्यवाही

7. **(क्र. 133) श्री मोती कश्यप :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 06-12-2014 को पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस अधीक्षक कटनी को किन्हीं दस्तावेजों सहित लेख किया गया है? (ख) क्या न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ने विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 4392/2007 की किन्हीं दफाओं पर किसी व्यक्ति के नाम जारी स्थायी वारण्ट को किन पुलिस कर्मियों/अधिकारी द्वारा सर्व किया गया है और किसे? (ग) प्रश्नांश (ख) न्यायालय में प्रस्तुत किस व्यक्ति को जेल भेजा गया है? (घ) क्या प्रश्नांश (ख) पर प्रश्नांश (क) अधिकारियों द्वारा करायी गई जांच में क्या पाये जाने पर किन दोषी पुलिस अधिकारी व कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाहियां की गई हैं? विवरण देवें? (ड.) प्रश्नांश (ग) के जेल में निरूद्ध व्यक्ति को किसकी जमानत पर कब मुक्त किया गया है और क्या उसे कोई न्याय प्रदान कर वास्तविक अपराधी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) माननीय जे0एम0एफ0सी0 कटनी श्री मनीष कुमार पाटीदार के न्यायालय द्वारा धारा 457, 380 भा.द.वि. में दिनांक 16.08.2013 को आरोपी कटटू पिता मौती लाल भूमिया नि. भटवा थाना बहोरीबंद के विरूद्ध गैर म्यादी वारंट जारी किया जिसे दिनांक 13.04.2014 को थाना प्रभारी बहोरीबंद द्वारा हमराह स्टाफ सहायक उप निरीक्षक मनमोहन उपाध्याय एवं आरक्षक भुवनेश्वर क्र. 162 द्वारा उक्त वारंट कुटटू उॅर्फ विनोद पिता सोने लाल भूरिया पर तामील कर न्यायालय पेश किया। (ग) कुटटू पिता मौजी लाल भूमिया नि. भटवा मोहल्ला बहोरीबंद को। (घ) जी हाँ। प्रकरण की जांच एस.डी.ओ.पी. स्लीमनाबाद श्री मिथलेश तिवारी से कराई गई। जांच पर पाया गया कि इस प्रकरण में आवेदक कड्डे उर्फ विनोद पिता सोने लाल आदिवासी को मान. न्यायालय द्वारा 05.08.2013 को दोषमुक्त कर दिया था एवं आरोपी कुटटू पिता मौजीलाल भूमिया को फरार घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान थाना0प्रा0 बहोरीबंद नि. मुकेश अबिद्रा द्वारा वारंट तामील करते समय कड्डे उर्फ विनोद पिता सोने लाल से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम कुटटू उर्फ कड्डे उर्फ विनोद पिता सोने लाल उर्फ मौजीलाल भूमिया बताया था। थाना प्रभारी बहोरीबन्द को गिरफतारी वांरट तामील करते समय वारंटी के नाम पता की तस्दीक स्वंतत्र साक्षियों एवं ग्राम वासियों के द्वारा करना थी किन्तु उनके द्वारा यह कार्य नहीं किया गया। थाना प्रभारी का उक्त कृत्य जानबूझकर की गई लापरवाही नहीं बल्कि कार्य के दौरान मानवीय त्रुटि परिलक्षित होने पर शिकायत जांच प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा पुलिस उप. मा. नि. रेंज जबलपुर को भेजा गया। त्रुटि हेतु थाना प्रभारी बहोरीबंद मुकेश अबिद्रा सह.उप.नि. मनमोहन उपाध्याय एवं आरक्षक भुवनेश्वर को निन्दा की सजा से दंडित किया गया है। (ड.) कटनी उप जेल से निरूद्ध व्यक्ति कड्डे उर्फ विनोद पिता सोने लाल को दिलावर भूमिया की जमानत पर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2014 को रिहा किया गया। वास्तविक अपराधी की तलाश की जा रही है।

<u>नल जल योजनान्तर्गत राशि की प्राप्ति</u>

8. **(क्र. 397) श्री सचिन यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला खरगोन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 2012 से प्रश्न दिनांक तक में शासन से कितनी राशि प्राप्त हुई और इस राशि को विभाग ने विकासखण्डों में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की, बिन्दुवार व मदवार जानकारी दें? (ख) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में कितनी नल जल योजनायें स्वीकृत हुई है, उनमें से कितने का कार्य पूर्ण किया जाकर उक्त योजना अंतर्गत जल प्रदाय का कार्य चालू कर दिया गया है, तथा कितनी योजनायें अपूर्ण हैं, इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा निश्चित समय सीमा बतायें? (ग) जो नल जल योजनायें विभागीय रूप से पूर्ण कराकर हस्तांतरित की जा चुकी है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं? वर्तमान में कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्डों के अंतर्गत कितनी नल जल योजनायें किन-किन कारणों से बंद है, उनको चालू कराने के लिये विभागीय स्तर पर क्या प्रयास किये गये है, क्या नल जल योजना चालू रखने के लिये राज्य स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित किया जायेगा? हाँ तो कब नहीं तो क्यों कारण दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-**''1'' **व** "2" **अनुसार।** (ख) 144 स्वीकृत, 143 पूर्ण कर चालू की गई तथा 1 योजना अपूर्ण है। अपूर्ण योजना को पूर्ण करने हेतु निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नही है। (ग) हस्तांतरित नलजल योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत जवाबदार होती है, विभाग द्वारा मात्र तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। मात्र 1 योजना ग्राम अंजनगांव, विकासखंड भीकनगांव, संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नहीं चलाये जाने से बंद है। समस्त नलजल योजनाओं को चालू रखने हेतु शासन स्तर से दिशा-निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''3'' अनुसार जारी** किये गये। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

<u>नल जल योजनान्तर्गत कराए गए कार्य</u>

9. **(क्र. 398) श्री सचिन यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक पेयजल हेतु नल-जल योजना एवं हैण्डपंप कितने स्वीकृत किये गये हैं? (ख) स्वीकृत नल-जल योजना में से कितने कार्य पूर्ण कर लिये गये तथा कितने शेष हैं एवं कितने अभी पूर्ण रूपेण लंबित है? इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? (ग) क्षेत्रान्तर्गत कितने ऐसे गांव है जहाँ पेयजल का भारी संकट है? ऐसे ग्रामों के लिये पेयजल सुविधा हेतु शासन के पास कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो ऐसे ग्रामों को कब तक पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जावेगी? नहीं तो क्या आगामी वर्ष में ऐसी कोई योजना लाने का प्रावधान किया जायेगा? हाँ तो जानकारी दें, नहीं तो कारणों का उल्लेख करें? (घ) क्या कसरावद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों एवं विकासखण्ड में नल-जल योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामों को सम्मिलित

किया है और किया जायेगा नहीं तो ऐसी योजना कब तक बनाई जायेगी? नहीं तो कारण बतायें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 12 नलजल योजनाएं तथा 573 हैण्डपंप। (ख) 11 पूर्ण, 01 योजना का कार्य शेष है एवं इस हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) किसी भी ग्राम में पेयजल संकट नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, 35 ग्रामों की जलप्रदाय व्यवस्था हेतु एक समूह योजना लागत रूपये 6194.45 लाख की प्रस्तावित है। योजना में सम्मिलित ग्रामों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट- "आठ"

ए.डी.जी. सिक्युरिटी कार्यालय के आदेशों का क्रियान्वयन

10. **(क्र. 596) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि वित्तीय वर्ष 2012 से प्रश्नतिथि तक म.प्र. में प्रायवेट सिक्युरिटी एक्ट 2005 एवं 2012 का उल्लंघन निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा खुलेआम करने पर ए डी जी राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा कई सुरक्षा एजेन्सियों को नोटिस जारी किये गये एवं कई का लायसेंस निरस्त किया गया? अगर हाँ तो किस-किस को नोटिस जारी किया गया एवं किस-किस का लायसेंस निरस्त किया गया? (ख) क्या यह सत्य है कि ए डी जी कार्यालय स्टेट इण्डस्ट्रियल सिक्युरिटी एवं प्रायवेट सिक्युरिटी एजेंसीज ने प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कंपनियों के द्वारा बिना ट्रेनिंग दिलाये सुरक्षा गार्डों को तैनात करने पर उक्त कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही की है? अगर हाँ तो किन-किन कंपनियों के विरूद्ध सूची प्रकरणवार/जारी आदेश क्रमांकवार? (ग) क्या यह सत्य है कि ए डी जी कार्यालय ने नियम विरूद्ध कार्य करने वाली कंपनियों के विरूद्ध प्रश्नतिथि तक एफ आई आर दर्ज करवा दी है? अगर नहीं तो क्यों? कारण दें? (घ) क्या ए डी जी के आदेश के बाद जिला पुलिस अधीक्षकों ने उक्त कंपनियों के विरूद्ध प्रश्नतिथि तक एफ आई आर दर्ज क्यों नहीं की? नियम बतायें? कब तक की जायेगी? समय सीमा दें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हॉं। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) कार्यवाही निजी सुरक्षा अधिकरण(विनियमन) अधिनियम 2005 एवं निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियम) नियम 2012 के प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण की गई है। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार।** (ग) जी हॉं। प्रदेश में अभी तक कुल 82 निजी सुरक्षा एजेंसियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार** है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

गुना जिले में ग्राम पंचायतो से संबंधित पंजीबद्ध प्रकरण

11. **(क्र. 631) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले के समस्त पुलिस थाने में ऐसे कितने प्रकरण पंजीबद्ध है जिनमे ग्राम पंचायतों से संबंधित है या पंचायतों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से संबंधित है उन सभी अपराधियों की जानकारी दें? (ख) क्या गत 5 वर्षो के पंचायतो में हुये भ्रष्टाचार के पुलिस प्रकरणों में पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार किया गया है यदि नही तो कब करेगे? (ग) क्या पुलिस ने गुना जिले में पंचायतो के पुलिस प्रकरणों में सभी प्रकरणों की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये है यदि नही तो कब तक करेंगे बताये? (घ) क्या गुना जिले में पुलिस द्वारा पंचायतो के भ्रष्टाचार में दोषी पाये गये अपराधियों को जानबूझकर बचाया जा रहा है यदि नहीं तो कब तक कार्यवाही करेंगे?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) (से (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) जी नहीं। विधिसम्मत कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट- ''नौ''

बैंक खातों की गोपनीय जानकारी लेकर-लूटपाट/ठगी की घटित घटनाएं

12. **(क्र. 667) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश में विगत पांच वर्षों में आम नागरिकों को ई-मेल द्वारा मोबाईल पर एस.एम.एस. द्वारा एवं फोन पर बैंक खाते की गोपनीय जानकारी प्राप्त कर अथवा विभिन्न सरकारी विभागों के नकली अधिकारी बन कर लूट या ठगी करने के मामले दर्ज हुए हैं? यदि हाँ, तो प्रदेश के जिलेवार संख्या की सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्न (क) अनुसार नागरिकों के साथ पुन: इस तरह की घटनाएं ना हो इस हेतु प्रदेश शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) नागरिकों के साथ इस प्रकार की घटनाऐं घटित न हों इसके लिए सायबर एवं उच्च तकनीकि अपराध पुलिस थाना द्वारा प्रयास किए जा रहे है। संदिग्ध व्यक्तियों के बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्यवाही की जा रही है। मोबाइल नेटवर्क कम्पनियों के नोडल अधिकारियों की बैठक ली जा रही है। इस तरह की घटना न हो इस संबंध में समय-समय पर समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में जानकारी देकर आम जनता को जागरूक किया जा रहा है।

परिशिष्ट-''दस''

भौरासा को तहसील का दर्जा दिया जाना

13. **(क्र. 717) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में भौरासा में तहसील कार्यालय स्थापित करने का

कोई प्रस्ताव विभाग में लंबित है? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) क्या विभाग द्वारा भौरासा में तहसील कार्यालय स्थापना के कोई प्रस्ताव को सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या भौरासा में तहसील कार्यालय स्थापित करने की योजना भविष्य में संभावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) 01 राजस्व निरीक्षक मण्डल 13 पटवारी हल्के और कुल 31 ग्राम को शामिल कर अल्प आकार की तहसील भौंरासा का गठन किए जाने का प्रस्ताव प्रशासनिक/वित्तीय दृष्टि से मान्य किए जाने योग्य न होने के कारण प्रस्ताव अमान्य किया गया। (ग) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को पेंशन का लाभ</u>

14. **(क्र. 721) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बतानें की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका को 60 साल की आयु उपरांत हटाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या उनको पेंशन देने का प्रावधान है? यदि नहीं है, तो क्या शासन पेंशन देने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्या महिला एवं बाल विकास विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत है? यदि हाँ, तो क्या पात्रता रखने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की कार्यवाही शासन कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? क्या नियमित वेतन भोगी कर्मचारी पात्र होने के बाद भी यदि नियमित नहीं किये जा रहे हैं, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही की गई है? (ग) क्या महिला बाल विकास विभाग में जिले एवं ब्लाक स्तर पर विभागीय शासकीय भवन उपलबध हैं? यदि नहीं है, तो क्या शासन विभागीय कार्यालय भवन बनाने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका को साड़ी देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या साड़ी की राशि उनके खाते में जमा की जाती है? यदि हाँ, तो साड़ी खरीदने में एकरूपता आ रही है? यदि नहीं, तो क्या शासन साड़ी स्वयं खरीदने का विचार कर रहा है, यदि हाँ, तो कब तक?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का पद मानसेवी होने से उन्हे पेंशन देने का प्रावधान नही है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। अतः शेष का प्रश्न ही नही है। (ख) जी हा। प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में दिनांक 24.09.2013 को छानबीन समिति की बैठक का आयोजन कर उक्त कार्यवाही संपादित कर ली गई है। पात्र कर्मचारी के आदेश जारी कर दिये गये है। छानबीन समिति के निर्णय अनुसार आकस्मिक निधि से वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण किये जाने के संबंध मे सामान्य प्रशासन विभाग के तत्कालीन परिपत्र अनुसार नियमितीकरण की कार्यवाही नही की जा सकती थी। दैनिक वेतन भोगियों को नियमितीकरण की कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग के मूल परिपत्र दिनांक 16 मई 2007 के परिप्रेक्ष्य में की गई थी उक्त परिपत्र में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा परिवर्तन कर कंडिका 5.1 एवं कंडिका 5.5 के मूल प्रावधानों में निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा गया है। ''परन्तुक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिस <u>पद/संवर्ग</u> में कार्यरत और उस संवर्ग का पद रिक्त ना होकर अन्य कोई समकक्ष पद रिक्त है और वह दैनिक वेतन कर्मचारी उस रिक्त पद की निर्धारित योग्यता धारण करता है तो उस समकक्ष रिक्त पद पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जाए '' उक्तानुसार नवीन प्रावधानो के आधार पर परीक्षणोपरान्त पात्र दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी। समय सीमा दी जाना संभव नही है। शेष के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नही होता है। (ग) जिला स्तर पर विभागीय भवन उपलब्ध नही है। सीमित संख्या में परियोजना कार्यालय के लिये विभागीय

भवन उपलब्ध है। वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। अतः शेष के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नही होता है। (घ) जी हॉ। जी हॉ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता /सहायिका हेतु यूनिफार्म के रूप में साड़ी क्रय किये जाने के लिये निर्धारित राशि उनके खातें में जमा की जाती है। एकरूपता बनाये रखने हेतु साड़ी का रंग डिजाईन निर्धारित किया जा कर उक्तानुसार साड़ी क्रय हेतु निर्देश दिये गये है। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है, अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नही होता है।

व्यापम परीक्षाओं में अनियमितता के तहत दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

15. **(क्र. 739) श्री रामनिवास रावत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्यापम द्वारा वर्ष 2004 से प्रश्न दिनांक तक आयोजित विभिन्न प्रवेश परीक्षा एवं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षाओं में अनियमित एवं फर्जी तरीके से पास होने की शिकायत की जांच उपरांत दिनांक 10 नवम्बर 2014 के पश्चात कितने प्रकरण कहाँ-कहाँ, किस-किस के विरूद्ध किन-किन धाराओं के तहत दर्ज किए गए? अपराध क्रमांक दिनांक सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार दर्ज प्रकरणों में किन-किन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है? किन-किन की गिरफ्तारी शेष है? अभी तक उक्त परीक्षाओं में पास/चयन कराने हेतु पैसा लेने वाले किन-किन व्यक्तियों/दलालों को गिरफ्तार किया गया है? किन-किन को नहीं? 10 नवम्बर 2014 से पूर्व दर्ज प्रकरणों में गिरफ्तार से शेष बचे अपराधियों की जानकारी भी उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार हुए फर्जीवाड़े में दिनांक 10 नवम्बर 14 के पश्चात प्रश्नांकित दिनांक तक किन-किन परीक्षार्थियों की प्रवेश परीक्षा एवं भर्ती परीक्षाओं में चयन निरस्त करने की कार्यवाही की गई है? सूची उपलब्ध करावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' तथा 'स' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है।

मानव तस्करी के पंजीबद्ध प्रकरणों पर कार्यवाही

16. **(क्र. 740) श्री रामनिवास रावत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा अता. प्रश्न संख्या-23 (क्रमांक 244) दिनांक 08.12.14 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में 1 जून 2014 से 10 नवंबर 2014 की अवधि में प्रदेश में महिलाओं की मानव/ तस्करी/अपहरण/गुमशुदगी के 9428 प्रकरण दर्ज करने तथा उनमें से 4688 महिलाएं बरामद होने की जानकारी दी गई हैं? यदि हाँ, तो प्रदेश में 11 नवंबर 2014 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में महिलाओं की मानव तस्करी/अपहरण/गुमशुदगी के कितने प्रकरण पंजीबद्ध हुए? इनमें से कितनी महिलाएं विवाहित/अविवाहित एवं अवयस्क थी? महिलाओं की जिलेवार, वर्गवार (सामान्य, पिछड़ावर्ग, अ.जा. एवं अ.ज.जा.), जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (ख) अनुसार कितनी महिलायें बरामद की गई है? तथा उक्त घटनाओं को अंजाम देने वाले कितने

आरोपियों/सरगनाओं को कहाँ-कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? (ग) क्या यह सही है कि प्रदेश में मानव तस्करी एवं अपहरण की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए स्माइल अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो इस अभियान के लिए कितनी राशि स्वीकृत कर क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। उक्त घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों/सरगनाओं को थाना क्षेत्रांतर्गत ग्रामों विभिन्न स्थानों से उनके निवास, मोहल्ला, बस स्टॉप, रेल्वें स्टेशन एवं अन्य क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया है। (ग) जी हाँ। इस अभियान के लिये पृथक से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

<u>महिलाओं पर अत्याचार के प्रकरणों पर कार्यवाही</u>

17. **(क्र. 886) श्रीमती ममता मीना :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में 1 जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2014 तक की अवधि में महिलाओं की मानव तस्करी, अपहरण, गुमशुदगी, बलात्कार एवं छेड़खानी के कितने प्रकरण पंजीबद्ध हुए? (ख) म.प्र. में महिलाओं पर हुए अत्याचार में कितने अपराधियों को पकड़ा गया, कितने फरार हैं ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें अभी तक चालान प्रस्तुत नहीं हुआ? (ग) म.प्र. में महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए शासन द्वारा क्या कदम उठाये हैं, क्या अत्याचार सहन करने वाली महिलाओं को सुरक्षा देने हेतु कोई नीति बनी है जानकारी दें? (घ) म.प्र. में महिलाओं पर अत्याचार करने वाले आरोपियों, सरगनाओं को क्या गिरफ्तार किया है? यदि नहीं, तो लंबित प्रकरणों में कब तक गिरफ्तारी होगी? महिलाओं को कब तक न्याय मिलेगा विवरण दें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। (ख) मानव तस्करी के प्रकरण में 370, अपहरण में 4485, बलात्कार में 12453, छेड़खानी में 21496 अपराधी गिरफ्तार किये गये है तथा मानवतस्करी के 17, अपहरण के 3052, बलात्कार के 379, छेड़खानी के 279 प्रकरण विवेचनाधीन है, जिनमें आरोपियों की गिरफ्तारी एवं चालान पेश होना शेष है। आरोपियों की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास जारी हैं। (ग) प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने के लिये माह जून 2012 में महिला अपराध शाखा का गठन किया गया है। 09 महिला थाना, राज्यस्तरीय महिला हेल्प लाईन एवं महिला डेस्क, मानवदुर्व्यापार विरोधी सेल, परिवार परामर्श केंद्र स्थापित किये गये है एवं सुरक्षा की दृष्टि से निर्भया पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, आत्मसुरक्षा हेतु निःशुल्क जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। (घ) मध्यप्रदेश में मानव तस्करी/अपहरण / बलात्कार के **प्रकरणों में उत्तरांश ''ख'' अनुसार** अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, शेष लंबित प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास जारी है। महिलाओं से संबंधित उपरोक्त प्रकरण फास्टट्रेक

न्यायालय से त्वरित निराकरण कर महिलाओं को शीघ्र न्याय दिया जा रहा है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

गुना जिले में नलकूपों का खनन

18. **(क्र. 887) श्रीमती ममता मीना :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या गुना जिले के चांचौड़ा एवं बमोरी वि.सभा में पेयजल हेतु नलकूप खनन मानक रूप से डिजाईन कर कितनी गहराई के खनन किये जाते है जिससे हैण्डपम्प चल सकें? (ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शासन के निर्धारित मापदण्डों से अधिक गहराई 200-300 फीट पर हैण्डपम्पों के माध्यम से पेयजल प्राप्त करना संभव है? यदि नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है बतायें? (ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प खनन हो जाने से उस क्षेत्र की पेयजल समस्या हल हो जाती है? यदि मांग अनुसार पेयजल प्राप्त ना हो तो गहरे नलकूपों में हैण्डपम्प के स्थान पर विद्युत पम्प लगाने की योजना है? (घ) गुना जिले की चांचौड़ा एवं बमोरी वि.सभा में ऐेसे कितने गांव व बस्ती चिन्हित की हैं जिनमें पेयजल हेतु नलकूपों में सिंगल फेस पम्प सेट के माध्यम से पेयजल आपूर्ति होगी? यदि हाँ तो कितने? यदि नहीं की तो कब तक चिन्हित करेंगे? और पेयजल आपूर्ति हेतु क्या कार्य योजना बनाई है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ, औसत 90 मीटर गहराई। (ख) जी नहीं, ऐसी स्थिति में नलकूप में पर्याप्त जल आवक क्षमता होने पर मोटर पंप स्थापित कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। (ग) जी हाँ। पर्याप्त आवक क्षमता के हैण्डपंप के खनन/स्थापना से पेयजल समस्या का हल हो जाता है। (घ) ऐसे नलकूप जिनमें पर्याप्त जल क्षमता है परंतु जलस्तर नीचे होने के कारण हैण्डपंप से पेयजल आपूर्ति नहीं की जा सकती, ऐसे नलकूपों पर सिंगलफेस पंप के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जायेगी। ग्राम एवं बस्तियाँ चिन्हित नहीं की हैं, आवश्यकता अनुसार यह कार्य किया जावेगा।

हत्या के अपराधियों की गिरफ्तारी

19. **(क्र. 951) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि विधानसभा क्षेत्र आलोट, तहसील जावरा के ग्राम लुहारी में दिनांक 14 सितंबर 2014 को भाजपा नेता श्री कैलाश सूर्यवंशी की हत्या हुई? तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? (ख) चार माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी पुलिस अब तक हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने में असफल क्यों हैं? (ग) उपरोक्त (क) में वर्णित प्रकरण में आरोपियों पर कौन-कौन सी धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया? क्या आरोपियों पर अनु. जाति अत्याचार अधिनियम की धाराएं लगाई गई है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी एवं यदि नहीं,

तो क्यों नहीं? (घ) पुलिस कब तक अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी एवं कोताही बरतने वाले पुलिस जनों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) :(क) जी हाँ। अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में अपराध क्रमांक 420/14, धारा 302, 34 भा.द.वि. एवं 25/27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। (ख) अज्ञात आरोपियों की पतारसी हेतु 5000/- रूपये के नगद पुरूस्कार की उद्घोषणा की गई है। (ग) जानकारी उत्तरांश 'क' अनुसार है। आरोपी अज्ञात होने से। (घ) समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है। प्रकरण की विवेचना में किसी भी पुलिस कर्मचारी द्वारा कोताही बरतना परिलक्षित नहीं हुआ है।

<u>प्रदेश में नये केंद्रीय कारागार का निर्माण</u>

20. **(क्र. 955) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत पांच वर्षों में कितने नये केंद्रीय कारागार निर्माण की स्वीकृतियां प्रदेश को प्राप्त हुई? (ख) विगत पांच वर्षों में किन-किन केंद्रीय कारागारों में भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण हेतु केंद्र सरकार से कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई? (ग) उपरोक्त स्वीकृत राशि में कितनी-कितनी राशि कब-कब किन-किन मदों में व्यय की गई? (घ) क्या केंद्र सरकार की राशि का दुरूपयोग, कार्य गुणवत्ता अनुरूप ना होने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ? क्या जांच करवाई गई, यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट्स का ब्यौरा व कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) विगत पाँच वर्षों में कोई केन्द्रीय कारागार निर्माण की स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं हुई। **(ख) से (घ) उत्तर-"क"** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>पोहरी विधानसभा क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था</u>

21. **(क्र. 1105) श्री प्रहलाद भारती :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पोहरी विधानसभा क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी नल-जल/स्थल जल योजनाएं स्वीकृत हुई? उक्त योजनाओं में से कितनी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं व कौन-कौन सी अपूर्ण हैं, पूर्ण योजनाओं में से कौन-कौन से वर्तमान में चालू व कौन-कौन सी बंद है व उसका क्या कारण है व बंद योजनाएं कब तक पुन: प्रारंभ कर दी जावेगी? कार्यवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) पोहरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने हैण्डपंप/नलकूप कहाँ-कहाँ स्थापित किये गये हैं व उनमें से कितने व कौन-कौन से चालू व बंद है? हैण्डपंप/नलकूप की जानकारी प्रत्येक ग्राम, मजरा, टोला व बसाहट वार उपलब्ध करावें? (ग) पोहरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं, जहाँ भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण हैण्डपंप नहीं चल पा रहे हैं, इस कारण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है? उक्त ग्रामों में पेयजल हेतु हैण्डपंप के स्थान पर सिंगल फेस मोटर कहाँ-कहाँ डाल

दी गई है और कहाँ-कहाँ सिंगल फेस मोटर की आवश्यकता है? ग्रामवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें व कब तक सिंगल फेस मोटर डाल दी जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार।** 63 योजनाएं पूर्ण, 01 योजना अपूर्ण एवं 01 योजना अप्रारंभ है। शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार।** (ख) 2014 हैण्डपंप/नलकूप स्थापित। शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार।** (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार।** संबंधित ग्राम में अन्य हैण्डपंप पर्याप्त मात्रा में स्थापित व चालू हैं, अतः पेयजल संकट की स्थिति नहीं है। शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार।** निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

<u>सीताराम बाग जावरा के भूमि बंटन की जांच</u>

22. **(क्र. 1138) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीतारामबाग जावरा जिला रतलाम के बारे में अता. प्रश्न 39 (क्रं. 708) दिनांक 23.11.2011 के प्रश्नांक (क) के उत्तर में बताया था कि कलेक्टर रतलाम द्वारा पुनः जांच की नस्ती चाही गई थी एवं आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा भेजे गये जांच प्रतिवेदन के आधार पर संपूर्ण कार्यवाही करते हुए अवगत करावें एवं उक्त कार्यवाही हेतु कलेक्टर रतलाम को निर्देशित किया गया है? उक्त प्रकरण में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण दें? (ख) इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु तत्कालीन माननीय राजस्व मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 06.12.2012 को प्रश्न 8(क्र. 5) पर चर्चा में बताया कि तीन माह में संपूर्ण कार्यवाही करने के सदन में दिये गये आश्वासन के संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? सम्पूर्ण विवरण देवें? (ग) साथ ही यह बतायें कि जब आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर व आयुक्त उज्जैन ने जिलाधीश को एस.डी.ओ. का आदेश निरस्त कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे? यदि कार्यवाही की गई, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) व (ख) से संबंधित प्रकरण में प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब कितने-कितने पत्र लिखे गये और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण देवें? साथ ही यह बतायें कि जनवरी 2015 में आयुक्त एवं जिलाधीश को लिखे पत्र पर क्या कार्यवाही हुई? यहाँ पर विधायक सांसद फंड से बने भवन अभी किसके आधिपत्य में है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>श्योपुर वि.स. क्षेत्र के अनियमित पट्टों की जानकारी</u>

23. **(क्र. 1204) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेवाड़ा के अंतर्गत ग्राम मेवाड़ा मालियों के टपरे, भसुंदर के टपरे, कछार व कछार के टपरों की भूमि सर्वे क्रं-1433 मिन 1, 1433 मिन 6, 1433 मिन 7 व 8 सहित लगभग 5 दर्जन सर्वे क्रमांकों की शासकीय बीहड़ भूमि के पट्टे वर्ष, 2000-01 से वर्तमान तक की अवधि में किस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कब-कब, किस-किस व्यक्ति के नाम किये, नाम, पते बतावें? (ख) क्या ये सच है कि उक्त पट्टेधारी उक्त ग्राम पंचायत के भूमिहीन मूल निवासी भी नहीं हैं, उक्त पट्टे की भूमि पर पट्टेधारी कभी काबिज़ भी नहीं रहे? (ग) क्या ये भी सच है कि उक्त स्थिति के बावजूद विभाग के संबंधित अमले द्वारा अनियमित तरीके से अपात्र व्यक्तियों के नाम, पट्टे करके उनका अमल खसरा पंचशाला में भी कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्या शासन इस पूरे मामले की जांच करवाकर तथा उक्त अवैध पट्टों को निरस्त करके निरस्त पट्टों की भूमियों का पट्टा उन पर वर्षों से काबिज़ खेती कर रहे स्थानीय पात्र व्यक्तियों के नाम करेगा? (घ) इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वार माह-अक्टूबर, 2014 में कलेक्टर श्योपुर को भेजे गये पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>पशु चिकित्सालयों में दवा/उपकरण की क्रय नीति</u>

24. **(क्र. 1256) श्री हर्ष यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पशुपालन विभाग के चिकित्सालयों में दवाई व उपकरण आदि की खरीदी के लिए क्या मापदण्ड नीति निर्धारित है? दवाओं व उपकरणों की गुणवत्ता की जाचं हेतु क्या प्रकिया अपनाई जाती है? (ख) सागर संभाग में कहाँ-कहाँ, किस स्तर के पशु चिकित्सालय संचालित हैं? इनमें किस-किस वर्ग के कितने पद कहाँ-कहाँ रिक्त हैं? इनकी प्रतिपूर्ति कब तक की जावेगी? (ग) सागर संभाग के चिकित्सालयों की मांग की प्रतिपूर्ति हेतु गत तीन वर्ष में कहाँ-कहाँ, कितने राशि से कब-कब दवाईयां व उपकरण किन-किन फर्मों से किस नियम, नीति, मापदण्ड से क्रय किये गये? क्या इसमें विभाग की क्रय नीति का पूर्णरूपेण पालन किया गया? दवाओं व उपकरणों की गुणवत्ता जांच कब-कब, किस संस्था से कराई गई?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग के पृ. क्रमांक एफ 2-9/2012/35 भोपाल दिनांक 12 जून 2012 के द्वारा औषधि क्रय नीति जारी की गई। उक्त क्रय नीति में दिए गए निर्देशानुसार ही क्रय की कार्यवाही की जाती है। दवाईयों व उपकरणों की गुणवत्ता की जॉच हेतु मध्यप्रदेश शासन पशुपालन द्वारा जारी औषधि क्रय नीति की कंडिका 8.6,8.7,8.8,8.9,8.10 एवं 8.11 अनुसार के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। दवाईयों व उपकरणों के क्रय करने के मापदण्ड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - अ अनुसार** है। (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र - ब अनुसार**। पशु

चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति हेतु कार्यवाही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति हेतु कार्यवाही व्यापम के द्वारा तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति हेतु कार्यवाही संविदा नियमों के अंतर्गत प्रचलन में है। समयसीमा बताना संभव नहीं है। (ग) सागर संभाग में दवाईयों एवं उपकरणों का क्रय विभागीय औषधि क्रय नीति का पालन करते हुए किया गया है। औषधि/उपकरण क्रय एवं औषधि/उपकरणों की गुणवत्ता जॉच की जानकारी **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र- 'स' अनुसार** है।

<u>वि.स.क्षेत्र बण्डा में संचालित नल-जल योजनाऍ</u>

25. **(क्र. 1260) श्री हरवंश राठौर :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधान सभा क्षेत्र बण्डा में वर्तमान स्थिति में कौन-कौन सी नल-जल योजना संचालित हैं एवं उनमें से कितनी चालू एवं कितनी, किन कारणों से बंद हैं? (ख) ऐसी कितनी योजनाएं हैं, जो पाईप लाईन/मोटर खराब/विद्युत कनेक्शन/ जल स्त्रोत असफल होने के कारण बंद हैं, जिनकी बंद होने की जानकारी विभाग को है, फिर भी बंद नल-जल योजनाएं चालू नहीं की गई हैं? (ग) ऐसी कितनी योजनाएं हैं, जो अपूर्ण हैं और कब तक पूर्ण करा ली जावेगी? साथ ही जल स्तर की जांच कराने के बाद भी बोर असफल रहे हैं, उन ग्रामों में पानी उपलबध कराने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को चालू करने में उदासीनता बरतने के लिए संबंधितों पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 109 संचालित योजनाओं में से 67 चालू व 42 बंद हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार**। (ख) 23 योजनाएं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार**। (ग) 9 योजनाएं, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार**। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती। ऐसे ग्रामों में रेजिस्टिविटी सर्वेक्षण कराकर पुनः नलकूप खनन की कार्यवाही की जा रही है। (घ) स्रोत समाप्त होने से बंद योजनाओं को चालू कराने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है। विद्युत कनेक्शन विच्छेद होने, मोटरपंप खराबी, पाईप लाईन क्षतिग्रस्त आदि के कारण बंद योजनाओं को चालू करने की कार्यवाही ग्राम पंचायत को करना है।

<u>शासकीय भूमि का नोईयत परिवर्तन</u>

26. **(क्र. 1267) श्री ठाकुरदास नागवंशी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय जमीन का अभाव होने से शासन की अन्य जमीन को आवासीय भूमि में बदलने की कार्यवाही के जिलेवार कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? (ख) जिलेवार, तहसीलवार अन्य प्रकार की जमीन की नोइयत परिवर्तन कर आवासीय भूमि में बदलने की कार्यवाही लंबित रहने के लिये विलंब किस स्तर पर हो रहा है एवं उसका

उत्तरदायित्व नियत किया जावेगा? (ग) यदि हाँ, तो ऐसे सभी प्रकरणों का निराकरण कब तक ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भूमि उपलब्ध करायी जाकर आवासीय पट्टे वितरण की कार्यवाही कब तक की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अवैध कालोनाइजर से विकास शुल्क की वसूली

27. **(क्र. 1274) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि तहसील व जिला छतरपुर के ग्राम बगौता के खसरा क्रमांक 1111 में अवैध घोषित लोकनाथपुरम कालोनी बनाई गई है, उसके कालोनाईजर एवं प्लाटों के विक्रेता के नाम एवं पतों का विवरण प्रदान किया जावे? (ख) उक्त अवैध घोषत कोलोनी में कालोनाईजर द्वारा कितना विकास शुल्क जमा किया गया है? यदि नहीं किया गया, तो शासन ने विकास शुल्क का कितना आकलन किया है? यदि आकलन नहीं किया, तो कब तक आकलित किया जावेगा और कब तक वसूल किया जावेगा? (ग) क्या उक्त अवैध घोषित कालोनी के संदर्भ में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने प्रकरण क्रमांक 342/बी-121/98-99, आदेश दिनांक 13/10/2004 में उक्त कालोनाईजर के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण करने हेतु आदेश दिया था? (घ) यदि हाँ, तो क्या आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया? यदि नहीं, तो कब तक कराया जाएगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** (ख) प्रकरण क्र0 345/बी-121/98-99 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2004 के अनुसार विकास शुल्क निर्धारित नहीं है। (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गोटेगॉव विधान सभा क्षेत्र में संचालित ऑगनवाड़ी केन्द्र

28. **(क्र. 1340) डॉ. कैलाश जाटव :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गोटेगॉव शहर के लिये कितने ऑगनवाड़ी केन्द्र, उपकेन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गई है? सूची उपलब्ध करायें? (ख) क्या इन स्वीकृत केन्द्रों हेतु भवन/स्थान उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्या ये केन्द्र मासिक किराये के भवनों पर चल रहे हैं? मासिक किराया की दरों का निर्धारण एवं इस राशि पर आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु कितने भवन मिले हैं? (ग) वर्तमान में गोटेगॉव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जो स्वीकृत तो है लेकिन स्थान न मिलने के कारण खुले नहीं है? विभाग द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किये गये? (घ) ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र है जो कि आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता के कारण बंद किये गये एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई है? सूची उपलब्ध करायें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) गोटेगांव शहरी क्षेत्र में 16 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है, उपकेन्द्र स्वीकृत नही है। जानकारी **संलग्न परिशिष्ट 'एक' पर** है। (ख)

गोटेगांव शहरी क्षेत्र में संचालित 16 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 12 किराये के भवन मे तथा 4 अन्य शासकीय भवन में संचालित है। निर्धारित मापदण्ड अनुसार भवन/स्थान उपलब्ध न होने से वर्तमान में किराये के भवन में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रतिमाह रू. 200/- की दर से किराया राशि का भुगतान किया जा रहा है। (ग) गोटेगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 278 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत होकर संचालित है। अतः शेष जानकारी का प्रश्न ही उपस्थित नही होता। (घ) जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट - ''ग्यारह''

अधिग्रहित भूमि से प्रभावित व्यक्तियों को स्थाई नौकरी

29. **(क्र. 1343) श्री राजेन्द्र मेश्राम :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जिला सिंगरौली के अंतर्गत स्थापित उद्योगों में भू-अर्जन की स्वीकृति आदेश में यह शर्त निर्धारित की गई है कि जिन व्यक्तियों के जमीन अधिग्रहित की जावेगी उनके परिवार के एक सदस्य को स्थापित उद्योग में स्थाई नौकरी दी जावेगी? यदि हाँ तो जिला सिंगरौली में स्थापित उद्योगों में कितने व्यक्तियों की जमीने अधिग्रहित की गई है? उनके कितने परिवार के सदस्यों को कम्पनी/उद्योग में स्थाई नौकरी दी गई? उद्योग व व्यक्तिवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कम्पनी प्रबंधन व शासन के मध्य इकरार नामा भू-अर्जन अधिनियम की धारा-41 के तहत सम्पादित किया गया है? यदि हाँ तो इकरार नामा के बाद भी उसका पालन न करने पर प्रबंधन के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? कब तक की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं। स्थापित उद्योग हिंडाल्को एल्यूमीनियम कैप्टिव पावर प्लांट बरगवां के साथ हुए करारनामें में उल्लेख है कि जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रहीं है कंपनी उन परिवारों के कम से कम एक सदस्य को आदर्श पुनर्वास नीति 2002 के तहत नौकरी देगी। हिंडाल्कों कंपनी द्वारा 2029 परिवारों की भूमियां अर्जित की गई है तथा कंपनी द्वारा 358 लोगों को स्थाई नौकरी तथा 1020 लोगों को अस्थायी रोजगार तथा 50 लोगों को भत्ता दिया जा रहा है। व्यक्तिवार जानकारी कंपनी से एक़त्र कर उपलब्ध कराई जावेगी। (ख) जी हाँ करारनामें की शर्तो के पालन हेतु कंपनी के द्वारा भूमियों के अभिहस्तांकन रखने बावत चाही गई स्वीकृति में करारनामा एवं पुनर्वास नीति के पालन पर वचन बद्धता को अभिहस्तांकन हेतु दी जा रही अनुमति की शर्तो में प्रीकण्डीशन के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। करारनामें की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। अतः किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

आष्टा विधानसभा क्षेत्र में नल-कूप खनन

30. **(क्र. 1351) श्री रणजीतसिंह गुणवान :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत 2 वर्षो में आष्टा विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजना अंतर्गत नल-कूप खनन किये गये ग्रामवार एवं वर्षवार जानकारी देवें? (ख) क्या यह सही है कि कम जनसंख्या वाले ग्रामों में 3-3 नल-कूप खनन कर दिये गये, तथा समस्याओं वाले तथा अधिक जनसंख्या वाले गांवों में एक भी नलकूप खनन नही किये गये गये? क्यों कारण बतावें? (ग) क्या शासन इसकी जांच करवायेगा? (घ) जिन ग्रामों में नलकूप खनन नहीं हुये वहाँ पर कब तक लग जायेंगे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार।** (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश-'ख' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार आंशिक पूर्ण श्रेणी के ग्रामों/बसाहटों में नलकूप खनन कार्य किये जावेंगे। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

<u>विद्यालयों/महाविद्यालयों की भूमि का शिक्षा विभाग की बुक्स पर अंकन</u>

31. **(क्र. 1358) श्री राजेश सोनकर :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शिक्षा से संबंधित स्कूल शिक्षा के अंतर्गत आने वाले कई भवन और परिसर नजूल, पंचायत, नगर निगम, वगैरह की बुक्स पर अंकित हैं? (ख) यदि हाँ तो प्रश्नांश (क) के सभी भवनों को शिक्षा विभाग की पुस्तकों पर कब तक अंकित किया जा सकेगा जबकि कई बार जिलाधीशों को इस बावत निर्देश दिये जा चुके है? (ग) क्या यह सही है कि प्रमुख सचिव की एक बार बैठक में भी इस पर निर्देश हुये है शिक्षा महाविद्यालय देवास के प्राचार्य के पत्र पर भी कार्यवाही प्रारंभ हुई, किन्तु कोई अंतिम निर्णय नही हुआ? (घ) दि. 31.1.15 की स्थिति में क्या कार्यवाही शिक्षा विभाग की बुक्स पर लेने बावत हुयी है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>राजस्व संभागायुक्त इंदौर द्वारा की गई जांच</u>

32. **(क्र. 1359) श्री राजेश सोनकर :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि संभागायुक्त इंदौर के पत्र क्रं. 2033/वि.6/शिकायत/14 दि.17.07.2014 के संदर्भ में एक अधिकारी की जांच की गई थी? (ख) यदि हाँ तो जांच रिपोर्ट कब और कहाँ प्रस्तुत की गई, उसमें मोटे तौर पर कौन-कौन से तथ्य उस अधिकारी के विरूद्ध पाये गयें? (ग) जांच रिपोर्ट पर 31.01.15 तक अगर अधिकारी दोषी पायी गया तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) इस जांचाधीन अधिकारी पर क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) संभागायुक्त कार्यालय इन्दौर संभाग द्वारा डॉ. के. के. पाण्डे संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इन्दौर संभाग इन्दौर से जांच कराई जाकर जांच प्रतिवेदन भेजा गया जो कि दिनांक 06.08.2014 को संचालनालय लोक शिक्षण में प्राप्त हुआ। जाचं प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) श्री एस. बी. सिंह, तत्कालीन संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होने के कारण जांच प्रतिवेदन आगामी कार्यवाही हेतु श्री सिंह के पैतृक विभाग उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किया गया है। (घ) श्री एस. बी. सिंह का मूल विभाग उच्च शिक्षा विभाग होने के कारण जांच रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को अंतिम निर्णय लेने हेतु प्रेषित की गई है।

अनुविभागीय अधिकारियों के पास लंबित जांच

33. **(क्र. 1433) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विदिशा एवं रायसेन जिले के राजस्व अभिलेखों में विभिन्न मदों एवं विभिन्न प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच वर्तमान में भी कर रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो किस अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा कितने ग्रामों की कितनी दखल रहित जमीनों की वर्तमान में धारा 5 से 19 तक की जांच की जा रही है? यह जमीनें राजस्व अभिलेखों में किन-किन मदों एवं किन-किन प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनें हैं? (ग) राजस्व अभिलेख में दर्ज दखल रहित जमीनों के संबंध में भू-राजस्व संहिता, 1959 के अध्याय 18 की किस धारा में क्या प्रावधान दिए हैं? उसके अनुसार किस दिनांक को राजपत्र में नियम अधिसूचित किए गए? (घ) दखल रहित जमीनों की धारा 5 से 19 तक की जांच के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को भू-राजस्व संहिता, 1959 की किस धारा में दिए गए हैं? यदि अधिकार नहीं दिए गए, तो जांच का क्या कारण है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मजरों टोलों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना

34. **(क्र. 1464) श्री भारत सिंह कुशवाह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कुछ मज़रों-टोलों के ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने के लिऐ राजस्व विभाग द्वारा सर्वे कराया गया है? यदि हाँ, तो कब? नहीं, तो क्या सर्वे कराया जावेगा? (ख) क्या वर्ष, 2014 में राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए जिला कलेक्टर एवं शासन को ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही हुई? कितने प्रस्ताव प्राप्त हुऐ? कितने जनप्रतिनिधियों के पत्र प्राप्त हुऐ? (ग) क्या कुछ प्रस्तावों पर विचार कर कितने राजस्व ग्राम घोषित किये गये, संख्या सहित बतावें? नहीं, तो क्यों? कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) राजस्व ग्राम बनने की सूची

में ग्रामों के सम्मिलित होने की क्या पात्रता है? सम्मिलित होने का क्या नियम है? इसके लिए कौन अधिकारी सक्षम है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मजरा टोलों को राजस्व ग्राम बनाने के लिये सर्वे सितम्बर-अक्टूबर 2012 में कराया गया। **(ख)** वर्तमान में जिला स्तर पर प्रस्तावों पर कार्यवाही चल रही है। ग्वालियर जिले में ग्राम पंचायतों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु कुल तीन प्रस्ताव जन प्रतिनिधियों से प्राप्त हुए हैं। **(ग)** कुल 2 मजरा टोलों काशीपुर एवं महामदपुर को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। शेष पर नियमानुसार कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलित है। **(घ)** भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 के नियमों/मापदंडों /प्रावधानों अनुसार 1/ मूल राजस्व ग्राम में मजरा टोलों की दूरी लगभग 02 किलोमीटर या अधिक होनी चाहिए 2/ पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो तथा पृथक हुए उक्त ग्राम की आबादी 200 या अधिक होनी चाहिए 3/ पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की चतुर्सीमाएं मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामों से मिलना चाहिए। मजरे टोलों से पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमाएं मूल ग्राम की सीमाओं के अन्दर स्थित न हों। नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने संबंधी निर्देश **संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर** हैं।

<u>परिशिष्ट – "बारह"</u>

<u>सड़क दुर्घटनाओं में घायल/मृत व्यक्तियों को मुआवजा</u>

35. **(क्र. 1495) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन एवं देवास जिले में 1 जनवरी 2012 से 31 जनवरी 2015 की अवधि में सड़क दुर्घटना में कितने लोग मारे गये, कितने घायल हुए, कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ? जिलेवार सूची दें? (ख) किन-किन मृत तथा घायल व्यक्तियों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि दी गई? किन-किन मृत तथा घायलों को मुआवजा राशि क्यों नहीं दी गई? कारण बतायें? (ग) उक्त जिलों में सड़क दुर्घटना रोकने हेतु किन-किन सड़कों का विशेषज्ञों द्वारा सैफ्टी आडिट कराया गया? (घ) उक्त जिलों में सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु विगत 3 वर्षो में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अतिरिक्त क्या-क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) दिनांक 1 जनवरी 2012 से 31 जनवरी 2015 की अवधि में सड़क दुर्घटना से राससेन जिला में 780 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 3267 घायल हुए हैं एवं 70000/- रूपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ हैं। जबकि इसी अवधि में जिला देवास में 635 की मृत्यु तथा 4774 व्यक्ति घायल हुए हैं एवं 3547900/- रूपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। (ख) दुर्घटना में घायल तथा मृत व्यक्तियों के संबंध में राशि दुर्घटनादावा अधिकरण के आदेशों के अनुसार बीमा कम्पनियों तथा वाहन मालिको द्वारा दिया जाता है। शासन द्वारा राशि नहीं दी जाती है। (ग) जी नहीं। (घ) विगत 03 वर्षो में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम

हेतु रायसेन एवं देवास जिलों द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के अतिरिक्त की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट – "तेरह"

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि

36. **(क्र. 1496) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के विरूद्ध विभाग को वर्ष, 2010-11 से 2013-14 तक कितनी राशि प्राप्त हुई, तथा 1 फरवरी, 2015 तक कितनी राशि व्यय हुई, तथा कितनी राशि व्यय नहीं हुई,? (ख) वर्ष, 2014-15 में विभाग को कितनी राशि प्राप्त होना थी? क्या उक्त राशि प्राप्त हो गई है? (ग) यदि नहीं, तो उक्त राशि प्राप्त करने हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास किये, पूर्ण विवरण दें? (घ) प्रश्नांश (क) की राशि, जो व्यय नहीं हुई है, उक्त राशि समयावधि में व्यय हो, इस हेतु क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) प्राप्त राशि की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। 1 फरवरी, 2015 तक केन्द्र से प्राप्त एसडीआरएफ की राशि व्यय की जा चुकी है। "क्षमता निर्माण" के लिये प्राप्त राशि रूपये 10.00 करोड़ में से राशि रूपये 8.41 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। शेष राशि व्यय की प्रक्रिया में है। (ख) राशि रूपये 358.04 करोड़ एसडीआरएफ मद से प्राप्त होना थे, जो कि केन्द्र से प्राप्त हो चुके हैं। 13वें वित्त आयोग से अनुशंसित क्षमता निर्माण हेतु 5.00 करोड़ केन्द्र से अपेक्षित हैं। (ग) "क्षमता निर्माण" की शेष राशि प्राप्त करने हेतु केन्द्र से सतत् पत्राचार जारी है। (घ) एसडीआरएफ की समस्त राशि व्यय की जा चुकी है। "क्षमता निर्माण" की शेष राशि व्यय की प्रक्रिया में है।

परिशिष्ट – "चौदह"

राजस्व वनग्राम की संख्या

37. **(क्र. 1542) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में कितने राजस्व ग्राम हैं? संख्या देवें? (ख) कितने वनग्राम हैं, जो राजस्व ग्राम घोषित नहीं हैं? (ग) कितने राजस्व गामों में वनभूमि है? (घ) शेष वनग्राम कब तक राजस्व ग्राम घोषित होंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्थाई पटेलों को कमीशन का भुगतान

38. **(क्र. 1553) श्री मधु भगत :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में भू-राजस्व संहिता की धारा 222 के अंतर्गत कृषि ग्रामों में नवीन स्थाई पटेलों के रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के क्या नियम है? प्रतिलिपि प्रदान करें? (ख) परसवाड़ा विधानसभा

क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने ग्रामों में स्थाई पटेलों के माध्यम से लगान वसूली की जा रही है? जिलेवार/ग्रामवार जानकारी प्रदाय करें? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन ग्रामों में पटेली व्यवस्था लागू है, उन ग्रामों में 1995 से प्रश्न दिनांक तक राजस्व वसूली का रूका हुआ कमीशन स्थाई पटेलों को नहीं दिया जा रहा है? यदि नहीं दिया तो क्यों नहीं? यदि दिया जावेगा तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्थाई पटेलों के वेतन संबंधी नियम बनाए जाना

39. **(क्र. 1554) श्री मधु भगत :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार स्थाई पटेलों के मानदये/कमीशन/वेतन संबंधी कोई नियम बना रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या यह भी सही है कि 1995 के पूर्व में स्थाई पटेलों को कमीशन/वेतन दिया जाता था? अब क्यों नहीं? कारण स्पष्ट करें? (ग) क्या स्थाई पटेलों को ग्रामसभा/आमसभा का सदस्य मनोनीत किया जाना न्यायोचित नहीं होगा? क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

क्षेत्रीय पेयजल समस्या का निराकरण

40. **(क्र. 1604) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) हटा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितनी नल जल योजनाएं मुख्यमंत्री पेयजल योजना की है? कब-कब स्वीकृत हुई थी व कितनी-कितनी राशि से स्वीकृत हुई? इनकी कार्य ऐजेंसी क्या रही? (ख) क्या यह सही है कि दमोह जिले की हटा विधान सभा क्षेत्र में 75 प्रतिशत नल जल योजनाओं से जनता को पानी नहीं मिल रहा है? व 70 प्रतिशत हेण्डपंप बिगड़े पड़े हैं? सामग्री नहीं है? इसके लिए विभाग किसको जिम्मेदार ठहरायेगा? (ग) क्या समस्त नल जल योजनाएं एवं हेण्डपंप संचालन हेतु एक निगरानी समिति गठित कर चालू कराये जाने हेतु शासन स्तर पर कोई योजना बनाकर चालू कराये जावेगें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 16 योजनाएं। शेष जानकारी **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ख) जी नहीं। जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में संचालित सांझा, चूल्हा

41. **(क्र. 1605) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिला बाल विकास परियोजना हटा एवं पटैरा में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र है? ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें? (ख) इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में वर्तमान में कौन-कौन से स्व सहायता समूह सांझा चूल्हा कार्यक्रम हेतु अनुबंधित है? केन्द्रो

को 2013-14 एवं 2014-15 में सांझा चूल्हा कार्यक्रम हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि तथा खाद्यान दिया गया? (ग) बंटन में विलंब के कारण क्या योजना बंद रही यदि नहीं तो कैसे संचालित होती रही जानकारी उपलब्ध करावें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) दमोह जिले के परियोजना हटा में 151 आंगनवाडी केन्द्र तथा 37 उप आंगनवाडी केन्द्र एवं पटेरा में 153 आंगनवाडी केन्द्र तथा 48 उप आंगनवाडी केन्द्र संचालित है। ग्रामवार एवं केन्द्रवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-** 1 **अनुसार** है। (ख) परियोजना हटा एवं पटेरा के आंगनवाडी केन्द्रों में वर्तमान में सांझा चूल्हा कार्यक्रम हेतु अनुवधित स्व-सहायता समूहो की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-** 2 **अनुसार** है। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 साझा चूल्हा अंतर्गत परियोजना हटा एवं पटेरा अंतर्गत स्व-सहायता समूह को प्रदाय राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-** 3 **अनुसार** एवं प्रदाय खादयान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -** 4 **अनुसार** है । (ग) जी नहीं। योजनान्तर्गत बंटन में कोई विलम्ब नही हुआ। स्व-सहायता समूह द्वारा माहवार प्रस्तुत देयकों के अनुसार राशि प्रदाय की गई है।

<u>अपात्र व्यक्तियों को पट्टे का वितरण</u>

42. **(क्र. 1682) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कैलारस तहसील जिला मुरैना में सन् 1990 में तत्कालीन राजस्व हल्का नं. 18 वर्तमान हल्का नं. 39 ग्राम रिठोनिया में अपात्र व्यक्तियों को नियमों, शर्तो के विपरीत कृषि भूमि पट्टे पर आवंटित कर दी गई थी? (ख) क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (क) में वर्णित राजस्व हल्का ग्राम में बैजनाथ, बनवारी पुत्रगण जीवनलाल को भी नियम विरूद्ध पट्टे आवंटित कर दिये गये थे? यदि हाँ, तो कितनी भूमि आवंटित की गई? पट्टे पर भूमि आवंटित करने के पात्रता संबंधी नियम एवं शर्तें क्या हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में वर्णित व्यक्तियों को दिये गये नियम विरूद्ध पट्टे निरस्त किये जावेंगे और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अपात्र पट्टाधारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? (घ) नेपरीपुल क्वारी नदी पुल निर्माण में पट्टे की भूमि उपयोग होने पर क्या शासन द्वारा मुआवजा दिया गया है या देने की कोई योजना है? क्या अपात्र व्यक्तियों के पट्टे पर भी मुआवजा दिया जायेगा? क्या पट्टे की जमीन पर मुआवजा दिये जाने का कोई प्रावधान है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) ग्राम रिठौनिया के वर्तमान अभिलेख में भूमि सर्वे क्रमांक-65,मिन-2रकबा 0.840,सर्वे क्रमांक 140 रकबा 0.050 सर्वे क्रमांक 155 रकबा 0.610 कुल किता 3 रकबा 1.500 पर बैजनाथ, बनवारी पुत्रगण जीवनलाल जाति ब्रा. समानभाग, शासकीय पट्टेदार से बना भूमिस्वामी, भूमि विक्रय से वर्जित अंकित है। पट्टा आवंटन संबंधी नियम व शर्तें भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 168 अनुसार है। (ग) वस्तुस्थिति की जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया है। जांच में पट्टा नियम विरूद्ध पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावगी। (घ) जी नहीं। पुल निर्माण में आने वाले कृषकों

की भूमि का मुआवजा देने की कार्यवाही मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा की जा रहीं है।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम

43. **(क्र. 1763) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2011 से 31.12.14 तक कितनी सड़क दुर्घटनाएं प्रकाश में आई और कितने लोगों की मृत्यु हुई उनकी कितनी संख्या है तथा कितने लोगों के अंग भंग हुए? (ख) सड़क एवं भूतल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एकत्रित किये जा रहे आकड़ों के अनुसार प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में रोकथाम एवं कमी लाने हेतु कितनी क्रेने प्राप्त की गई? (ग) सामुदायिक पुलिसिंग के अन्तर्गत ट्राफिक वार्डन योजना को छतरपुर जिले को सुगम एवं दुर्घटनाविहीन बनाने हेतु अब तक प्रयास न करने वाले जिम्मेदार कौन-कौन अधिकारी है? क्या यह सही है कि दुर्घटनाएं एवं सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) 16 क्रेने प्राप्त हुई है परन्तु सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में 36 क्रेने कार्यरत है जो अन्य विभाग एवं किराये से ली गई है। (ग) छतरपुर जिले में सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत ट्रेफिक वार्डन योजना में जिले से स्कूली छात्रों एन0सी0सी0 कैडिट्स एवं ट्रैफिक वार्डनों से समय-समय पर यातायात व्यवस्था बनाने में सहयोग लिया जाता है। जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास किये जा रहे है।

परिशिष्ट – ''पन्द्रह''

शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाना

44. **(क्र. 1810) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के तारा. प्रश्न संख्या 7 (क्र. 45) दिनांक 10.12.2014 के प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अशोकनगर शहर के मध्य में करोड़ों रुपयों की शासकीय भूमि का विवाद न्यायालय में है? उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति का कब से कब्जा है? भूमि का विवरण सर्वे नं., रकबा नं. तथा हैक्टेयर आदि सहित विवरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित जब अशोकनगर, गुना जिले में था तब तत्कालीन जिलाधीश श्रीमती नीलम राव ने किस तिथि को उक्त भूमि पर पुलिस तथा प्रशासन की मदद से कब्जा हटाया था? तथा उस समय कब्जा करने वाले व्यक्ति पर क्या कार्यवाही की गई? उक्त भूमि पर जिलाधीश, प्रशासन, तथा पुलिस द्वारा कब्जा हटाने के बाद दुबारा किस तिथि, किस व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया नाम पते सहित विवरण दें? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) से संबंधित प्रभारी मंत्री के लिखित आदेश तथा राजस्व मंत्री के कब्जा हटाने के आश्वासन के बावजूद कब्जा अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? मध्यप्रदेश मंत्री मंडल के दो केबीनेट मंत्रियों के लिखित आदेश के बावजूद शासकीय भूमि से कब्जा क्यों नहीं हटाया गया तथा उसका कारण स्पष्ट करते हुये बतावें कि उक्त कब्जा कब तक हट जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। इस भूमि सर्वे न. 555/2 मि 1 रकबा 1.045 हे. पर लगभग 10-12 वर्ष पूर्व से गजरामसिंह पुत्र अलोलसिंह यादव नि. खानपुर तहसील चंदेरी का कब्जा चला आ रहा है। (ख) वर्ष 2003 में इस भूमि का अतिक्रमण हटाया गया तथा मौके पर गड़ी हुयी फर्सियां भी तोडी गयी थी, अतिक्रामक द्वारा पुनः आज से 10-11 वर्ष पूर्व अतिक्रमण कर लिया था। (ग) प्रश्नांश (क),(ख) के परिपालन में न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर के प्र.क्र. 8अ68/2013-14 आ दिनांक 10-12-2014 द्वारा अतिक्रामक गजराजसिंह पुत्र अलोलसिंह यादव निवासी खानपुर तहसील चंदेरी को म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत 10000 दस हजार के अर्थदण्ड आरोपित कर शासकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया था तथा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही थी। इसी बीच अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू. पी. 8034 आ दिनांक 22-12-2014 द्वारा इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध स्थगन प्राप्त कर लिया था, इस कारण माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में उपरोक्त प्रकरण में आगामी आदेश तक कार्यवाही स्थगित की गई थी, वर्तमान में माननीय न्यायालय जिला जज अशोकनगर के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 110/14 ई.दी. आदेश दिनांक 12.02.2015 द्वारा नियत दिनांक 03.03.2015 तक मौके पर यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं।

सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि

45. **(क्र. 1822) श्रीमती रेखा यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि छतरपुर एवं बैतूल जिले के राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिये दर्ज जिन जमीनों को वन विभाग ने संरक्षित वन मानकर वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया है? उन जमीनों पर जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के तहत प्रश्नांकित तिथि तक भी सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित नहीं किए गए? (ख) यदि हाँ, तो छतरपुर जिले एवं बैतूल जिले के निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिये दर्ज कितनी जमीनों को वन विभाग ने वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया है? (ग) वर्किंग प्लान में सम्मिलित जमीनों पर सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही प्रश्नांकित तिथि तक भी जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा स्वप्रेरणा से प्रारंभ न किए जाने का क्या कारण रहा है? (घ) कब तक सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जाने की कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा सहित बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) बैतूल जिले में जिन जमीनों को वन विभाग ने संरक्षित वन मानकर वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया है, उन जमीनों पर वन अधिकार पत्र दिए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। छतरपुर जिले में निस्तार पत्रक में दर्ज भूमियों को वन विभाग द्वारा वर्किंग प्लान में शामिल नहीं किया गया है। (ख) बैतूल जिले में कुल 3684.388

हे. नारंगी वनखंडो की भूमि, एवं कुल 72688.454 है. अधिसूचित वन भूमि वर्किंग प्लान में शामिल की गई। छतरपुर जिले की जानकारी निरंक है। (ग) वर्किंग प्लान में सम्मिलित जमीनों पर सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जाने हेतु दावे ग्राम सभा/ग्राम पंचायत वन अधिकार समिति से एवं उपखण्ड स्तरीय समिति से पारित कर उपलब्ध होने पर ही जिला स्तरीय वन अधिकार समिति से प्रदाय किये जा किये जा सकते हैं। (घ) वन अधिकार समितियों से दावे प्राप्त होने पर, वन अधिकार पत्र वितरित किए जा सकते हैं। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

गैरखाते की प्रतिवेदित भूमि

46. **(क्र. 1823) श्रीमती रेखा यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के द्वारा वर्ष 2008 में किस जिले में गैर खातें की किस मद में कितनी भूमि दर्ज होना प्रतिवेदित किया है, इसमें से किस-किस मद की भूमि को सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली वन भूमि माना है? (ख) न्यायालय द्वारा परिभाषित गैर खातें में प्रतिवेदित भूमि राजस्व अभिलेखों में किन-किन सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज भूमि है? (ग) न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि में से सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज भूमि पर जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जाने हेतु राजस्व विभाग ने कब और क्या-क्या कार्यवाही की है? (घ) राजस्व अभिलेखों में दर्ज न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमियों पर सामुदायिक अधिकार पत्र दिए जाने की कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है? कब तक ऐसी जमीनों पर सामुदायिक वन अधिकार पत्र दे दिए जावेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिलों की मदवार दर्ज भूमि किसी को प्रतिवेदित नहीं की गई है। (ख) सिविल याचिका क्र-202/95 के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। (ग) सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिये जाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा रहीं है। (घ) प्रश्नाधीन वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार सामुदायिक अधिकार पत्र दिये जाने हेतु कार्यवाही नोडल विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संपादित की जा रही है।

<u>किसानों के फसल नुकसानी की क्षतिपूर्ति</u>

47. **(क्र. 1915) श्री कुंवर सिंह टेकाम :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड कुसमी एवं मझौली जिला एवं विकासखण्ड जिला सिंगरौली के अंतर्गत किसानों के फसलों का नुकसान ओला, पाला एवं अतिवृष्टि से कितने प्रकरण वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में बनाये गये थे? जानकारी ग्रामवार देवें? (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में क्या किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है? यदि हॉ तो कितने किसानों को, कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई है? (ग) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में जिन किसानों की फसल नुकसानी का क्षतिपूर्ति/राहत राशि का भुगतान नहीं किया गया है? तो क्या कारण हैं बतायें? (घ) प्रश्नांक (ग) के संदर्भ में किसानों को फसलों की नुकसानी का क्षतिपूर्ति राहत राशि का कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? समय सीमा बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) वर्ष 2012-13 में पाले से प्रभावित 259 प्रकरण एवं वर्ष 2013-14 में ओले से प्रभावित 2 प्रकरण एवं अतिवृष्टि के 5 प्रकरण बनाये गये। ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। वर्ष 2012-13 में पाले से कुल 15249 कृषकों को राहत राशि रू.36302323.00 का भुगतान किया गया एवं वर्ष 2013-14 में ओला से 53 कृषकों को राशि रू.151690.00 तथा अतिवृष्टि से 289 कृषकों को राशि रू. 1160487.00 का भुगतान किया गया है। (ग) सभी प्रभावित कृषकों को राहत राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) प्रश्नांश "ग" की जानकारी के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

<u>समूह पेयजल योजना की स्वीकृति</u>

48. **(क्र. 1921) श्री कुंवर सिंह टेकाम :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सीधी जिले के अन्तर्गत विकासखण्ड मझौली के लिये बनास नदी आधारित सामूहिक पेयजल योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? यदि हाँ, तो योजना की लागत राशि एवं कितने ग्रामों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त पेयजल योजना का निर्माण कार्य कब शुरू किया जावेगा एवं कब पूर्ण कर दिया जायेगा? (ग) सीधी जिले के अन्तर्गत विकासखण्ड कुसमी में पेयजल योजना की स्वीकृति पूर्व में दी गई थी? यदि हाँ, तो योजना स्वीकृति लागत एवं वर्ष राशि सहित बतावें? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में उक्त पेयजल योजना अभी भी अपूर्ण हैं? कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? अभी तक अपूर्ण होने का कारण क्या है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हॉ। रूपये 8166.21 लाख एवं योजना में 31 ग्राम सम्मिलित है। (ख) दिनांक 01 फरवरी 2014 को कार्यादेश जारी कर कार्य प्रारंभ कर

दिया गया है तथा 31 जनवरी 2016 तक कार्य पूर्ण होना लक्षित है। (ग) जी हॉ, स्वीकृत राशि रूपये 181.00 लाख एवं स्वीकृति वर्ष 2008। (घ) जी हाँ। योजना को शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयास किये जा रहे है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नही है। जिलास्तर से योजना की पूर्णता हेतु समयानुरूप कार्यवाही न किये जाने के कारण क्रियान्वयन में विलंब हुआ है, संबंधित तत्कालीन कार्यपालन यंत्री को कार्यों में लापरवाही बरतने के संदर्भ में निलंबित किया जा चुका है।

बड़वाहा/सनावद में दुग्ध वितरक की नियुक्ति

49. **(क्र. 1941) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) साँची दुग्ध के वितरण नियुक्ति के शासन के नियम क्या है? किसी शहर आदि में जनसंख्या के हिसाब से कितने वितरक नियुक्त किये जा सकते हैं? दुग्ध वितरक की नियुक्ति हेतु शासनादेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) नगर, बड़वाहा में साँची दुग्ध वितरक के नियुक्ति हेतु विगत 6 माह में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए है? एवं इन प्राप्त आवेदन-पत्रों पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी साँची दुग्ध संघ इंदौर द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दुग्ध वितरक की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने के बाद भी कोई नियुक्ति नहीं की गई है? जिससे नगर, बड़वाहा की जनता को शुद्ध एवं ताजा दूध से वंचित किया जा रहा है? (ग) क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा नगर, बड़वाहा में दुग्ध वितरक की नियुक्ति हेतु मुख्य सचिव को लिखा गया है? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई है? क्या यह भी सही है कि नगर सनावद में एक दुग्ध वितरक की नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है? तथा इंदौर स्थित दुग्ध अधिकारी द्वारा पक्षपात रवैया अपनाया जा रहा है? (घ) उक्त नगर, बड़वाहा एवं नगर सनावद में वितरक की नियुक्ति कब तक की जावेगी? समय-सीमा बताई जावे? एवं लापरवाह अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) साँची दूध वितरक नियुक्ति हेतु उस क्षेत्र में जहाँ पर वितरक नियुक्त किया जाना होता है, वितरण की संभावनाओं को देखते हुए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर निर्धारित अनुबंध अनुसार वितरक नियुक्त किया जाता है। वितरक नियुक्ति हेतु अनुबंध की शर्तो की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) बडवाह क्षेत्र हेतु विगत 6 माह की अवधि में वितरक नियुक्ति हेतु केवल एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पर आवेदक को अवगत कराया गया था कि वे वहाँ पर कितना दूध विक्रय कर सकते हैं। वर्तमान में यदि वे दूध वितरण प्रारंभ करना चाहते हैं तो उस मार्ग पर नियुक्त वितरक के माध्यम से एजेंसी प्रारंभ कर सकते है। किसी व्यक्ति विशेष को किसी अनुसंशा पर वितरक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह कार्य सिर्फ समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित

कर आर्थिक रूप से सक्षम एवं दूध वितरण करने योग्य व्यिक्ति को ही वितरक नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में बडवाह शहर में 800 लीटर दूध वितरण किया जा रहा है। बडवाह शहर में जनता को शुद्ध एवं ताजा दूध आसानी से उपलब्ध है। (ग) जी हॉं, बडवाह शहर में वर्तमान में वितरक नियुक्ति आवश्यक नहीं है। चूंकि बडवाह शहर का वितरण सनावद मार्ग के वितरक द्वारा वर्षो से किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाया गया है। (घ) सनावद मार्ग पर वितरक नियुक्त है एवं उसके द्वारा संतोषप्रद कार्य संपादित किया जा रहा है। वर्तमान में बडवाह में वितरक नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – ''सोलह''

ग्राम झिरमिला में पेयजल योजना

50. **(क्र. 1974) श्रीमती नंदनी मरावी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सिहोरा विधानसभा क्षेत्र के कुण्डम विकासखण्ड के ग्राम झिरमिला में शासकीय नलजल योजना लागू की गई हैं? (ख) यदि हॉं, तो क्या इस योजना की पाईप लाईन पूरे गॉव में डाली गई हैं? यदि नहीं, तो शेष गॉव में कब तक डाली जायेगी? (ग) क्या यह नलजल योजना से पानी सप्लाई शुरू हो गयी है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक शुरू हो सकेगा? (घ) पानी सप्लाई शुरू न होने के लिये कौन जिम्मेदार हैं, तथा इसको शुरू कराने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) स्वीकृत योजना के प्रावधानों के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश-''ग'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इलेक्ट्रानिक टोटल स्टेशन से सीमांकन

51. **(क्र. 2065) श्री संजय शर्मा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि इलेक्ट्रानिक टोटल स्टेशन (E.T.S.) मशीन के उपयोग से ही सीमांकन कार्य करने के निर्देश जिलों को दिये गये है? (ख) यदि हॉं, तो जिलों को कितनी-कितनी मशीनें दी गई है तथा क्या इस हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है? (ग) प्रत्येक तहसील में कितनी मशीन उपलब्ध कराने की विभाग की योजना है इस हेतु बजट में क्या-क्या प्रावधान है? (घ) कब तक तहसीलों में पर्याप्त संख्या में मशीन उपलब्ध करा दी जायेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) प्रत्येक तहसील के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ETS) मशीन उपलब्ध करायी गई है। शहरी जिला भोपाल एवं इंदौर में 20-20 मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। मशीन के उपयोग से सर्वे एवं सीमांकन करने हेतु प्रत्येक जिले

में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। (ग) प्रत्येक तहसील के लिए दो-दो इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ETS) मशीन उपलब्ध कराए जाने की योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह योजना स्वीकृत है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राशि इस हेतु शासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। (घ) तहसीलों में प्रदाय की गई मशीन का उपयोग एवं उपयोगिता की समीक्षा करने तथा विभागीय कर्मचारियों की दक्षता सुनिश्चित करने के पश्चात आवश्यकतानुसार और मशीन उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।

विभाग के पास उपलब्ध राशि

52. **(क्र. 2066) श्री संजय शर्मा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य योजना, आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में विभाग को कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) 31 जनवरी 2015 की स्थिति में कितनी राशि व्यय हुई? 1 फरवरी 2015 की स्थिति में विभाग के पास कितनी राशि उपलब्ध है? (ग) उक्त शेष राशि से क्या-क्या कार्य कराये जायेंगे? (घ) वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में उक्त मद में प्राप्त कितनी राशि लैप्स हुई, तथा क्यों? कारण बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- ''अ'' अनुसार** है। (ख) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- ''ब'' अनुसार** है। (ग) शेष राशि से राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में परिवर्तन@परिवर्धन का कार्य, तहसील जिला एवं संभाग में भवनों का निर्माण, राजस्व अधिकारियो@कर्मचारियों के लिये आवासीय परिसर का निर्माण तथा शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हेतु तीन मशीने क्रय की जावेगी। (घ) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- ''स'' एवं ''द'' अनुसार** है।

परिशिष्ट- ''सत्रह''

इंदौर उज्जैन संभाग में सायबर अपराध

53. **(क्र. 2083) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर, उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2010 के पश्चात कितने-कितने सायबर अपराध किन-किन थानो में किस-किस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज है, शिकायतकर्ता के नाम सहित जानकारी देवें? (ख) क्या यह सही है कि 1 जुलाई 2012 से प्रश्न दिनांक तक लगभग 1400 मामले विभिन्न थानों में दर्ज होने के बावजूद जिला स्तर पर प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी है? यदि हॉं, तो जिला स्तर पर सायबर ब्रांच का गठन कब तक कर दिया जायेगा? (ग) क्या यह सही है कि सायबर क्राईम में 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक इंदौर, उज्जैन संभाग में युवाओं एवं छात्र-छात्राओं पर लगभग 800 प्रकरण दर्ज है? यदि हॉं, तो विभाग द्वारा स्कूल, कॉलेजो में गत 1 जनवरी 2010 के पश्चात कितने जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, स्थानवार, दिनांकवार जानकारी देवें? (घ) गत 1 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक इंदौर,

उज्जैन संभाग में ऐसे कितने प्रकरण दर्ज है जो किसी धर्म के खिलाफ ठेस पहुंचाने के विषय पर दर्ज हुए? व्यक्तिवार, शिकायतकर्ता का नाम सहित जानकारी देवें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) 01 जुलाई, 2012 से प्रश्न दिनांक तक 88 अपराध पंजीबद्ध है। जिला स्तर पर कुल 44 राजपत्रित अधिकारियों को सायबर अपराध संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। (ग) जी नहीं। 81 प्रकरण दर्ज हैं, जो सायबर अपराध से संबंधित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (घ) 03 प्रकरण। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

डोडाचूरा की चोरी

54. **(क्र. 2084) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मन्दसौर, रतलाम, नीमच जिले में कितने डोडाचूरा के लायसेंस रजिस्टर्ड हैं? उनके नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) गत 1 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक उक्त जिलों में कितना डोडाचूरा चोरी होने, जलने या अन्य प्रकार से नष्ट होने की शिकायत किस-किस के द्वारा कब-कब, कहाँ-कहाँ दर्ज की गई? पुलिस द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) लगातार हो रही डोडाचूरा की चोरी एवं आगजनी को रोकने के लिए गत 5 वर्षों से पुलिस द्वारा क्या - क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही से अवगत करावें? (घ) लगातार हो रही इन घटनाओं को रोकने के लिए कब-कब ठोस नीति एवं प्रयास किए गए? इन नीतियों पर अमल क्यों नहीं किया गया?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) मंदसौर, रतलाम एवं नीमच में डोडाचूरा के कुल 60 लायसेंस रजिस्टर्ड है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार**। (ग) गत 5 वर्षो में डोडाचूरा की चोरी एवं आगजनी को रोकने हेतु समय-सीमा पर पुलिस द्वारा अपराधियों की गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखी जा रही है, डोडाचूरा के गोदामों के आसपास अधिक से अधिक गश्त की जा रही है तथा हाइवे रोड पेट्रोलिंग, गश्त कर बदमाशों की धरपकड के प्रयास किये जा रहे है। वर्तमान में हुई घटनाओं की सूचना पर तत्काल कार्यवाही कर अपराध पंजीबद्ध किये जा रहे है। (घ) इन घटनाओं को रोकने के लिये सुरक्षा बढाने हेतु निर्देश तथा समय-समय पर सुरक्षा व्यवस्था की जॉच की जाती है एवं पुलिस द्वारा निरंतर पेट्रोलिंग की जा रही है साथ ही बताई गई नीतियों/ निर्देशों पर अमल किया जा रहा है।

ग्राम गाजीपुर मंडला में पड़त भूमि पर अतिक्रमण

55. **(क्र. 2089) श्री रामप्यारे कुलस्ते :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला जिला विकासखण्ड मण्डला ग्राम गाजीपुर में कुल कितनी पड़त (शासकीय) भूमि है आबादी, पड़त नजूल छोटे-बड़े झाड सभी तरह की जमीन की जानकारी देवें? (ख) उक्त ग्राम की शासकीय राजस्व जमीन पर शासन के नियमानुसार कितने हितग्राही व्यक्ति

संस्थाओं को कितनी-कितनी जमीन आवंटित की गई है? तथा कितने लोगों ने अनाधिकृत रूप से कितनी जमीन का अतिक्रमण किया है नाम पता सहित बतावें? (ग) अगर अतिक्रमण है तो हटाने की कार्यवाही की जायेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) कुल 81.45 है. शासकीय भूमि में से, आबादी भूमि 5.54 है., नजूल भूमि रकबा निरंक, बडे झाड का जंगल 35.91 है., छोटे झाड का जंगल 40.00 है.,। (ख) ग्राम गाजीपुर में शासकीय भूमि निम्नानुसार आवंटित की गई है :-

क्रमांक	संस्थाऐं	आवंटित रकबा
1	पर्यटन विभाग	2.04 है.
2	उप संचालक पशु चिकित्सा	0.80 है.
3	ट्रांसपोर्ट नगर	1.48 है.
4	कृषि विज्ञान केन्द्र	20.80.है.
5	कोषा बीज केन्द्र	0.80 है.
	कुल योग-25.92 है.	

हितग्राही

1 विरसिंह पिता नरबद 0.44 है.

2 सुनीता पति श्याम कुमार 2.00 है.

3 रमेश पिता दिगम्बर 3.49 है.

कुल योग-5.93 है.

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण

1 श्री तन्मय महाराज 4.00 है.

2 श्री हरिहर महाराज 2.32 है.

3 श्री मानसिंह पिता कलीराम 3.25 है.

कुल योग-9.57 है.

(ग) जी हां।

<u>रतलाम जिले में सुपोषण अभियान के तहत सामग्री क्रय</u>

56. **(क्र. 2099) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रतलाम जिले में सुपोषण अभियान के तहत विगत दो वर्ष में क्या-क्या सामग्री, कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई? मदवार जानकारी दें? क्रय की गई सामग्री की विज्ञप्ति किन-किन समाचार पत्रों में किस-किस दिनांक को जारी की गई? (ख) क्या क्रय की गई सामग्री हेतु समिति का नियमानुसार गठन किया गया एवं क्या गठित क्रय समिति के माध्यम से सामग्री क्रय की गई एवं क्रय सामग्री हेतु म.प्र. भण्डार क्रय नियम, वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया है? (ग) जिले में सुपोषण अभियान तथा अटल बिहारी बाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के

अंतर्गत आज दिनांक तक प्रशिक्षणों के आयोजनों हेतु किन-किन अधिकारियों को कितनी-कितनी राशि अस्थाई अग्रिम के रूप में प्रदाय की गई? (घ) रतलाम जिले में उपरोक्त तथ्यों सहित वित्तीय वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक कुपोषित बच्चों की परियोजनावार जानकारी उपलब्ध कराएं एवं इस बाबत् इलाज हेतु विभिन्न चिकित्सालयों में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) **जानकारी परिशिष्ट ''एक'' पर संलग्न।** (ख) जी हाँ। (ग) **जानकारी परिशिष्ट ''दो'' पर संलग्न।** (घ) **जानकारी परिशिष्ट ''तीन'' पर संलग्न।**

<u>परिशिष्ट- "अठ्ठारह"</u>

<u>कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की योजनाएं</u>

57. **(क्र. 2100) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन/विभाग प्रदेश भर में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश भर में इसका क्रियान्वयन कर रहा है? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश भर में किन-किन स्थानों पर लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिये क्या हाट बाजार इत्यादि प्रकार की व्यवस्था की गई है? (ग) यदि हाँ, तो रतलाम जिला अंतर्गत क्या कृषि आधारित अथवा अन्य प्रकार से लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने हेतु जिला अंतर्गत क्या किसी प्रकार की कोई योजना/प्रस्ताव तैयार किये गये हैं? (घ) यदि हाँ, तो जावरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन स्थानों पर किस-किस प्रकार के कार्य प्रयोजन हेतु क्या-क्या प्रस्ताव तैयार कर क्या कार्ययोजना बनाई गई है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर मे हाट बाजार की व्यवस्था है। (ग) जी हाँ। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में स्वरोजगार के लिये उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने हेतु हितग्राहियों के प्रस्ताव तैयार कर बैंको को स्वीकृति हेतु भेजे गये है। अपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाईन सेंटर के माध्यम से सिलाई प्रशिक्षण तथा कारीगर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रशिक्षण दिलाया गया हैं। मलबरी रेशम विस्तार योजना अन्तर्गत कृषको से रेशम कृमिपालन कार्य कराया जा रहा है। (घ) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में तैयार प्रस्तावों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट- "उन्नीस"</u>

<u>टीकमगढ़ जिले में नल-जल योजना में अनियमितत</u>

58. **(क्र. 2112) श्रीमती अनीता सुनील नायक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि टीकमगढ जिले में वर्तमान में नल-जल योजना लागू है यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामों में लागू है? गांववार, जनपदवार,बताने का कष्ट करें? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) में वर्णित योजना कार्यपूर्ण अवधि दिनांक के बाद भी अधूरी है? यदि

हाँ, तो ग्रामवार, जनपदवार बतायें? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित योजनाओं के अधूरी होने के क्या कारण हैं? एवं इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? शासन स्तर पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं की गयी तो क्यो एवं की जायेगी तो कब तक समय-सीमा बतावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-1 **अनुसार।** (ख) 56 योजनाएं अधूरी। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-2 **अनुसार।** (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-2 **अनुसार।** कोई भी दोषी नहीं है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

नरयावली विधान सभा क्षेत्र में नलकूप खनन

59. **(क्र. 2127) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर जिले के अंतर्गत नरयावली विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्ष में कितने स्कीम बोर, साधारण बोर विभागीय मशीनों द्वारा एवं ठेका पद्धति से खनन किये गये? किन-किन ग्रामों में कितना खनन कार्य किया गया? (ख) क्या खनन किये गये बोर में सभी ग्रामों में प्लास्टिक केसिंग/आयरन पाईप एवं प्लेटफार्म का कार्य किया गया है एवं कितने खननों में जल स्रोत उपलब्ध हुआ? (ग) खनन किये गये कितने बोर में जल उपलब्ध होने के बाद भी विभाग द्वारा प्लास्टिक केसिंग/आयरन पाईप एवं प्लेटफार्म का कार्य नहीं किया गया, एवं उक्त कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा? समय-सीमा बतावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 56 स्कीम बोर तथा 86 साधारण बोर। शेष प्रश्नांश की जानकारी **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार।** (ख) जी नहीं, जानकारी **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार।** 117 नलकूपों में। (ग) जानकारी **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार।** शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति

60. **(क्र. 2130) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर जिले में कितने पद कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री/उपयंत्रियों के स्वीकृत हैं? (ख) वर्तमान में सागर जिले में कितने पदों पर कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री/प्रभारी अधिकारी एवं एक प्रभार के साथ-साथ अन्य प्रभार के रूप में कार्य कर रहे हैं? (ग) उक्त पदों पर प्रभारी अधिकारी एवं एक प्रभार के साथ-साथ अन्य प्रभारों के रूप में कार्य कर रहे कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री कब तक प्रभार में रहेगें? प्रभारी अधिकारी के स्थान पर पदस्थापना कब की जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) सागर जिले के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री / सहायक यंत्री/ उपयंत्रियों के स्वीकृत पदो की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।** (ख)

सागर जिले में एक कार्यापालन यंत्री, दो सहायक यंत्री एवं दो उपयंत्री के पास अतिरिक्त प्रभार है। (ग) निश्चित अवधि बताया जाना संभव नही है।

<u>परिशिष्ट- "बीस"</u>

<u>विभाग की सामग्री क्रय की नीति</u>

61. **(क्र. 2135) श्री हर्ष यादव :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिला एवं बाल विकास विभाग की सामग्री क्रय नीति क्या है? खरीदी विभाग स्वंय करता है अथवा अन्य विभाग/संस्था के माध्यम से क्रय की जाती है? जिला स्तर, विकास खण्ड स्तर पर की जाने वाली खरीदी हेतु क्या नीति, नियम, निर्देश हैं? (ख) सागर, बैतूल एवं रायसेन जिले में वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक किस वर्ष, कितनी राशि से किस संस्था/फर्म/संगठन/ऐजेंसी से क्या-क्या सामग्री विभाग द्वारा क्रय की गई? किन के द्वारा गुणवत्ता निर्धारण व परीक्षण किया गया? किस क्रयादेश के विरूद्ध कब किसे कितना भुगतान किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) वर्णित जिलों में उक्त अवधि में गुणवत्ताहीन सामग्री क्रय करने, नियम विरूद्ध क्रयादेश देने व भुगतान आदि करने के मामले में क्या-क्या शिकायतें किस माध्यम से विभाग को प्राप्त हुईं? शिकायतवार प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही का विवरण दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) म. प्र. भण्डार क्रय नियमों के तहत विभाग में क्रय की कार्यवाही की जाती है। विभाग भण्डार क्रय नियमों के तहत क्रय की कार्यवाही स्वयं करता है। जिला / विकास खंड स्तर पर क्रय की कार्यवाही भण्डार क्रय नियमों के तहत की जाती है। (ख) सागर बैतूल एवं रायसेन जिले में वर्ष २०११ से प्रश्न दिनांक तक क्रय की गयी सामग्री, राशि, संस्था का विवरण एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार, गुणवत्ता का निर्धारण एवं परीक्षण किया जाता है, भुगतान की गयी राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। (ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>शासकीय भवनों हेतु दी गई भूमि पर अतिक्रमण</u>

62. **(क्र. 2143) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में राजस्व विभाग द्वारा शासकीय भवन जैसे आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, शाला भवन आदि के निर्माण के लिए उपलब्धता के आधार पर भूमि संबंधित विभागों को दी जाती है? (ख) यदि हाँ, तो मैहर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कौन-कौन सा शासकीय भवन (शाला, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल मैदान) राजस्व विभाग की भूमि पर निर्मित है? ग्रामवार/पंचायतवार कितनी-

कितनी भूमि किस प्रयोजन हेतु कब-कब विभाग द्वारा आवंटित की गई? क्या इस भूमि को संबंधित विभाग/प्रयोजन को अंतरित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) वर्णित उक्त संस्थाओं/प्रयोजन हेतु दी गई भूमि पर कहाँ-कहाँ किन-किन के द्वारा अतिक्रमण किया गया है? इसे हटाने हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की विक्रय से वर्जित भूमि की जांच

63. **(क्र. 2153) श्री राम सिंह यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक 70 दिनांक 10.12.2014 में जानकारी दी गई है कि देवेन्द्र कुमार शर्मा एवं घनश्याम शर्मा के नाम वसीयत के आधार पर तत्कालीन न्यायालय अपर तहसीलदार रन्नौद के आदेश दिनांक क्रमश: 25.09.2011 एवं 30.09.2011 द्वारा बदरवास तहसील के ग्राम ढकरौरा एवं अकोदा की शासकीय भूमि भूमिस्वामियों के रूप में दर्ज की गई? (ख) यदि हाँ तो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की विक्रय से वर्जित भूमि को विक्रय करने की अनुमति की एवं वसीयत की प्रतियां एवं अपर तहसीलदार रन्नौद के कार्यालय में दर्ज प्रकरण की प्रति दें कि क्या नामांतरण/भूमिस्वामी दर्ज किया जाना वैधानिक था? (ग) यदि नहीं तो शासन द्वारा किन-किन के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों? तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की वसीयत सामान्य वर्ग के पटवारी पुत्रों के नाम कहाँ पर एवं किसके आदेश पर पंजीकृत की गई? (घ) क्या उक्त प्रश्न के उत्तर (घ) में प्रश्नाधीन वर्णित प्रकरण की जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी कोलारस को कलेक्टर शिवपुरी के कार्यालयीन पत्र दिनांक 28.09.2014 द्वारा निर्देशित किया गया है? यदि हाँ तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई जांच एवं जांच प्रतिवेदन की जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फर्जी कूट रचित अंकसूची से रोजगार सहायक पद पर नियुक्त

64. **(क्र. 2164) श्री रामपाल सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र. द्वारा अपने पत्र क्र./ज.पं./स्था./मनरेगा/2012/678 ब्यौहारी दिनांक 05-07-2012 के द्वारा पुलिस थाना ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र. में फर्जी व कूटरचित अंकसूची के द्वारा रोजगार सहायक पद पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले 5 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी? (ख) यदि हाँ, तो सभी उल्लेखित अपराधियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना ब्यौहारी द्वारा कार्यवाही की गयी है? यदि हाँ, तो किन-किन के विरूद्ध और कार्यवाही किस स्तर पर है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ब्यौहारी का पत्र अनुसार अपराध क्र0 505/14, धारा 420 ता.हि. का प्रकरण 04 आरोपियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। पत्र में उल्लेखित अभियुक्त रामसुशील पटेल पिता रामनाथ पटेल के विरूद्ध पूर्व से ही फरियादी रामानन्द पटेल पिता रामनिरंजन की रिपोर्ट जांच पर अपराध क्रमांक 9/12 धारा 417, 419, 420, 467, 469, 471 ता.हि. का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। (ख) प्रकरण में 04 आरोपियों त्रिवेन्द्र सिंह, संगीता सिंह, कैलाश केवट एवं धर्मेन्द्र कुमार पटेल से संबंधित फर्जी कूटरचित अंक सूचियों की जांच हेतु कार्यवाही प्रचलित है। प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है।

कूटरचित अंकसूची के आधार पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना

65. **(क्र. 2165) श्री रामपाल सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि न्यायालय कलेक्टर जिला शहडोल म.प्र. द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 16/अपील/2010-11 आदेश दिनांक 27.02.2012 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ब्यौहारी जिला शहडोल को अपीलान्ट राजेन्द्र द्विवेदी एवं त्रिवेणी सिंह के विरूद्ध कूटरचित अंकसूची के आधार पर रोजगार सहायक पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिये उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना में दर्ज कराने हेतु कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई, यदि नहीं तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। दिनांक 21.05.2014 प्रस्तुत करने पर थाना ब्यौहारी में अप0क्र0 505/14 धारा 420 भा.द.वि. का आरोपी त्रिवेन्द्र सिंह बघेल एवं अन्य 03 के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में आरोपी त्रिवेन्द्र सिंह बघेल की संबंधित अंक सूची के सत्यापन हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र., भोपाल को लिखा गया है। अंकसूची सत्यापन उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

बंटवारा, नामांतरण एवं फौती दाखला के दर्ज प्रकरण

66. **(क्र. 2215) श्री संजय उइके :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2014-15 से लेकर प्रश्न दिनांक तक बंटवारा, नामांतरण, फौती दाखला के कितने प्रकरण किस-किस दिनांक को प्राप्त हुये? दर्ज हुये हैं? (ख) प्राप्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया, कितने शेष हैं? (ग) अविवादित प्रकरणों के निराकरण नहीं करने के क्या कारण हैं? प्राप्त प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बड़वाह वि.स. क्षेत्र में स्वीकृत आंगनवाड़ी

67. **(क्र. 2272) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बडवाहा विधान-सभा क्षेत्र में कितनी आंगनवाड़ी स्वीकृत है, कितने भवन निर्मित किये गये हैं, कितने निर्माणाधीन हैं, एवं कितने आगामी बजट में प्रस्तावित किये गये हैं? क्षेत्र के पर्यवेक्षक के कितने पद स्वीकृत है, कितने कार्यरत हैं एवं कितने रिक्त हैं? इसी प्रकार कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायक के पद स्वीकृत है एवं कितने पदस्थ है एवं कितने रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार इन रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक पद भरे जावेगें, समय सीमा बताई जावे? (ग) नगर, बडवाहा एवं सनावद के कार्यालय के लिये क्या भवन है, यदि नहीं है तो क्या व्यवस्था की गई है? क्या किराये के भवन में अथवा किसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यालय संचालित किया जा रहा है? निजी है तो कितना किरायें का भुगतान एवं किसे भुगतान कब से किया जा रहा है? (घ) क्या उक्त नगरों में पोषण आहार के रखने के लिये गोडाउन की क्या सुविधा है, क्या गोडाउन के लिये प्रस्ताव दिये गये है कब तक स्वीकृत हो जावेगें, वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ पर की गई यदि निजी है तो कितना किराया किसे भुगतान कब से किया जा रहा है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) बडवाह विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 207 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। 102 आंगनवाडी भवन निर्मित है व 07 भवन निर्माणाधीन है। अभी तक आगामी बजट में कोई भवन प्रस्तावित नही है। विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पर्यवेक्षक के 10 पद भरे हुए है। कोई पद रिक्त नहीं हैं। विधानसभा क्षेत्रांतर्गत <u>बडवाह/सनावद</u> परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 207 व सहायिका के 207 पद स्वीकृत हैं जिसके विरूद्ध आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 203 पद व सहायिका के 199 पद भरे है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 04 पद व सहायिका के 08 पद रिक्त है। (ख) पर्यवेक्षक के पद रिक्त नहीं है। विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की पद पूर्ति हेतु पूर्व में विज्ञप्ति जारी की गई थी प्राप्त आवेदन पत्र चयन समिति के समक्ष बैठक में रखे गये थे जिसमें अध्यक्ष (अनु.वि.अधि.) चयन समिति द्वारा उक्त प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है पुनः विज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है। समय सीमा दिया जाना संभव नहीं है (ग) परियोजना बड़वाहा का कार्यालय शासकीय भवन उपलब्ध न होने से किराये के भवन में संचालित हैं जिसका किराया श्रीमती चंद्रावती श्रीवास्तव को वर्ष 1998 से 3000 /- रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्रांतर्गत परियोजना सनावद का कार्यालय नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के शासकीय भवन में संचालित किया जा रहा है। (घ) विधानसभा क्षेत्र के परियोजना कार्यालय सह गोडाउन बड़वाहा एवं सनावद के भवनों में ही पोषण आहार रखा जा रहा है। गोडाउन के प्रस्ताव नही दिये गये है। वर्तमान में परियोजना कार्यालय सह गोडाउन में ही पोषण आहार भंडारण की व्यवस्था हैं अतः प्रशनांश 'ग' के अतिरिक्त पृथक से किराये का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

<u>तालाबों के पट्टा वितरण में अनियमितता</u>

68. **(क्र. 2277) श्री संजय पाठक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सत्य है मत्स्यपालन तथा मत्स्याखेट हेतु शासकीय तालाब आवंटित किये जाते हैं? यदि हॉं तो किन नियम एवं शर्तो के आधार पर? विभागीय नियम एवं परिपत्रों की प्रति दें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कटनी जिले में वर्तमान में कितने तालाबों को किन-किन को कितनी-कितनी अवधि के लिए कितनी पट्टे की राशि जमा कराकर आवंटित किया गया? (ग) क्या यह सत्य है प्रश्नांश (ख) जिले में पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया में विभागीय नियमों को तोड मरोड़कर आवंटन की कार्यवाही की गई है? जैसे की कुल रकवे में रकवे को घटाकर पट्टें को आवंटित करना? (घ) क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 144 दिनांक 20.09.2014 आयुक्त महोदय संभाग जबलपुर को प्रेषित किया गया था और आयुक्त महोदय द्वारा जॉंच हेतु कटनी जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था? किंतु विभागीय अधिकारियों द्वारा रकवे को घटाकर मनमानी करते हुए अन्य को लाभ पहुंचाया गया? क्यों? कौन दोषी हैं? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवही की जावेगी? नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हॉं। मत्स्य पालन नीति 2008 के नीति निर्देश के बिन्दु क्रमांक 1.3 के अनुसार सिंचाई जलाशय/ग्रामीण तालाब निर्धारित प्राथमिकता अनुसार 10 वर्षीय पट्टे पर आवंटित किए जाते है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में कटनी जिले के 297 तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर आवंटित किये गये है जिसमें से 82 तालाब मछुआ सहकारी समितियों, 76 तालाब मछुआ स्व सहायता समूह तथा 139 तालाब व्यक्तिगत हितग्राहियों को आवंटित किये गये है उक्त तालाबों के पट्टे की राशि रूपयें 4,55,668/- निर्धारित है जो संबंधित पंचायतों में जमा की जाती है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। (ग) जी नहीं। (घ) जी हॉं। प्रकरण की जांच कराई गई तथा ग्राम पंचायत हिरवारा का पनिया तालाब का रकवा 1.58 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में है परन्तु पटवारी के प्रतिवेदन में 0.90 हैक्टेयर में पानी रहता है शेष 0.68 हैक्टेयर में मेढ तथा खाली स्थान रहता है। जांच प्रतिवेदन विधि अनुरूप होने से कलेक्टर कटनी द्वारा शिकायत नस्तीबद्ध की गई। प्रकरण में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है अत: कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है।

बायोडीजल उत्पादन से राजस्व की प्राप्ति

69. **(क्र. 2308) श्री जितू पटवारी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. में रतनजोत के बीज से बायोडीजल का उत्पादन किये जाने हेतु जमीन का आवंटन किया गया है? (ख) यदि हॉं तो सन् 2010 से कौन-कौनसी इण्डस्ट्रीज को कितनी-कितनी जमीन आवंटित की गई है? जिलेवार एवं इण्डस्ट्रीवार आवंटित जमीन का क्षेत्रफल देवें? (ग) क्या जिन इण्डस्ट्रीज को जमीन आवंटित की गई है? उनके द्वारा बायोडीजल का उत्पादन प्रारंभ किया गया है? यदि हॉं तो शासन को विगत 5 वर्षों में कितना राजस्व

प्राप्त हुआ हैं? वर्षवार जानकारी देवें? (घ) जिन इण्डस्ट्रीज द्वारा जमीन का उपयोग अन्यत्र कार्य हेतु किया जा रहा है उनसे जमीन वापस लेने की क्या प्रक्रिया की गई है तथा लापरवाह अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नही, जमीन का आवंटन नहीं किया गया है। (ख) से (घ) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

इंदौर जिले में मत्स्य पालन

70. **(क्र. 2309) श्री जितू पटवारी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इन्दौर जिले में मत्स्य पालन एवं बीज उत्पादन का कार्य कौन-कौन से तालाबों में किया जा रहा है? तालाबवार जानकारी देवें? (ख) म.प्र. शासन द्वारा मत्स्य पालन एवं बीज उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु क्या प्रयास किये गये है? (ग) इन्दौर जिले में विगत 3 वर्षों में शासन द्वारा कौन से ठेकेदार को कौन से तालाब में मछली पकड़ने का ठेका दिया गया है एवं शासन को इससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? ठेकेदार के नाम एवं पते सहित जानकारी देवें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) इन्दौर जिले में 251 तालाबों में मत्स्य पालन किया जा रहा है, एवं बीज उत्पादन का कार्य किसी भी तालाब में नही किया जा रहा है। मत्स्य पालन तालाब की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) शासन द्वारा मत्स्य पालन एवं बीज उत्पादन को प्रोत्साहन हेतु संचालित योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। (ग) वर्णित अवधि में किसी भी तालाब में मछली पकडने का ठेका नहीं दिया गया है। अत: शेष प्रश्न ही उपस्थित नही होता।

दतिया में समन्वयक की नियुक्तियां

71. **(क्र. 2323) श्री प्रदीप अग्रवाल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग खण्ड दतिया में राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिला/ब्लॉक समन्वयक की नियुक्तियां शासन द्वारा की गई हैं? यदि हॉ तो उनके नाम/पद/पदस्थी स्थल/वेतन एवं उनकी नियुक्त के विरूद्ध कर्तव्यों का विवरण दें? (ख) क्या निजी एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भी स्वच्छता अभियान के कार्यक्रमों को कराया जाता है? यदि हॉ तो निजी एवं गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके कर्तव्यों का विवरण उपलब्ध कराया जाये तथा निजी एवं गैर सरकारी संगठनों का नाम/पंजी क्र./पता/उनके द्वारा किये गये कार्यों का विवरण/संबंधित ग्राम पंचायतों की समीक्षा रिपोर्ट रिकार्ड उपलब्ध कराया जाये? (ग) उपरोक्त कंडिका (अ) एवं (ब) में उल्लेखित कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में एक गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रचार प्रसार में शासन का कुल कितना

व्यय वर्ष 2013-14, 2014-15 में हुआ? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (घ) उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेख अनुसार सरकारी/गैर सरकारी संगठनों के जिले में कार्य करने के पश्चात भी जिले में जनहित के कार्यों में प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिख रहे है। इन कार्यक्रमों में गति लाने हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जायेंगे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) :(क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार।** (ख) स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम इस विभाग द्वारा नहीं करवाये जाते हैं। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार।** (घ) सरकारी/गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार-प्रसार के माध्यम से ग्रामवासियों में पेयजल के प्रति जागरूकता पैदा करने, पेयजल योजनाओं के रख-रखाव, उनके संचालन/संधारण के लिए क्षमता वृद्धि एवं उनमें जनसहयोग की भावना विकसित होना प्रारम्भ हो चुका है एवं ग्रामीणजन समितियों के माध्यम से पेयजल प्रदाय योजनायें संचालन हेतु तैयार हुए हैं तथा नवीन नलजल प्रदाय योजनाओं हेतु जन सहयोग राशि देने हेतु भी सहमत हो रहे हैं, यह कार्य ग्रामवासियों/समुदाय की सोच को परिवर्तित करने से संबंधित है एवं विभाग द्वारा कार्यक्रम पूर्ण गति से चलाया जा रहा है।

शस्त्र लायसेन्स की स्वीकृति

72. **(क्र. 2326) श्री प्रदीप अग्रवाल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दतिया के विकासखण्ड सेवढ़ा के ग्राम स्यावरी में कुल कितने शस्त्र लायसेन्स आज दिनांक तक स्वीकृत हैं, उनके नाम/शस्त्र का प्रकार/स्वीकृति दिनांक की जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) उपरोक्त सूची में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन पर अपराधिक मामले दर्ज हैं एवं जिनके शस्त्र लायसेन्स निलंबित/निरस्त किये गये हैं? सूची उपलब्ध कराई जावें? (ग) क्या जिन पर कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है उनके भी शस्त्र लायसेन्स निरस्त/निलंबित किये गये है, यदि हाँ तो क्यों कारण सहित सूची उपलब्ध कराई जावें? (घ) क्या यह सत्य है कि संपूर्ण ग्राम के लायसेंस निरस्त/निलंबित कर दिये गये हैं, जबकि यह क्षेत्र दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, जिससे किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) सभी 15 शस्त्र लायसेंसधारियेांं पर एवं सभी निलंबित है जिसकी सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) जी नहीं। (घ) जी हाँ परंतु दस्यु प्रभावित होने से फसलें प्रभावित नहीं हो रही हैं। पुलिस की चैकसी बढ़ाई गई है।

परिशिष्ट – "इक्कीस"

जे.पी. पावर प्लांट निगरी की जांच

73. **(क्र. 2330) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली/सीधी जिले में स्थापित जे.पी. पावर प्लांट निगरी को स्थापित करने में

किन-किन उद्देश्यों के लिये किन-किन किसानों की कितनी जमीनें किन शर्तों के आधार पर अधिग्रहित की गई है? किसानवार, आराजीवार सूची प्रदान करायें? (ख) क्या कंपनी द्वारा गोपद नदी में बैराज डेम बनाया गया है, यदि हाँ, तो कितने मीटर ऊंचाई के लिये अनुमति प्रदान की गई है? क्या यह शिकायत प्रदान की गई है कि अनुमति से ज्यादा ऊंचाई में डेम का निर्माण कराया गया है, जिस हेतु जनआंदोलन हुआ है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या अनाधिकृत तरीके से ग्राम निगरी की जोखई वगैरह की आराजी नं. 91/2 रकबा 0.214 हेक्टर की शिकायत प्राप्त हुई है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में पीडित किसानों को कंपनी द्वारा धारित शर्तों के आधार पर कब तक लाभ प्रदान किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? कंपनी के ऊपर क्या कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जे.पी.पावर कम्पनी द्वारा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना जिला सिंगरौली में की गई है। चाही गई विस्तृत जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। (ख) जी हाँ, ऊचांई 11.5 मीटर स्वीकृत है। ग्रामीणों से अनुमति से अधिक ऊचांई का निर्माण बनाने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ था। जो सही नहीं पाया गया। (ग) जोखई द्वारा आराजी नं.91/3 के संबंध में शिकायत की गई थी। (घ) उत्तरांश ''ग'' में वर्णित शिकायतकर्ता के स्वत्व की भूमि से बाउन्ड्री हटाने तथा म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के प्रावधानानुसार कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी देवसर को निर्देशित किया गया है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान

74. **(क्र. 2333) श्री आरिफ अकील :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि को उनके समस्त देय स्वत्वों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि सेवा निवृत्ति की तिथि को सेवा निवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वत्वों का देय न करने की स्थिति में पुलिस महानिदेशक का वेतन रोके जाने का प्रावधान है? (ग) यदि हाँ, तो वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में भोपाल संभाग में कितने प्रधान आरक्षक, सउनि. एवं उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्ति हुए, तथा यह भी अवगत करावें कि प्रावधान के परिपालन में उक्त अधिकारी/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति दिनांक को ही समस्त देय स्वत्वों का भुगतान किया गया, तथा कितने अधिकारी/कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान नहीं किया गया? इस नियम विपरीत कार्यवाही के लिए कौन-कौन दोषी है? उनके विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक प्रावधान के अनुसार क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हॉं। (ख) जी नहीं। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ एवं ब अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बाईस"

पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की घटनाएं

75. **(क्र. 2334) श्री आरिफ अकील :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ मारपीट एवं थानों में दुर्व्यवहार किए जाने के मामले उजागर हुए है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में भोपाल संभाग में किस-किसके द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की पिटाई एवं थानों में दुर्व्यवहार किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में पुनरावृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए क्या शासन द्वारा ऐसा कानून बनाया जायेगा कि कानून के रखवालों के साथ उक्त प्रकार की घटना घटित न हो और दोषियों के विरूद्ध तुरंत कार्यवाही की जा सके? यदि हाँ, तो क्या और कब तक यदि नहीं तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) :(क) जी हाँ। (ख) जानकारी **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। (ग) पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न अधिनियमों में विहित प्रावधानों के तहत विधिवत् कार्यवाही की जाती है।

<u>मऊगंज में संचालित पशु चिकित्सालय/औषधालय</u>

76. **(क्र. 2341) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज में कितने पशु चिकित्सालय एवं कितने पशु औषधालय संचालित हैं? इनमें कितने में भवन हैं एवं कितने भवन विहीन हैं? (ख) उपरोक्त चिकित्सालय/औषधालयों में कितने पशु कृत्रिम गर्भाधान एवं उप गर्भाधान केन्द्र संचालित है? (ग) प्रश्न (क) एवं (ख) के प्रकाश में क्या रीवा जिले में विगत एक वर्ष में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालकों को बैंक ऋण एवं अनुदान पर डेयरी इकाई प्रदाय की गई है? यदि हाँ तो विवरण सहित जानकारी देवें? यदि नहीं तो क्यों कारण बतावें? (घ) नस्ल सुधार कार्यक्रम में पशुपालकों को किस नस्ल के कितने मवेशी दिए जाते हैं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज में 6 पशु चिकित्सालय एवं 6 पशु औषधालय संचालित है। जानकारी **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र- "अ" अनुसार** है। (ख) चिकित्सालय/ औषधालयों में कृत्रिम गर्भाधान एवं कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र संचालित नहीं है। (ग) जी हॉ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"ब" अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं है। (घ) **जानकारी पुस्ताकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – "स" अनुसार** है।

<u>मुख्यमंत्री पेयजल योजना का लाभ</u>

77. **(क्र. 2365) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. में मुख्यमंत्री पेयजल योजना कब से प्रारम्भ की गई एवं सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में आज तक किन-किन ग्राम पंचायतों और गांवों में इस योजना का लाभ मिल पाया है? (ख) जिन गांवों में इस योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है उन गांवों में पेयजल सप्लाई शुरू की जा चुकी है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों कारण दें? (ग) इस योजना के क्रियान्वयन के लिये ग्राम में जो सी.सी. रोड खोदकर जो पाईप लाईन बिछाई गई है, उस सड़क का निर्माण

किसके द्वारा किया जाएगा तथा कब तक किया जाएगा? (घ) आगामी समय में किन-किन ग्राम पंचायतों में उपरोक्त योजना को लागू किया जाना प्रस्तावित है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) वर्ष 2010-11। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार।** (ख) जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) किसी भी ग्राम में सी.सी.रोड की खुदाई नहीं की गई। अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) उक्त कार्यक्रम समाप्त हो चुका है अतः कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं।

परिशिष्ट – "तेईस"

अनुसूचित जाति की महिला का अपहरण

78. **(क्र. 2386) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि दिनांक 10.11.2014 को ग्राम-चक पहाड़ी कॉलोनी, थाना बानमौर (मुरैना) पिस्ताबाई के अपहरण की सूचना उसके पिता द्वारा दी गई थी जिसकी रिपोर्ट अपहरण के बजाय गुमशुदगी दिनांक 16.11.2014 को दर्ज की गई क्यों? (ख) क्या यह भी सही है कि उक्त घटना की रिपोर्ट नामजद आरोपियों के खिलाफ गई थी, तो उन्हें अब तक गिरफ्तार कर महिला को बरामद क्यों नहीं किया गया? आरोपियों के नाम पते सहित जानकारी दी जावें? (ग) वर्तमान अवधि तक किन-किन वरिष्ठ अधिकारियों को इनकी शिकायत आवेदन, फैक्स द्वारा की गई पूर्ण जानकारी दी जावें? (घ) क्या यह भी सही है उक्त महिला गरीब सपेरा जाति (अनुसूचित) की है, जिसे हथियारों के साथ जबरन उठा ले गये, अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं, रिपोर्टकर्ता द्वारा अपनी बेटी पिस्ताबाई के अपहरण संबंधी कोई रिपोर्ट लेख नहीं कराई गई थी बल्कि दिनांक 16.11.2014 को रिपोर्ट लेख कराई गयी कि उसकी लड़की पिस्ता बाई दिनांक 10.11.2014 की रात्रि 1.00 बजे से कहीं बिना बताये चली गई है। उक्त रिपोर्ट पर थाना बामौर में गुम इंसान क्रमांक 12/14 दर्ज की गई। (ख) जी नहीं। पिस्ता बाई का कोई पता न चलने से बरामदगी नहीं की जा सकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) जी हाँ। थाने पर पिस्ता बाई को जबरन उठा ले जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट लेख नहीं कराई गई है।

परिशिष्ट – "चौबीस"

अपूर्ण नल जल योजनाओं को पूर्ण किया जाना

79. **(क्र. 2387) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र मुरैना के ग्राम-नन्दपुरा, बरौली, हेतमपुर की नल जल योजनाओं का कार्य कब प्रारंभ किया गया? वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, कार्य प्रारंभ वर्ष से अब तक की पूर्ण जानकारी दी जावें? (ख) उक्त योजनाओं पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा किस-किस ठेकेदारों को कार्य का कितना पैसा भुगतान किया गया है

राशि, वर्ष, नाम सहित पूर्ण जानकारी दी जावें? (ग) क्या शासन द्वारा नल जल योजनाओं को पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये? यदि हाँ तो क्रियान्वन करने में लापरवाही क्यों हुई?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) वर्ष 2008-09। शेष प्रश्नांश की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-**1 **अनुसार**। (ख) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-**2 **अनुसार**। (ग) जी हाँ। उच्चस्तरीय टंकी के निर्माण हेतु निविदाऐं प्राप्त न होने के कारण कार्य पूर्णता में विलम्ब हुआ। कोई लापरवाही नहीं की गई।

परिशिष्ट – ''पच्चीस''

लहार तहसील अंतर्गत भूमि का नामांतरण

80. **(क्र. 2409) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले की लहार तहसील के मौजा लहार एवं विजपुरा में ठाकुर स्व. श्री मथुरासिंह कृषि उत्पादन प्रसंस्करण सहकारी संस्था मर्यादित लहार जिला भिण्ड को म.प्र. शासन राजस्व विभाग के पत्र क्र. एफ 6-207/2001/सात/नजूल भोपाल दिनांक 28.03.2003 के अनुसार आवंटित भूमि को संस्था के नाम कितनी भूमि का राजस्व कागजातों में नामांतरण किया गया? ग्राम विजयपुरा की भूमि का नामांतरण न करने का कारण बतायें? नामांतरण न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही कर नामांतरण कब तक किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों? उपरोक्त संस्था को आवंटित की गई भूमि हेतु अन्तर विभागीय समिति के निर्णय की शर्तें क्या थी? (ख) क्या यह सही है कि म.प्र. शासन राजस्व विभाग के पत्र क्र. 6-207/2001/सात/नजूल दिनांक 18 नवम्बर 2003 के आदेश के बावजूद भी संस्था को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार एवं तहसीलदार लहार द्वारा नोटिस जारी कर कार्य करने से रोकने का कारण बतायें? (ग) क्या यह सही है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि को अतिक्रमण मानकर कृषि फसल की नीलामी कर अवैध रूप से राशि वसूली की गई? यदि हाँ, तो वसूल की गई राशि संस्था को वापिस कराई जावेगी? (घ) म.प्र. शासन राजस्व विभाग के आदेशानुसार विवादित/अविवादित भूमि का नामांतरण करने की अवधि क्या है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नलकूप खनन कार्य में अनियमितता की जांच

81. **(क्र. 2410) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा वर्ष 2014 में प्रदेश स्तर पर अधिकारियों का जांच/निरीक्षण दल गठित किया गया है? (ख) यदि हाँ तो उक्त दल किस उद्देश्य को लेकर कब गठित किया है? जांच दल में किस-किस स्तर के अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है? (ग) उक्त दल के द्वारा प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ का निरीक्षण कब-कब किया गया है? निरीक्षण के दौरान क्या-क्या अनियमितताऐं पाई गई, तथा इसके लिए जिम्मेदार किस-किस

स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या उक्त दल के द्वारा इंदौर संभाग का निरीक्षण किया गया था? यदि हाँ, तो कब एवं निरीक्षण के दौरान क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई एवं लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों को अन्यत्र स्थानांतरित कर, जांच कराई जाकर उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) विभिन्न खण्डों मे चल रहे निर्माण कार्यों की जांच हेतु सतर्कता शाखा का गठन किया गया है जांच दल में अधिक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री स्तर के अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** हैं। (घ) जी हाँ जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** हैं।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

पुलिस बैण्ड की पदस्थापना

82. **(क्र. 2414) डॉ. मोहन यादव :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में किन-किन स्थानों पर पुलिस बैंड है और किन-किन स्थानों पर नही जानकारी प्रदान करें? (ख) उज्जैन शहर जो की धार्मिक नगरी के रूप में विश्व प्रसिद्ध है जहाँ पर पुलिस बैंड की अवश्यकता वर्ष भर बनी रहती है? क्या उक्त संभागीय मुख्यालय पर पुलिस बैंड की पूरी टीम संख्या बल के मान से उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या उज्जैन शहर में पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो वर्तमान में क्या स्थिति है उक्त इंस्टीट्यूट कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) मध्य प्रदेश में इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, एवं सागर जिलें में पुलिस बैण्ड है। (ख) धार्मिक नगरी के आधार पर पुलिस बैण्ड के गठन की शासन की नीति न होने से प्रश्न उपस्थित नही होता है। (ग) जी हाँ। उज्जैन शहर में पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु स्वीकृत कार्य योजना के अनुरूप म.प्र. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा टेण्डर जारी कर दिये गये है, कार्य प्रगति पर है।

सिवनी जिले में नलकूप खनन

83. **(क्र. 2432) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले में अप्रैल, 2013 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने हैण्डपंप/नलकूप खनन विभाग द्वारा किये गये हैं, तथा उनकी कितनी फिट गहराई है और कितनी लागत प्रत्येक हैण्डपंप की आई है विधानसभा क्षेत्रवार, ग्रामवार बताएं? (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में खनन किये गये कितने कूपों में पानी पर्याप्त हैं एवं कितनों में पानी नहीं हैं? (ग) कितने ऐसे पर्याप्त पानी वाले कूप हैं जिनमें हैण्डपंप अथवा मोटर पंप डाल दिये हैं? क्या जिले में ऐसे

कई कूप हैं जिनमें पर्याप्त पानी होने के बाद भी हैण्डपंप नहीं लगाये गये हैं, क्यों, जहाँ पर पानी नहीं निकला है वहाँ पर ग्रामीणों को पेयजल व्यवस्था देने की क्या योजना है? क्या परिवहन की कोई योजना है? (घ) यदि हाँ तो जिले के किन-किन ग्रामों में पेयजल व्यवस्था हेतु परिवहन किया गया है? परिवहन हेतु जिले को कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? उसका खर्च कहाँ-कहाँ किया जावेगा? नगरीय क्षेत्रों हेतु पेयजल परिवहन हेतु कितनी राशि आवंटित हुई?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 1249 हैण्डपंप/नलकूप, **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" अनुसार**। (ख) 919 में पानी पर्याप्त एवं 336 में पानी अपर्याप्त। (ग) 811 नलकूप। जी हाँ, 20 नलकूपों में हैण्डपंप/मोटरपंप स्थापना की कार्यवाही की जा रही है, 82 हैण्डपंपों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक सीमा से अधिक होने के कारण हैण्डपंप/मोटरपंप स्थापित नहीं किये गये। ऐसे ग्रामों में पेयजल व्यवस्था निर्धारित मापदण्डानुसार करने हेतु कार्यवाही सतत् की जा रही है, इन ग्रामों/बसाहटों में अन्य सुरक्षित पेयजल स्रोत उपलब्ध हैं। वर्तमान में पेयजल परिवहन की आवश्यकता नहीं है, भविष्य में ऑकलन के आधार पर आवश्यकता होने पर पेयजल परिवहन किया जावेगा। (घ) प्रश्नांकित अवधि में पेयजल परिवहन किये गये ग्रामों की जानकारी **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"2" अनुसार**। कुल रु. 41.44 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ। वर्तमान में उपलब्ध राशि का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जावेगा यह बताया जाना संभव नहीं है। नगरीय क्षेत्रों हेतु रु.16.95 लाख आवंटित हुये।

<u>किसानों को मुआवजा वितरण</u>

84. **(क्र. 2433) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2014 में रबी सीजन में किसानों की अतिवृष्टि एवं पाला से हुई कृषि क्षति की संपूर्ण कृषकों की फसल का आंकलन कर, क्षतिपूर्ति देने हेतु राजस्व अमले को निर्देशित किया गया था? जिनमें कुछ कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त भी हो चुकी है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ है, तो क्या सिवनी जिले में तहसीलदार द्वारा पटवारियों से कृषि क्षति का कृषकवार क्षति आंकलन सर्वे सूची तैयार कराया गया जिसमें पटवारियों द्वारा मनमानी रूप से कृषक क्षति का सर्वे सूची में नाम जोड़ा गया, कृषकों की वास्तविक क्षति होने के बाद भी किसी तरह की शासकीय सहायता नहीं की गई बल्कि जिसका कुछ क्षति नहीं हुई उनको भुगतान किया गया? (ग) यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) का उत्तर हाँ है तो क्या वास्तविक अतिवृष्टि एवं पाला पीडित कृषकों की पूरक सूची तैयार करवा कर क्षतिपूर्ति दिलाई जावेगी? यदि हाँ तो कब तक एवं क्षतिपूर्ति हेतु वास्तविक कृषकों का नाम न जोड़ने के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही करेगें? यदि हाँ तो क्या एवं कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

स्थाई जाति प्रमाण पत्र के लंबित आवेदनों का समयसीमा में निराकरण

85. **(क्र. 2486) श्री सतीश मालवीय :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय/अशासकीय विद्यालयों द्वारा लोक सेवा ग्यारंटी केन्द्र पर स्थाई जाति प्रमाण पत्रों हेतु जमा किये गये आवेदन पत्रों के निराकरण की अवधि निर्धारित है? यदि हाँ, तो कितने समय में आवेदन का निराकरण किया जाना चाहियें? यदि निर्धारित अवधि में निराकरण न करने पर विभिन्न स्तरों पर यथा लोक सेवा ग्यारंटी केन्द्र, पटवारी, तहसीलदार अथवा अनुविभागीय अधिकारी स्तर पर दण्ड का प्रावधान है? यदि हाँ, तो किस प्रकार के दण्ड का प्रावधान है? अभी तक कितने अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किया जा चुका है? (ख) उज्जैन व घटिया अनुभाग में जुलाई-अगस्त 2014 से आज दिनांक 30 जनवरी 2015 तक विभिन्न स्तरों पर प्राप्त आवेदन, पेण्डिग एवं निराकृत स्थाई जाति के आवेदनों की संख्या, पेण्डिग रहने के कारण सहित वर्गवार उपलब्ध करावें? (ग) क्या जाति प्रमाण पत्र आवेदनों के निराकरण हेतु शिक्षकों की ड्यूटी विभिन्न स्तर पर लगाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो किस स्तर पर प्रति उपलब्ध करावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-**1 **अनुसार**। अभी तक किसी कर्मचारी को दण्डित नहीं किया गया। (ख) उज्जैन व घट्टिया अनुभाग में प्रश्नाधीन अवधि में कुल 62,094 आवेदन पत्र अनु.जा./अनु.जन.जा./पिछडा वर्ग के प्राप्त हुए जिसमें से 65,893 आवेदन पत्र प्रक्रिया में है, शेष 5201 आवेदन पत्र निराकृत किये गये। पेडिंग आवेदन पत्रों के संबंध में मूल कारण यह है कि प्रमाण पत्र आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से जारी होते है, जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। (ग) जी नहीं। शेष जानकारी उतरांश ''क'' अनुसार।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को प्रदाय सामग्री

86. **(क्र. 2538) कुमारी निर्मला भूरिया :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) झाबुआ जिले में महिला बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों के लिए क्या-क्या सामग्री कहाँ-कहाँ से प्रदाय की जाती है? सामग्री का नाम, दर एवं प्रदायकर्ता/संस्था का नाम तथा गुणवत्ता की जॉच किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? (ख) झाबुआ जिले में कितने नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? (ग) झाबुआ जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एवं सहायिका के कितने पद रिक्त हैं तथा इन रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) झाबुआ जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों में सामग्री प्रदाय तथा गुणवत्ता जांच एजेंसी संबंधी जानकारी . सामग्री प्रदाय स्तर दर गुणवत्ता जांच एजेंसी संबंधित जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है (ख) झाबुआ जिले में 435 नवीन

आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये है। नवीन मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव निरंक है। नवीन आंगनवाडी/मिनीआंगनवाड़ी खोलने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। समय सीमा दिया जाना संभव नही है। (ग) झाबुआ जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 30 तथा आंगनवाड़ी सहायिका के 28 पद रिक्त है। वर्तमान में लागू पंचायत चुनाव आचार संहिता की प्रभावशीलता समाप्त होने के उपरान्त रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी।

परिशिष्ट – "सत्ताईस"

अधीक्षण यंत्री के रिक्त पद की पूर्ति

87. **(क्र. 2562) श्री जयवर्द्धन सिंह :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या जिला गुना के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में अधीक्षण यंत्री का पद वर्ष - जुलाई 2014 से रिक्त है? इस रिक्त पद पर श्री वी.के छारी (अधीक्षण यंत्री शिवपुरी) प्रभारी के रूप में कब तक के लिए कार्यरत है एवं इस रिक्त पद की पूर्ति कब तक की जाएगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : जी नहीं। जिला गुना के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में अधीक्षण यंत्री का कोइ पद स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गौशाला संचालन के नियम

88. **(क्र. 2564) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भोपाल संभाग में विभाग द्वारा कितनी और कहाँ-कहाँ गौशाला संचालित की जा रही है? अन्य गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कहाँ-कहाँ और कितनी गौशाला संचालित की जा रही है? (ख) गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा गौशाला संचालन के क्या नियम है? क्या इन संस्थाओं को शासन की ओर से अनुदान प्राप्त होता है? अगर हाँ, तो कितना और कैसे? विगत तीन वर्षों का ब्यौरा दें? (ग) क्या विभाग द्वारा सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा के देलावाड़ी में संचालित गौशाला को बंद कर दिया गया है? अगर हाँ, तो क्यों? (घ) गौवंश वध रोकने के लिये सरकार ने क्या नियम बना रखे हैं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) भोपाल संभाग में विभाग द्वारा कोई गौशाला संचालित नहीं की जा रही है। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संभाग में संचालित गौशालाओं की सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र– "अ" अनुसार**। (ख) गौशालाऐं प्रायः अशासकीय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती है। गौशाला की अपनी समिति होती है जो गौशाला का संचालन करती है, जिनका अपना विधान होता है। गौशाला समिति के पास गौशाला संचालन हेतु भूमि एवं गौवंश को रखने हेतु शेड, पानी की व्यवस्था तथा कम से कम 50 गौवंश होने पर समिति यदि पंजीयन हेतु आवेदन करती है तो उसका पंजीयन, जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की अनुशंसा पर म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिन्हें गौवंश के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती

है। विगत तीन वर्षों में दिए गए अनुदान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार**। (ग) सीहोर जिले के बुधनी विधान सभा के ग्राम देलावाड़ी में शासकीय गौ सदन संचालित था। शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश के समस्त गौसदन बंद कर दिये गये हैं, इस कारण देलावाड़ी का गौसदन भी बंद किया गया है। (घ) जी हॉं। प्रदेश में गौवंश वध रोकने के लिए म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम2004 यथासंशोधित 2010 तथा नियम 2012 प्रभावशील है।

मुख्यमंत्री नल-जल योजना की स्वीकृति

89. **(क्र. 2577) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) काला पीपल विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2007 से 2015 तक किन-किन ग्रामों में मुख्यमंत्री नल-जल योजना स्वीकृत हुई, कार्यवार,ग्रामवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन ग्रामों की योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा किस-किस का अपूर्ण हैं, अपूर्ण हैं तो इसके क्या कारण हैं? क्या, जहाँ योजना पूर्ण हो चुकी है, वर्तमान में चालू हैं ग्रामवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार ग्रामों की पूर्ण योजनाओं को क्या ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जा चुका है, क्या ठेकेदारों को पूरा भुगतान किया जा चुका है, अभी तक कितने ग्रामों की पूर्ण योजनाओं के कार्यो का अन्तिम देयक नहीं बनाए गये है, नहीं बनाने के क्या कारण है? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्रामों की योजनाओं में विलंब करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार स्वीकृत योजनाओं के कार्य पूर्ण। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ग) एवं (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

भूमि का अधिग्रहण

90. **(क्र. 2589) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत गत 5 वर्षों में शासन द्वारा कौन-कौन से सार्वजनिक उपयोग के लिए कहाँ-कहाँ, किस-किस व्यक्ति से और कितनी-कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया? भूमि के खसरा नं, रकबा, स्थित आदि की जानकारी प्रदान करें? (ख) क्या शासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नियमानुसार की गयी? यदि हाँ, तो भूमि अधिग्रहण संबंधी नोटिस कौन-कौन समाचार पत्रों में प्रकाशित किये गये एवं भूमि मालिकों द्वारा अधिग्रहण संबंधी नोटिस प्राप्त करने की प्राप्ति रसीद सहित जानकारी प्रदान करें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कुल 08 ग्रामों की भूमि अधिग्रहित की गई है। खसरा, रकबा, पारित अवार्ड प्रति सहित, विस्तृत जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ख) जी हाँ। शेष जानकारी उपरोक्त **पुस्तकालय में परिशिष्ट अनुसार।**

<u>नलजल योजनाओं की स्वीकृति</u>

91. **(क्र. 2590) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वित्तीय वर्ष 2012-2013, 2013-2014 और 2014-2015 में विभाग द्वारा धार जिले में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गयी? प्रदत्त राशि का व्यय जिले के 13 विकासखण्डों में किस-किस मद में किया गया? बिंदुवार और मदवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितनी नल-जल योजनायें, कितनी-कितनी लागत की, कब-कब स्वीकृत की गयी, तथा उनमें से कितनी योजनाएं अप्रारंभ अपूर्ण एवं पूर्ण हैं? कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा सहित पंचायतवार विस्तृत जानकारी प्रदान करें? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में, उल्लेखित समयावधि के दौरान कितनी टंकियों का निर्माण कितनी-कितनी लागत से किया गया, कितनी टंकियां पूर्ण हैं, कितनी टंकियों से जल प्रदाय चालू है, कितनी टंकियों से जल प्रदान नहीं किया जा रहा है? कारण सहित पंचायतवार विस्तृत जानकारी प्रदान करें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" एवं "2" अनुसार।** (ख) 21 योजनाएं, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-** "2" **अनुसार।** कोई भी योजना अप्रारंभ नहीं है, 19 योजनाएं प्रगतिरत तथा 02 योजनाएं पूर्ण हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-**"3" **अनुसार।** (ग) 18 टंकियों का निर्माण किया गया, सभी टंकियाँ पूर्ण हैं। 15 टंकियों से जलप्रदाय चालू है, 03 टंकियों से जलप्रदाय वर्तमान में नहीं हो रहा है। शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-** "3" **अनुसार।**

<u>दमोह जिले में विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम अन्तर्गत चिन्हित हितग्राही</u>

92. **(क्र. 2607) श्री लखन पटेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले में विकासखंड दमोह, पथरिया एवं बाटियागढ़ में विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम अंतर्गत शंकर जर्सी मादा वत्स पालन योजना में कितने हितग्राही वर्ष 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015 में चिन्हित किए गए? (ख) चिन्हित किए गए ग्रामवार व हितग्राही वार संख्या व नाम क्या है? (ग) वर्ष 2014-15 में चिन्हित किए जाने हेतु क्या लक्ष्य रखा गया है? (घ) वर्ष 2015-16 में विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए क्या कार्यक्रम तय किया गया है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र- "अ" अनुसार।** (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र- "ब" अनुसार।** (ग) वर्ष 2014-15 मे सामान्य वर्ग से 17, आदिवासी वर्ग से 05 एवं अनुसूचित जाति वर्ग से 05 इस प्रकार कुल 27 हितग्राहियों को चिन्हित करने को लक्ष्य रखा गया है। (घ) विभागीय संस्थाओं एवं शासकीय अमले द्वारा पशु चिकित्सा शिविरों मे शासकीय अमले द्वारा जानकारी देकर एवं पंपलेट वितरित कर योजना का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

पेयजल की उपलब्धता हेतु आवंटित राशि

93. **(क्र. 2611) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा जुलाई 2014 को अपने बजट भाषण के दौरान बिन्दु क्रमांक 42 में जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में पेयजल को महत्व देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख है? (ख) यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2014-2015 में जिला मुरैना को कितनी राशि उपलब्ध कराते हुए विधान सभा क्षेत्र दिमनी को कितनी राशि दी गई? आवंटित की गई राशि में से क्या-क्या कार्य, किस-किस योजना, मांग संख्या लेखा शीर्ष में कार्य कराये गये की जानकारी ग्राम/मजरे/टोले/कार्य विवरण/लागत राशि/ क्रियान्वयन एजेंसी/कार्यादेश/कार्य पूर्ण होने की अवधि आदि सहित जानकारी दी जावे? (ग) वित्तीय वर्ष 2014-2015 में विधान सभा क्षेत्र दिमनी को दी गई राशि में से कितनी राशि व्यय की जाकर कितनी शेष है व कब तक व्यय कर दी जावेगी? कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) रूपये 1081.20 लाख, राशि विधानसभा क्षेत्रवार उपलब्ध नहीं कराई जाती। शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** (ग) विधान सभा क्षेत्रवार राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, अतः विवरण दिया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

नवीन हेण्डपंप खनन हेतु राशि का प्रदाय

94. **(क्र. 2612) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड मुरैना को वर्ष 2012 से 2014 (जनवरी 2015) तक कितने नवीन हैंडपंप खनन हेतु अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मुरैना द्वारा राशि दी गई? इस राशि में से कहाँ-कहाँ किन अ.जा. बस्तियों के मजरे/टोले में हैंडपंप खनन कराये गये? (ख) उपरोक्त किये गये कार्यों की लागत/कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने की दिनांक/क्रियान्वयन एजेंसी आदि सहित जानकारी दी जावे? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों की जानकारी हेतु ई.ई. पी.एच.ई.डी. खण्ड मुरैना को पत्र प्रस्तुत किया था, यदि हाँ, तो जानकारी क्यों नहीं दी गई, इस हेतु कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं? (घ) क्या प्रश्नांश (क) से संबंधित आवंटित राशि के कार्य अपूर्ण है, यदि कार्य पूर्ण हो चुके है, तो उन कार्यों की जानकारी कंपलीट सर्टिफिकेट (सी.सी.) की प्रति उपलब्ध करावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 79 नवीन हैण्डपंप खनन हेतु राशि रूपये 43.16 लाख। शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार।** (ग) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार।**

विभागीय परीक्षाओं का आयोजन

95. **(क्र. 2629) श्री सोहनलाल बाल्मीक :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सन् 2009 में आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र. ग्वालियर द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2008 को अधिसूचना जारी कर म.प्र. जूनियर प्रशासकीय सेवा में स्नातक पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग से सीधी भर्ती द्वारा नायब तहसीलदार के पदों को भरने हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा राजस्व विभाग द्वारा आयोजित की जाकर रिक्त पदों पर नियुक्ति की गई है? (ख) क्या सन् 2009 के पश्चात उक्त प्रतियोगिता परीक्षाऐं विभाग द्वारा आयोजित की गई अथवा नही? अगर नहीं आयोजित की गई, तो इसका क्या कारण है? (ग) क्या इस संबंध में विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाऐं आयोजित किये जाने हेतु म.प्र. शासन ने म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को लिखा गया था? यदि हाँ, तो फिर व्यापम द्वारा आज तक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित क्यों नहीं की गई? इसका क्या कारण है? (घ) अगर व्यापम उक्त परीक्षाऐं आयोजित नहीं करता है, तो क्या राजस्व विभाग इस प्रतियोगिता परीक्षा को आयोजित कर रिक्त पद पर स्नातक पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) सन 2009 में दिनांक 23/02/2008 को जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में स्नातक पटवारी/राजस्व निरीक्षक से सीधी भर्ती द्वारा नायब तहसीलदार के पदो को भरने हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा राजस्व विभाग द्वारा आयोजित नहीं की गई है और न ही रिक्त पदों की नियुक्ति की गई है। (ख) वर्ष 2009 के पश्चात उक्त प्रतियोगिता परीक्षाऐं विभाग द्वारा आयोजित नहीं की गई। व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा असमर्थता व्यक्त करने के कारण उक्त परीक्षाऐं आयोजित नहीं की गई। (ग) वर्ष 2009 में संशोधित अधिसूचना दिनांक 26/06/2009 को जारी कर स्नातक पटवारी/राजस्व निरीक्षक से आवेदन पत्र चाहे गये थे एवं प्राप्त हुए आवेदन पत्र व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल को भेजकर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु लिखा गया था। किन्तु व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल के पत्र क्रमांक मण्डल/5/प-1/178/09 दिनांक 19/03/2010 द्वारा उक्त परीक्षा का आयोजन करने में असमर्थता व्यक्त की गई। (घ) आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के पत्र क्रमांक क्यू/ स्था.एक/स.अ.भू.अ./ 2014 दिनांक 20/11/14 द्वारा उक्त परीक्षा का आयोजन व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से कराने हेतु प्रस्ताव किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रचलित है। निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

छिंदवाड़ा जिले में पूरक पोषण आहार का वितरण

96. **(क्र. 2630) श्री सोहनलाल बाल्मीक :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या छिन्दवाड़ा जिले में संचालित नगरीय ऑगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार का वितरण स्थानीय शहरी समूह/मंडल से कराया जा रहा है? या अन्य बाहरी

ग्रामीण समूह से? (ख) अगर नगरीय ऑगनवाडी केन्द्रों में स्थानीय शहरी समूह/मंडल को पूरक पोषण आहार बनाकर वितरण करने का कार्य नहीं दिया गया है, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और संबंधितों पर क्या कार्यवाही की गई व स्थानीय शहरी समूह/मण्डलों को कब कार्य दिया जायेगा? (ग) शासन निर्देशानुसार एक किलोमीटर की दूरी पर पृथक से किचन शेड स्थापित करना है व प्रत्येक सोमवार ऑगनवाडी कार्यकर्ता से दैनिक औसत उपस्थिति लिखित में अवगत कराना है उसके बाद समूह उस मात्रा में भोजन वितरीत करेगा क्या इसका पालन हो रहा है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) :(क) छिन्दवाड़ा जिले में संचालित नगरीय आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार का वितरण स्थानीय 10 शहरी समूह व पूर्व के क्रियाशील ग्रामीण 09 स्व-सहायता समूहों से करवाया जा रहा है। (ख) स्व-सहायता समूहों को पूरक पोषण आहार प्रदाय कार्य विभागीय आदेश क्र./एफ 3-2/09/50-2, दिनांक 29.8.2009 के तहत जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन से निर्धारित मीनू एवं दर पर दिया गया है। अतः किसी पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। विभागीय आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) शहरी समूहों के लिये लागू नहीं।

<u>ग्रेडेड नर्सरी से पौध खरीदी पर अनुदान</u>

97. **(क्र. 2633) श्री बाला बच्चन :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नेशनल हार्टीकल्चर मिशन के अंतर्गत कृषकों को पौधे उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने क्या व्यवस्था की है? (ख) कृषकों को उपलब्ध कराये गये पौधें की गुणावत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या मानक बनाये गये हैं? (ग) क्या जिन कृषकों ने ग्रेडेड नर्सरी से पौधे खरीदें हैं उन्हें ही अनुदान दिया जा रहा है अथवा कही से भी पौधे क्रय करने पर अनुदान दिया जा रहा है? स्थिति स्पष्ट करें? (घ) ग्रेडेड नर्सरी से ही पौधे क्रय किये जाने की बाध्यता क्यों नहीं लागू की गई है? नान ग्रेडेड नर्सरी से पौधे क्रय किये जाने में हो रहे भ्रष्टाचार की क्या विभाग जॉच करावेगा? यदि हाँ तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) चयनित हितग्राही द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरी से पौधे क्रय करने पर अनुदान देने की व्यवस्था है। (ख) मानक **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) मान्यता प्राप्त नर्सरी और महाराष्ट्र राज्य शासन द्वारा पंजीकृत नर्सरी दोनो से चयनित हितग्राही द्वारा पौधे क्रय करने पर अनुदान जारी किया गया है। (घ) भारत सरकार, कृषि एवं सहकारीता मंत्रालय बागवानी मिशन द्वारा अप्रैल 2014 में प्रकाशित दिशा निर्देश के तहत मान्यता प्राप्त नर्सरी से पौधे क्रय करने की व्यवस्था होने से ग्रेडेड नर्सरी की बाध्यता नहीं है। पौधे कृषक द्वारा क्रय किये जाते है और अनुदान मानक दर से दिया जाता है। अतः भ्रष्टाचार की संभावना नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

<u>**परिशिष्ट - "अठ्ठाईस"**</u>

<u>उज्जैन जिले में ड्रिप सिंचाई योजना में स्वीकृत प्रकरण</u>

98. **(क्र. 2636) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले में 01-01-2012 से 30-01-2015 तक ड्रिप सिंचाई योजना में कितने प्रकरण स्वीकृत किए गए? विधानसभा क्षेत्रवार, वर्षवार जानकारी देवें? (ख) उपरोक्त प्रकरणों में कितना अनुदान दिया गया? क्या अनुदान राशि के प्रकरण लंबित है? यदि हाँ, तो प्रकरण संख्या तथा इसके कारण? विधानसभा क्षेत्रवार, वर्षवार बतावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं (ख) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार**।

<u>परिशिष्ट – "उनतीस"</u>

<u>अनूपपुर जिले में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र</u>

99. **(क्र. 2663) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनूपपुर जिले में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं? आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम तथा पता, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति दिनांक की जानकारी दें? विगत तीन वर्ष में इन केन्द्रों पर कौन-कौन सी खाद्य सामग्री का वितरण किया गया? वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु 1 अप्रैल 2009 से प्रश्न दिनांक तक योजना के संचालन हेतु कुल कितनी धन राशि का आवंटन प्राप्त हुआ, तथा परियोजनावार किन-किन कार्यों पर राशि का व्यय किया गया? विकासखण्डवार जानकारी दें? (ग) क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों में गुणवत्ताविहीन सामग्री प्रदाय किये जाने के संबंध में राज्य सरकार या जिला प्रशासन के पास किस-किस नाम-पदनाम के अधिकारी की शिकायतें उक्त प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त हुई? जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी दें? प्राप्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों का शासन द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या निराकरण किया गया जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जिला अनूपपुर अन्तर्गत 1030 आंगनवाड़ी केन्द्र है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार** है। वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में अनूपपुर जिले की बाल विकास परियोजना अनूपपुर, बाल विकास परियेाजना पुष्पराजगढ़, बाल विकास परियोजना जैतहारी एवं बाल विकास परियोजना कोतमा के संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में सांझा चूल्हा अन्तर्गत मीनू अनुसार ताजा गरम भोजन सामग्री तथा एम.पी. एग्रो के माध्यम से टेक होम राशन का प्रदाय किया गया। वर्षवार विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार** है। (ख) आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु 1 अप्रेल 2009 से प्रश्न दिनांक तक योजना के संचालन हेतु आवंटन एवं व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार** है। (ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों में गुणवत्ताविहीन सामग्री प्रदाय किये जाने संबंधी शिकायतें राज्य सरकार या जिला प्रशासन को प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त नही होने से जानकारी निरंक है। अतः शेष के संदर्भ में प्रश्न ही नही उठता है।

पोषण आहार हेतु आवंटित राशि

100. **(क्र. 2664) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनूपपुर जिले में विगत तीन वर्षों में शासन द्वारा पूरक पोषण आहार पर कितनी राशि आवंटित की गई? आवंटित राशि के विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गई? व्यय राशि एवं कुपोषित बच्चों की जानकारी श्रेणीवार एवं विकासखंडवार उपलब्ध करायें? (ख) अनूपपुर जिले में उपरोक्त अवधि में जिले में कितना-कितना पोषण आहार आंगनवाडियों को वितरित करने के लिये जिले को कब-कब प्राप्त हुआ व किसके द्वारा प्रदाय किया गया कितना भुगतान किस-किस को कब-कब किया गया? जिले से पोषण आहार आंगनवाडियों को कब-कब वितरित किया गया? (ग) क्या जिले की आंगनवाडियों में प्राप्त प्रोषण आहार समय पर वितरित नहीं होने से उनकी प्रयोग अवधि निकलने से वह पोषण आहार बेकार हो गया? यदि हाँ, तो कितनी मात्रा में व इसके लिये कौन दोषी है दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों कारण बतायें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) अनूपपुर जिले में विगत तीन वर्षो में सांझा चूल्हा कार्यक्रम अंतर्गत पूरक पोषण आहार हेतु आवंटित एवं व्यय की राशि तथा जिले में कुपोषत बच्चों की श्रेणी बार एवं विकास खण्ड बार जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) अनुपपूर जिले में उक्त अवधि में एम पी एग्रो के माध्यम से टेकहोम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार का प्रदाय परियोजना स्तर तक किया गया। परियोजना में प्राप्त टेक होम राशन उसी माह में वितरित किया गया। उपरोक्त अवधि में टेक होम राशन प्रदाय एवं एम पी एग्रो के भुगतान की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) जी नहीं। अनुपपूर जिले के आंगनवाडी केन्द्र में विगत तीन वर्षो में पोषण आहार की प्रयोग अवधि निकलने से पहले उपयोग में लाया गया है। पोषण आहार बेकार नहीं हुआ है। अत:शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण

101. **(क्र. 2667) श्री दिलीप सिंह परिहार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमणकर्ता के विरूद्ध म.प्र.भूराजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत कार्यवाही की जाती है? (ख) क्या ग्राम-जमुनियाकला तहसील व जिला-नीमच स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 45 में से 0.12 आरी भूमि पर कालोनाइजर एवं अन्य के विरूद्ध अतिक्रमण संबंधी प्रकरण वर्ष 2005-2006 से तहसील कार्यालय नीमच में विचाराधीन था? (ग) क्या ग्राम जमुनियाकला, तहसील व जिला-नीमच की प्रश्नाधीन शासकीय भूमि सर्वे नं. 45 का तीन बार सीमांकन करने पर पाया गया कि सर्वे नं.45 का रकबा 0.12 आरी पर कालोनाइजर द्वारा मकानात बनाकर एवं सीमेंट टाइल्स लगाकर अतिक्रमण किया जाकर अन्य व्यक्तियों को मकान विक्रय कर दिए गए हैं? (घ) यदि

हाँ तो कालोनाइजर के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या कालोनाइजर के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? कालोनाइजर द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अन्य व्यक्तियों को विक्रय किये जाने पर कालोनाइजर के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? (ड) कालोनाइजर के विरूद्ध वर्ष 2005-2006 से प्रकरण प्रचलित होने पर अब तक कालोनाइजर के विरूद्ध कार्यवाही न होने पर कौन-कौन से अधिकारी दोषी है तथा उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी और कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>शासकीय पट्टे की भूमियों का विक्रय</u>

102. **(क्र. 2684) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग अन्तर्गत जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक शासकीय पट्टे की किन-किन भूमियों का विक्रय, नामांतरण किया गया, भूमियों का खसरा नम्बर, रकवा, पट्टे का प्रयोजन, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आदेश सहित तहसीलवार विवरण देवें? (ख) शासकीय पट्टे की भूमियों के अवैधानिक विक्रय, नामांतरण, भूमि स्वामी हक में दर्ज होने की, विभाग को प्राप्त शिकायतों जांच एवं अन्य विभागीय जांच में क्या पाया गया? क्या कार्यवाही की गई? तहसीलवार विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में भूमियों को जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय, मद परिवर्तन, नियम विपरीत नामांतरण के दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जावेगी? यदि नहीं की जावेगी? तो क्यों नहीं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही</u>

103. **(क्र. 2699) पं. रमेश दुबे :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के जून-जुलाई 2014 सत्र की शुन्यकाल सूचना क्रमांक 131 के उत्तर में विभाग ने बताया है कि मौजा नवेगांव मकरियां की भूमि खसरा नं.403/2 में का रकबा 0.312 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिग्रहण क्षेत्र में आने के कारण 3ए(1) के अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात उस भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ व्यपवर्तित करना तथा जानबूझकर भूमि का त्रुटिपूर्ण मुआवजा निर्धारण कर संबंधित को भुगतान का श्री फरहतउल्ला खान एवं श्री दारासिंह ठाकरे, अनुविभागीय अधिकारियों को दोषी पाया गया है? (ख) यदि हाँ तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं की गयी है तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में भूमि के अधिग्रहण में जानबूझकर सांठगांठ के तहत व्यक्ति विशेष को अप्रत्याशित लाभ पहुंचाने का कृत्य करने वाले उक्त दोनों अधिकारियों के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होने के कारण क्या शासन उनके विरूद्ध स्थानीय पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर नियम विरूद्ध निर्धारित किये गये मुआवजा की राशि शीघ्र वसूल कर

शासकीय खजाने में जमा करने का आदेश देगा? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या शासन, अधिकारियों से सांठगांठ कर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहण किये जाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3क(1) के तहत अधिसूचना प्रकाशित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ व्यपवर्तन कराकर अधिक मुआवजा प्राप्त करने वाले भूधारक को भी दोषी मानता है? यदि हाँ तो क्या शासन संबंधित भू-धारक के विरूद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश देगा? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) आरोप विवरण व आरोप पत्र आदि जारी करने हेतु संभागीय आयुक्त जबलपुर संभाग को लिखा गया है। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार विभागीय कार्यवाही की जा रहीं है। (घ) जी नहीं। वसूली हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

पेयजल एवं जल संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं

104. **(क्र. 2709) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक पेयजल एवं जलसंरक्षण के लिये कौन-कौन सी योजनाओं में क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये एवं उक्त कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? निर्माण एजेन्सी के नाम व भुगतान सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त कराये गये कार्यों से क्षेत्र की जनता को क्या कोई प्रत्यक्ष लाभ हुआ है? यदि हाँ तो योजनावार ब्यौरा देवें? (ग) उपरोक्तानुसार विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा में कितनी नल जल योजनाऐं संचालित होकर पेयजल उपलब्ध हो रहा है एवं कौन-कौन योजनाऐं किन कारणों से कब से बंद है? बंद योजनाओं को दुरूस्त करने एवं तकनीकी खामियों को दूर कर कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा, तथा स्त्रोतविहीन नल जल योजनाओं को संचालित करने के हेतु क्या अतिशीघ्र नवीन स्त्रोत जैसे नलकूप खनन, कूप खनन अथवा अन्य किसी स्त्रोत से सम्बद्ध किया जाएगा? यदि हाँ तो कब?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" अनुसार।** प्रश्नांकित अवधि में जल संरक्षण के कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किये गये। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-**"1" **अनुसार।** (ग) 43 संचालित योजनाओं में से 36 योजनाओं से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"2" अनुसार।** निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती।

पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाएं

105. **(क्र. 2729) श्रीमती अनीता सुनील नायक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नलजल योजनायें वर्तमान में संचालित हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी चालू हैं एवं कौन-कौन सी बंद हैं? बंद के क्या कारण हैं एवं कौन दोषी है? प्रश्न दिनांक तक दोषी पर क्या कार्यवाही की गयी? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित योजनाओं की कार्य प्रारंभ तिथि, समापन तिथि, आवंटित राशि, व्यय राशि, कार्य ऐजेन्सी, प्रश्न दिनांक तक योजनावार, ग्रामवार बतावें? (ग) क्या पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में हैण्ड पम्प खनन के कार्य किये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक कितने हैण्ड पम्पों का खनन किया गया एवं उनमें से कितने चालू हैं एवं कितने बंद हैं एवं कितने सुधारे गये एवं सुधार हेतु जो सामान क्रय किया एवं स्क्रेप मटेरियल की क्या स्थिति है? (घ) क्या प्रश्नांक (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित योजनाओं में जिन अधिकारियों द्वारा अनियमितता की गयी, उनके खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी और नहीं, तो क्यों और होगी तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं, नलजल योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-**"**अ**" **अनुसार।** कोई भी विभागीय अधिकारी दोषी नहीं है अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-**"**ब**" **अनुसार।** (ग) जी हाँ। 575 नलकूप, इनमें स्थापित 415 हैण्डपंपों में से 403 चालू व 12 बंद हैं। सभी हैण्डपंप एकाधिकबार सुधारे गये हैं। सामग्री का क्रय जिले के समस्त हैण्डपंपों हेतु किया जाता है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-**"**स**" **अनुसार।** (घ) किसी भी अधिकारी द्वारा अनियमितता नहीं की गई, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

सिंगरौली निगरी जे.पी. पावर प्लांट की जांच

106. **(क्र. 2784) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंगरौली/सीधी जिले के निगरी में जे.पी. पावर प्लांट, जे.पी. एसोसिएट्स नाम का उद्योग प्लांट स्थापित है? यदि हाँ, तो कब से और स्थापित करने के लिये कितने रकबे भूमि में किन-किन किसानों की व शासन की भूमि अधिग्रहीत की गई है, खसरेवार व किसानवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अधिग्रहीत भू-स्वामियों के भूमि

किन शर्तों एवं (एग्रीमेंट) करार के आधार पर लिए हैं, करारनामें की किसानवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या कंपनी के खिलाफ प्रभावित विस्थापित किसानों द्वारा अपने करारनामें के तहत अधिकार मांगने के लिये 08.10.14 को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किए? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही हुई है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या एस.डी.एम. व पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज व फर्जी मुकदमें दर्ज कर लगभग 60-65 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है, यदि हाँ, तो किस अपराध में बतायें? गैर संवैधानिक कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? कब तक की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वन क्षेत्रों में पट्टे का वितरण

107. **(क्र. 2817) श्री मुकेश नायक :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य में वन क्षेत्रों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में शासन द्वारा वन भूमि को राजस्व भूमि मानकर किसानों को उसके पट्टे दे दिये गये थे और इस कारण पट्टेधारियों से वन विभाग के भूमि विवाद बढ़ने लगे? यदि हाँ, तो इस संबंध में पूर्ण जानकारी दीजिए? (ख) क्या 1956 में नवगठित मध्यप्रदेश में अनेक ग्रामों के राजस्व नक्शे और भू-अभिलेख शासन के पास उपलब्ध नहीं है और इस कारण राज्य में वन भूमि और राजस्व भूमि को लेकर कई प्रकार के विवाद चल रहे हैं? वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी दें? (ग) वन विभाग और राजस्व विभाग के बीच भूमि विवाद के निपटारे के लिये और समस्या के स्थाई समाधान के लिये शासन की क्या नीति और योजना है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फोरलाइन सड़क निर्माण में नष्ट हैण्डपंपों की क्षतिपूर्ति

108. **(क्र. 2965) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रीवा जिले में एन.एच. 7 रीवा से हनुमना एवं मनगवां से चाकघाट एन.एच. 27 के निर्माणाधीन फोरलाइन के दौरान सड़क के किनारे स्थापित (हैण्डपंपों) नलकूपों को नष्ट किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो विभाग के कितने एवं पंचायत के कितने हैण्डपंप निर्मित, नष्ट किये गये है ग्राम पंचायतवार, उपखण्डवार जानकारी उपलब्ध करायें? नष्ट किये गये नलकूपों के प्रतिपूर्ति व जल आपूर्ति हेतु कार्य कर रही निर्माण कंपनी डाकवर्क/दिलीप बिल्डकॉन द्वारा क्या करार हुआ है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में (हैण्डपंपों) नलकूपों के पुन: निर्माण हेतु कितने लोगों व ग्रामवासियों तथा ग्राम गोदरी आदिवासी बस्ती, टिकुरी 32 अनु.जाति बस्ती, परासी चंदेह, टिकुरी 37 व अन्य बस्तियों से कितनी शिकायतें लिखित हुई है? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में दोषी अधिकारी एवं कंपनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक पीड़ित परिवारों को पेयजल की व्यवस्था की जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। म. प्र. सड़क विकास निगम से प्राप्त जानकारी अनुसार एन.एच.-7 में निर्माण कंपनी डाकवर्क/दिलीप बिल्डकॉन से कोई करार नहीं हुआ है तथा एन.एच.-27 में अनुबंधित कंपनी मे. टॉपवर्थ टोलवेज (मनगवाँ) प्रा. लि. कं.को अनुबंधानुसार बाधक हैण्डपंपों को स्थानान्तरित किया जाकर स्थापित करना है। (ग) म. प्र. सड़क विकास निगम से प्राप्त जानकारी अनुसार हैण्डपंपों/ नलकूपों के पुर्नस्थापन हेतु कुल 11 आवेदन ग्राम गोंदरी आदिवासी बस्ती, टिकुरी 32 अनु. जाति बस्ती, परासी, चंदेह, टिकुरी 37 व अन्य बस्तियों से प्राप्त हुए जिसमें 36 नलकूप स्थानान्तरित होकर पुनः निर्मित/स्थापित किये जाने हैं। (घ) म. प्र. सड़क विकास निगम से प्राप्त जानकारी अनुसार बाधक हैण्डपंपों में से 166 हैण्डपंपों को स्थानान्तरित कर स्थापित कर दिया गया है तथा शेष की कार्यवाही प्रगति पर है। अतः किसी पर कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट- "तीस"

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चरनोई से अवैध कब्जा हटाना

1. **(क्र. 68) श्री मुकेश नायक :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के पन्ना जिले की पवई तहसील में सरकारी चरनोई भूमि पर अवैध कब्जे, अतिक्रमण के कुल कितने प्रकरण दिसम्बर 2014 तक तहसीलदार अथवा जिला कलेक्टर को शिकायत के रूप प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही हुई? (ख) चरनोई भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए और कब्जा हटाने के लिए ग्राम पंचायतों को क्या अधिकार है और पंचायतों ने ऐसे कितने मामलों में क्या कार्यवाही की?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) पवई तहसील में कुल 13 प्रकरण दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही की जा चुकी है। कलेक्टर कार्यालय में कोई प्रकरण लंबित नहीं है। (ख) म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1994 के अध्याय 6 (पंचायतों के कृत्य) की धारा 66 ''घ'' में वर्णित है कि किसी चारागाह या अन्य भूमि में अप्राधिकृत रूप से खेती करके रूकावट बाधा या अतिक्रमण करेगा, जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले अपराध के मामले में ऐसे और जुर्माने से जो ऐसे अपराध के लिये प्रथम दोष सिद्धि की तारीख के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान ऐसा अतिक्रमण बाधा चालू रहती है, या आगे निकला भाग बना रहता है, बीस रूपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जा सकेगा।

पेयजल स्त्रोतों के पानी का सर्वेक्षण

2. **(क्र. 69) श्री मुकेश नायक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश में लगभग 27 जिलों के 7 हजार गांवों में हजारों जल स्त्रोतों में पानी में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक से काफी ज्यादा और हानिकारक पाई जा रही है? तथा इससे जनता को लाइलाज बीमारी का खतरा बढ़ गया है? ऐसी खतरनाक स्थिति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या रक्षात्मक उपाय किये हैं? (ख) क्या यह भी सही है कि राज्य के अनेक औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल स्त्रोंतों के पानी का नियमित सर्वेक्षण और रासायनिक परीक्षण नहीं कराया जा रहा है, जबकि इनमें भी दूषित पेयजल की शिकायत मिल रही है? (ग) शासन इन समस्यामूलक क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता के परीक्षण की नियमित व्यवस्था करने के बारे में क्या उपाय कर रहा है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। फ्लोराइड से प्रभावित बसाहटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के कार्य प्रगति पर हैं। (ख) जी नहीं। विभाग द्वारा नियमित रूप से विभागीय प्रयोगशालाओं में भूजल स्रोतों की गुणवत्ता परीक्षण के कार्य किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा भी औद्योगिक क्षेत्रों के पेयजल स्रोतों की जॉंच की जाती है। (ग) प्रदेश में स्थापित विभागीय राज्य, जिला एवं उपखंड स्तरीय

प्रयोगशालाओं के माध्यम से नियमित रूप से पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

उपार्जन केंद्रों में प्राकृतिक आपदा और विद्युत से नष्ट खाद्यान्न पर मुआवजा

3. **(क्र. 162) श्री मोती कश्यप :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्राकृतिक आपदा से कृषि उपज की क्षति पर कोई राहतराशि प्रदान की जाती है? विवरण देवें? (ख) क्या प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त उपरान्त शेष फसलों को उपार्जन केंद्रों में ले जाने पर तुलाई न हो पाने और अनायास पुनः वृष्टि/उपलवृष्टि होने से नष्ट हुई फसलों पर क्या राहतराशि देने का कोई प्रावधान किया है? (ग) क्या किन्हीं उर्वरक व उत्पादक खेतों से विद्युत लाईन ले जाई गई है और उनमें शार्ट-सर्किट होने से हुये अग्निकाण्ड से नष्ट हुई फसलों की जिम्मेदारी किसकी मानी जावेगी? (घ) क्या वि.स.क्षे. बड़वारा के ग्राम सिलौंड़ी में वर्ष 2012 से 2014 की अवधि में प्रश्नांश (ग) कारणों से किन्हीं के गन्ने की फसलें नष्ट हुई हैं और उससे कितनी क्षति होना पायी गई है? (ड़) क्या प्रश्नांश (क) से (घ) पर जनहित की दृष्टि से पीड़ित कृषकों को राहतराशि प्रदान करने हेतु किसी की जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगा और मुआवजा की कोई नीति बनावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। प्राकृतिक आपदा से कृषि उपज की क्षति पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत राहत राशि प्रदान की जाती है। (ख) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त उपरान्त शेष फसलों को उपार्जन केन्द्रों में ले जाने पर औसत अच्छी गुणवत्ता के अनाज होने की स्थिति में तुलाई की जाती है। उपार्जन केन्द्रों पर तुलाई न होने के कारण अनायास पुनः वृष्टि/उपलवृष्टि होने से यदि फसल उत्पादन क्षतिग्रस्त होता है तो इस प्रकार की क्षति के लिए आर.बी.सी. 6-4 में सहायता राशि का प्रावधान नहीं है। (ग) जहाँ उत्पादक खेतों से विद्युत लाईन ले जायी गई है और उसमें शार्ट सर्किट के कारण अग्नि दुर्घटना से फसल क्षति होती है तो इसके लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में सहायता राशि का प्रावधान नहीं है। ऐसी प्रत्येक अग्नि दुर्घटना का दायित्व जांच के पश्चात ही निर्धारित हो सकता है। (घ) तहसील ढीमरखेड़ा के अंतर्गत ग्राम सिलौड़ी में वर्ष 2014 में सिकमीदार कृषक गोकुल वल्द मस्तराम के गन्ने की फसल नष्ट हुई थी, उसमें लगभग 26000/-रूपये की क्षति हुई थी। विद्युत शार्ट सर्किट से आग लगने के कारण राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में प्रावधान नहीं होने से राहत राशि नहीं दी गई। (ड) विभाग में ऐसी कोई कार्यवाही वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

कटनी जिले में तालाबों के पट्टों का वितरण

4. **(क्र. 163) श्री मोती कश्यप :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला कटनी के किन विकासखण्डों के जलाशयों के पट्टों की अवधि जून 2014 में समाप्त हो गई है और विभाग द्वारा पट्टे की प्रक्रिया किस दिनांक से किस विधि से प्रारंभ की गई है? (ख) प्रश्नांश-क के लिये किन तिथियों में आवेदन आमंत्रित किये हैं और उनमें

से कौन किन आधारों पर वरीयता क्रम में आये हैं? (ग) क्या प्रश्नांश-'क', 'ख' के पट्टा आवंटन का अधिकार मछुआ नीति के अनुसार किन्हें प्रदत्त हैं और विभाग के द्वारा उन्हें कब प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं, तथा अनुमोदन प्राप्त किया गया है? (घ) विभाग में किन प्रकार के मत्स्यबीजों की उपलब्धता कब तक रहती है और क्या प्रश्नांश-(क) (ख) (ग) समितियां मत्स्यबीज संचय कर पावेंगी? (ड.) क्या तालाबों को मछुआ नीति के अनुसार समय पर पट्टा न आवंटित होने से आजीविका और मत्स्य बीज संवर्धन की कितनी क्षति हुई है और उसके लिये किसे जिम्मेदार माना जावेगा तथा क्या उससे क्षतिपूर्ति करायी जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) कटनी जिले के 02 विकासखण्डों के 05 सिंचाई जलाशय की पट्टा अवधि जून 2014 को समाप्त हुई। विभाग द्वारा पट्टे की प्रक्रिया विज्ञप्ति दिनांक से प्रारंभ हुई। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के 05 सिंचाई जलाशयों के आवेदन आमंत्रित करने की तिथियां तथा उनके वरीयता की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार** है। (ग) प्रश्नांश ''क'', ''ख'' में उल्लेखित सिंचाई जलाशयों के पट्टा आवंटन 100 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र संबंधित जनपद पंचायत एवं 100-1000 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र के पट्टे आवंटन के अधिकार जिला पंचायत को सौंपे गये है। विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुमोदन की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। (घ) विभाग में मेजर कार्प मत्स्य बीज की उपलब्धता दिसम्बर तथा कामन कार्प की उपलब्धता मार्च तक रहती है। प्रश्नांश समितियां विभागीय एवं निजी क्षेत्र के मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों से मत्स्य बीज क्रय कर संचयन कर पायेगी। (ड़) तालाब आवंटन प्रक्रिया में समय लगता है, क्योंकि प्रस्ताव का अनुमोदन संबंधित पंचायतें करती है। इस वर्ष में लोकसभा, नगरीय निकाये एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता में पट्टे की कार्यवाही में विलम्ब के लिये किसी को भी जिम्मेदार नही माना जा सकता। अत: अजीविका की क्षतिपूर्ति का प्रश्न ही नही।

<u>परिशिष्ट – ''इकत्तीस''</u>

<u>जनभागीदारी की योजनाओं में कार्य स्वीकृति</u>

5. **(क्र. 400) श्री सचिन यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा चलाई जा रही एक प्रतिशत और तीन प्रतिशत जनभागीदारी की योजनाऐं कितनी शासन को भेजी गयी है और कितने कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों की जानकारी स्थानवार तथा शेष की जानकारी स्थानवार लंबित हैं, के कारणों का उल्लेख कर जानकारी दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) शून्य। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश -''क'' के संदर्भ में जानकारी शून्य।

<u>स्व. सहायता समूहों एवं महिला मण्डलों की जानकारी</u>

6. **(क्र. 614) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सत्य है कि पोषण आहार एवं सबला योजनांतर्गत बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं, बालिकाओं को टेक होम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था एम.पी. एग्रो के माध्यम से की जाती है? (ख) क्या यह सत्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत स्व. सहायता समूहों के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र में स्व. सहायता समूह एवं महिला मण्डल के माध्यम से जिला स्तर से संचालित किये जाने के प्रावधान है? (ग) भिण्ड जिले में किस-किस विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत किस-किस नाम एवं पते के स्व. सहायता समूह एवं महिला मंडल 01.04.2012 से प्रश्न तिथि तक कार्यरत है? वर्षवार/विधानसभावार/स्व. सहायता समूहवार/महिला मंडलवार/नामवार/पतेवार जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित जिले में एवं वर्णित समयानुसार उक्त स्व. सहायता समूहों एवं महिला मण्डलों को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? वर्षवार/माहवार/राशिवार/स्व. सहायता समूहवार/महिला मण्डलवार/विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करायें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) का दुरूपयोग</u>

7. **(क्र. 615) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के ता.प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 3452) दिनांक 16.07.14 के उत्तर में मौखिक चर्चा के दौरान प्रकरण की जांच वरिष्ठ अधिकारी से कराये जाने की घोषणा माननीय मंत्री जी के द्वारा सदन में की थी? तो उक्त घोषणा के वाद किस नाम/पदनाम के वरिष्ठ अधिकारी को म.प्र. शासन राजस्व विभाग ने किस दिनांक को किस जारी आदेश क्रमांकों से प्रकरण का जांच अधिकारी नियुक्त किया? (ख) क्या यह सत्य है कि उक्त कंपनी के द्वारा मैहर तहसील में कई अन्य आदिवासियों की भूमि अपने आदिवासी ड्राइवर सुंदर कोल के नाम खरीद रखी है? क्या इसका उल्लेख प्रश्न क्रमांक 3452 दिनांक 16.07.14 में है? क्या उक्त भूमियों के कंपनी के पक्ष में हस्तांतरण के आवेदन भी राज्य शासन/आयुक्त रीवा संभाग/कलेक्टर सतना के कार्यालय में लंबित है? प्रकरणवार जानकारी दें? (ग) क्या यह सत्य है कि उक्त कंपनी के द्वारा लगातार कानून का उल्लंघन करने आदिवासियों की भूमि पर बलात कब्जा करने/नियम विरूद्ध बाउन्ड्रीवाल एवं फैक्ट्री बनवा लेने/उक्त अवैधानिक कृत्य की पेशबंदी और उसे सही ठहराने के लिये 25.11.13 को म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) का दुरूपयोग किया गया? क्या उक्त कृत्य को राज्यशासन अवैधानिक मानता है? क्या कार्यवाही प्रश्नतिथि तक की गई? बिंदुवार विवरण दें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। आयुक्त रीवा संभाग रीवा को जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 9.2.2015 को लिखा गया है। (ख) मैहर तहसील में आदिवासी सुन्दर कोल द्वारा अन्य आदिवासियों से क्रय की गई भूमि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। जी हाँ, इन भूमियों का उल्लेख 3452 दिनांक 16.7.2014 में है। राज्यशासन के समक्ष ऐसा कोई आवेदन लंबित नहीं है। अपर आयुक्त (राजस्व) रीवा संभाग रीवा के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक-769/अपील/11-12 सुन्दर कोल बनाम शासन में पारित आदेश दिनांक 6.6.2012 से प्रकरण कलेक्टर सतना को विचारोपरांत नियमानुसार अनुमति जारी करने बावत प्रत्यावर्तित किया गया है। (ग) विधिक वस्तुस्थिति आयुक्त रीवा संभाग रीवा से अपेक्षित जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्पष्ट हो सकेगी। शेष जानकारी उत्तरांश ''क'' अनुसार।

परिशिष्ट – "बत्तीस"

गुना जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा किये गये कार्यों में अनियमितता

8. **(क्र. 646) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गुना जिले में वर्ष 2012 से 2014 तक म.प्र. शासन की राशि, सांसद निधि एवं विधायक निधि से कितने नलकूप खनन हुये विधानसभाक्षेत्रवार बताये साथ ही यह भी बताये कि गत तीन वर्षो में स्वीकृत नलकूपो का खनन अभी तक क्यों नही हुआ उनका भौतिक सत्यापन कर कारण सहित जानकारी दें? (ख) गुना जिले में विभाग द्वारा गत तीन वर्षो में ऐसे कितने नलकूप है जिनमें हैण्डपंप के स्थान पर विद्युत पम्प लगाये है ऐसे कितने पम्प हैं जिनकी मरम्मत की है नलकूप खनन, हैण्डपम्प एवं विद्युत पम्प तथा मरम्मत की राशि का निर्धारित लक्ष्य एवं वार्षिक बजट की जानकारी दें? (ग) गुना जिले की विधानसभा क्षेत्र बमोरी एवं विधानसभा क्षेत्र गुना में गत तीन वर्षों में नवीन हैण्डपम्प निर्माण, सांसद एवं विधायक निधि के कार्य तथा मरम्मत व्यय आदि किस-किस फर्म से कितनी राशि व्यय करके पूर्ण एवं अपूर्ण की जानकारी दें? (घ) विधानसभा क्षेत्र बमोरी एवं विधानसभा क्षेत्र गुना में गत तीन वर्षो में नलकूप, विद्युत पम्प हैण्डपंप तथा पेयजल टंकी निर्माण आदि समस्त कार्यो पर किये गये वार्षिक व्यय की जानकारी एवं अपूर्ण कार्यो की सूची कारण सहित जानकारी दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 1025 नलकूप, क्रमशः विधानसभा क्षेत्र गुना में 137 बमोरी में 409, राघोगढ़ में 243 तथा चचोड़ा में 236। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" व "2" अनुसार**। (ख) 106 नलकूप जिनमें हैण्डपंप के स्थान पर विद्युत पंप लगाये गये। इनमें से 28 पंपों की मरम्मत की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"3" अनुसार**। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1", "2" व "4" अनुसार**। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"5" एवं "6" अनुसार।**

इंदौर जिले में महिलाओं के अपराध रोकने के लिये बनी निर्भया पेट्रोलिंग वैन का संचालन

9. **(क्र. 674) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इंदौर जिले में महिलाओं से संबंधित अपराध रोकने के लिए बनी निर्भया पेट्रोलिंग वैन का संचालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो वर्तमान में इंदौर जिले में कितनी निर्भया पेट्रोलिंग वैन का संचालन किया जा रहा है, थाना क्षेत्रवार संख्या स्पष्ट करें? (ख) प्रश्न (क) अनुसार संचालित निर्भया पेट्रोलिंग वेन के माध्यम से प्रश्न पूछे जाने तक कितनी शिकायतों का निराकरण करने हेतु अपराध रोके गये?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। इंदौर जिले में 01 निर्भया मोबाइल का संचालन किया जा रहा है, जो संपूर्ण शहरी क्षेत्र में भ्रमण करती है। (ख) महिलाओं की सुरक्षा के लिये निर्भया पेट्रोलिंग वेन की व्यवस्था की गई है जिसमें पुलिस महिला कर्मचारियों को ही पेट्रोलिंग का दायित्व सौंपा गया है, इस पेट्रोलिंग का दायित्व सौंपा गया है, इस पेट्रोलिंग वेन को दो मोबाइल नंबर प्रदाय किये गये हैं। विद्यालय एवं महाविद्यालयों, छात्रावास, पार्क, बाजार एवं अन्य भीड़भाड़ इलाकों में लागातार गश्त कर मोबाइल पर सूचना मिलने पर तुरन्त उस स्थान पर पहुंचकर कार्यवाही की जाती है। शिकायतों का निराकरण कर रोके गये अपराधों की जानकारी निरंक है।

<u>चिटफंड कम्पनियों द्वारा आम जनता को धोखा एवं जालसाजी</u>

10. **(क्र. 675) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश में चिटफंड कम्पनियों द्वारा विगत तीन वर्षों में आम जनता को धोखा व जालसाजी के प्रकरण बने हैं? यदि हाँ, तो किन-किन कम्पनियों के नाम प्रकरण बने हैं? कम्पनियों द्वारा की गई लूट राशि सहित सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्न (क) अनुसार चिटफंड कम्पनियों के प्रकरणों में प्रदेश शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? स्पष्ट करें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश 'क' के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर विधिक प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

<u>प्रदेश में शास. कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ मारपीट की घटनाओं पर कार्यवाही</u>

11. **(क्र. 763) श्री रामनिवास रावत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 1 जनवरी 2013 से प्रश्नांकित तिथि तक कितने शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ प्रताड़ित करने, मारपीट करने व शासकीय कार्य में अवरोध करने व अन्य प्रकार की घटनायें घटित होने की शिकायतें पुलिस थानों में हुई व कितनों में प्रकरण पंजीबद्ध किये गये? जिलेवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकरणों में कितने-कितने आरोपीगण अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं? कितनों की गिरफ्तारी की जाना शेष है? जिलेवार जानकारी दें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट – "तैंतीस"</u>

<u>लोकायुक्त द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु भेजे गए प्रकरणों पर कार्यवाही</u>

12. **(क्र. 770) श्री रामनिवास रावत :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. लोकायुक्त कार्यालय द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु शासन को भेजे गए 129 प्रकरण, जनवरी 2014 एवं उनके पश्चात से विभाग में लंबित हैं जिनमें प्रशासकीय विभाग से अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है जैसा कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 158 दिनांक 2 जुलाई 2014 के उत्तर में उल्लेख किया गया है? यदि हाँ तो इनमें से कितने प्रकरणों में विभाग से अभिमत प्राप्त होने पर कार्यवाही की गई है? कितनों में नहीं? (ख) जून 2014 से प्रश्नांकित दिनांक द्वारा लोकायुक्त कार्यालय द्वारा राज्य शासन को लोक सेवकों के विरूद्ध कितने प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु भेजे गए? कितने प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान की गई? कितनों में नहीं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) :(क) जी हाँ। 129 प्रकरणों में से 45 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी किये गये हैं सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। (पताका "क") शेष 84 प्रकरणों में कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाना है सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। (पताका "ख") (ख) जनू 2014 से 31 जनवरी 2015 तक 292 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 78 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी होने की जानकारी इस विभाग को प्राप्त है। शेष 214 प्रकरण प्रशासकीय विभागों में लंबित हैं। (दिनांक 05.09.2014 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति के समस्त अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभागों को प्रदान किये गये हैं। परिपत्र की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है)

<u>पिपलौदा जिला रतलाम आदि की जिनिंग फैक्ट्री की भूमि के बारे में</u>

13. **(क्र. 782) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अता.प्रश्न संख्या 6 (क्र. 54) दिनांक 10.12.14 के उत्तर में जानकारी एकत्रित की जा रही है बताया है, क्या उक्त जानकारी एकत्रित कर ली गई है यदि हाँ तो क्या? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या यह सही है कि कस्बा पिपलौदा जिला रतलाम रियासत सन् 1929-30 के अनुसार सर्वे क्र. 1820 व 1821 के पंचशाला खसरा के कॉलम नं. 7 में तफशिलहक नाम हकदार मय वलदियत खास सरकार उल्लेखित है व कॉलम नं. 12 में नारायण दास पिता लक्ष्मीनारायण दास महाजन जिनिंग फैक्ट्री उल्लेखित है तो उक्त भूमि पक्का कृषक कैसे दर्ज हुआ जबकि कृषकाधिकार विधान संवत् 2007 क्र. 66 सन् 1950 की धारा 54 के खण्ड (7) के अनुसार पक्का कृषक वह व्यक्ति बनता है जिसे भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बा पिपलौदा में जिनिंग फैक्ट्री के संबंध में पूर्व बंदोबस्त के अभिलेखों के आधार पर वर्तमान में निजी स्वत्व पर अंकित भूमियों की जांच कार्यवाही प्रचलित है। जांच की पूर्णता पर (शासन के निर्देशों के अनुरूप) नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। (ख) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावरा से प्राप्त अभिलेख के अनुसार - कस्बा पिपलोदा जिला रतलाम में खसरा रियासत पिपलोदा रिकार्ड अनुसार सन् 1929-30 में सर्वे क्रमांक 1820 रकबा 0.92, सर्वे क्रमांक 1821 रकबा 0.74 पर खसरा कालम नम्बर सात में खास सरकार शब्द अंकित है, तथा खसरा के कालम नम्बर 12 में नारायणदास पिता लक्ष्मीनारायण जी महाजन साकिन जावरा जीनिंग फैक्ट्री रिकार्ड दर्ज है। वर्ष 1957-58 का खसरा रिकार्ड अवलोकन करने से स्पष्ट नहीं होता कि पक्का कृषक कैसे दर्ज हुआ।

<u>मुंगावली जिला अशोक नगर क्षेत्र में पेयजल समस्या का समाधान</u>

14. **(क्र. 791) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पिछले 1 वर्षों में प्रश्नकर्ता द्वारा मुंगावली विधान सभा क्षेत्र की जल समस्या नवीन हैण्डपंप लगाने व रिपेयर करने के संबंध में कब-कब किस-किस स्तर पर पत्र लिखे गये व उन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई व विभाग द्वारा किस-किस गांव में पेय जल समस्या के समाधान हेतु कितने-कितने व क्या-क्या कार्य किये? (ख) आगे कहाँ-कहाँ नवीन हैण्डपंप, ट्यूबवैल व अन्य पेय जल की समस्या समाधान हेतु क्या-क्या कार्य किस-किस गांव में किये जायेंगे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" व "2" अनुसार।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"3" अनुसार।**

<u>खेल के मैदानों हेतु भूमि का ग्रामवार आरक्षण</u>

15. **(क्र. 795) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में प्रत्येक गांव में खेल के मैदान हेतु भूमि आरक्षित करने के बारे में शासन ने कितने किस-किस तिथि को क्या निर्देश सर्कुलर जारी किये? (ख) मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने गांवों में खेल के मैदान के लिये भूमि आरक्षित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई व कितने गांवों में नहीं हुई हैं? जिलेवार संख्या दें? (ग) मुंगावली तथा जावरा विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से किस-किस गांव में खेल के मैदान हेतु भूमि आरक्षित हो गई व किन-किन गांवों में नहीं हुई? गांवों की सूची के साथ नामवार गांव बताएं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>हैण्डपम्पों की स्वीकृति</u>

16. **(क्र. 837) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मंदसौर एवं रतलाम, जिले में किस-किस गांव, शहर एवं बस्ती में 01 जनवरी 2013 के पश्चात कितने हेण्डपम्प लगाये गये, जानकारी दें? (ख) उक्त हैण्डपम्प किस-किस दिनांक को किस-किस मद से स्वीकृत हुए? स्वीकृत हैण्डपम्पों में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से हैण्डपम्प किन-किन कारणों से असफल रहे? मंदसौर जिले में लगाये गये हैण्डपंप की औसत गहराई भी बतायें? (ग) मंदसौर जिले में उक्त अवधि में स्वीकृत हैण्ड पम्प किन-किन कारणों से अब तक नहीं लगाये जा सके जानकारी दें? (घ) हैण्डपम्प हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस मद से स्वीकृत हुई? जानकारी दें तथा बताऐं कि उक्त जिलों में कितने अनुपयोगी हैण्डपम्प एवं ट्यूबवेल के पाईप की चोरी के संबंध में विभाग द्वारा कब-कब पुलिस में प्रकरण दर्ज करायें हैं? (ड.) मंदसौर एवं रतलाम में हैण्ड पम्प लगाये जाने में कितनी शिकायतें प्राप्त

हुईं? शिकायतकर्ता का नाम, जॉच अधिकारी का नाम सहित शिकायत की वर्तमान स्थिति से अवगत करावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में 1852 हैण्डपंप। शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के कार्य स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत किये जाते हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" अनुसार**। औसत गहराई 129.72 मीटर। (ग) आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण कार्य शेष है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"2" अनुसार**। कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं कराया गया। (ड.) कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

<u>पेयजल योजनाओं की स्वीकृति</u>

17. **(क्र. 838) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मन्दसौर, रतलाम एवं नीमच जिले में 1 जनवरी 2013 से उत्तर दिनांक तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौन-कौन सी नलजल योजना किस-किस दिनांक को कहॉ-कहॉ स्वीकृत एवं पूर्ण हुई जिलेवार, तहसील, शहर ग्राम सहित जानकारी एवं स्वीकृत आदेश की प्रतिया भी उपलब्ध कराये? (ख) उक्त नलजल योजना में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई एवं इनसे कौन-कौन से गॉव एवं शहर लाभान्वित हुए? (ग) स्वीकृत योजनाओं में निर्माणाधीन किस-किस योजना का कार्य किस-किस स्तर पर है? (घ) उक्त अवधि में स्वीकृत योजनाओं का कौन सा कार्य किस-किस दिनांक को पूर्ण हुआ उस पर कितनी राशि व्यय हुई जानकारी दें? (ड.) क्या उक्त स्वीकृत कार्यों के निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" एवं "2" अनुसार**। शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के कार्य स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत किये जाते हैं। (ख) ग्रामीण क्षेत्रों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" अनुसार**। शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के कार्य स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत किये जाते हैं। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"3" अनुसार**। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" एवं "3" अनुसार**। (ड) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "3" अनुसार**।

<u>नगरीय क्षेत्रों में संचालित ईंटों के भट्टे</u>

18. **(क्र. 841) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मन्दसौर, नीमच जिले में नगरीय निकाय क्षेत्र में ईंट के भट्टे, मिट्टी के बर्तन (मटके) या अन्य मिट्टी की वस्तुएं कहाँ-कहाँ बनाई जा रही हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में स्थित

उक्त ईंट के भट्टों को शहर से बाहर संचालित करने हेतु क्या-क्या योजना विभाग द्वारा बनाई गई हैं? (ग) ईंट के भट्टे, मिट्टी के बर्तन निर्माण को संचालित करने हेतु नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा क्या कोई सहायता प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो अवगत करावें? (घ) शहरी क्षेत्र में मिट्टी के भट्टों से हो रहे प्रदूषण से प्रश्नांश(क) अन्तर्गत 1 जनवरी, 2012 से प्रश्न दिनांक तक कितनी शिकायत की गई? उस पर क्या कार्यवाही की गई?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>गुना जिले की पेयजल योजनाओं की जानकारी</u>

19. **(क्र. 901) श्रीमती ममता मीना :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गुना में गतवर्ष एवं 100 दिन की कार्य योजना में कौन-कौन से कार्यों पर कितनी राशि खर्च की गई? जिलावार जानकारी दें एवं कितनी नलजल योजनायें बंद हैं, कितनी चालू हैं? यह भी बतायें? (ख) म.प्र. के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों की जानकारी दें जहाँ पेयजल की कमी है, उनमें सुधार के क्या उपाय किये जा सकते हैं? (ग) गुना जिलें में गत 3 वर्षों के एवं वर्ष 2014 के 100 दिनों में विभाग द्वारा किये गये मद वार खर्चों एवं पेयजल स्त्रोतों की जानकारी दे? मुख्यमंत्री पेयजल योजनाओं की भी जानकारी दें कि कितनी योजनायें बनी उनमें से कितनी बंद पड़ी हैं? (घ) गुना जिले में विकासखण्ड वार बतायें कि कौन-कौन से क्षेत्रों में पेयजल की कमी है एवं बंद पड़ी योजनाओं को चालू कैसे और कब करेंगे तथा गत 3 वर्षों में किये गये खर्चों का इस वर्ष सहित मदवार ब्यौरा दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" व "2" अनुसार।** 42 नलजल योजनाएं बंद व 70 नलजल योजनाएं चालू हैं। (ख) किसी भी ग्राम में पेयजल की कमी नहीं है। विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में कार्य नहीं किया जाता है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"2" व "3" अनुसार।** गत 3 वर्षों में 1038 नवीन नलकूप खनन कर हैण्डपंप/पावर पंप स्थापित किये गये, 100 दिवसीय कार्य योजना अंतर्गत 291 नवीन नलकूप खनित कर हैण्डपंप/पावर पंप स्थापित किये गये। 60 मुख्यमंत्री पेयजल योजनाएं क्रियान्वित, इनमें से 33 बंद हैं। (घ) किसी भी विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की कमी नहीं है। स्रोत से बंद 8 योजनाओं में स्रोत निर्माण हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है, शेष बंद योजनाओं को चालू करने हेतु कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा की जानी है, विभाग द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन देकर बंद योजनाओं को चालू कराने के प्रयास किये जा रहे हैं, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"3" व "4" अनुसार।**

<u>खंडवा जिले में पेयजल योजनाओं पर व्यय</u>

20. **(क्र. 993) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खंडवा जिले में वर्तमान में कितने पेयजल नलकूप कार्यरत है? विगत तीन वर्षों में पेयजल नलकूपों के संचालन एवं संधारण पर कितनी-कितनी राशि का व्यय किया गया? विधानसभा क्षेत्र वार जानकारी दें? (ख) पेयजल स्तर में कमी के कारण बंद हुए नलकूपों पर मरम्मत एवं संधारण पर कितनी राशि का व्यय हुआ? विधानसभा क्षेत्र वार विगत तीन वर्षों की जानकारी दें? (ग) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र वार, वर्षवार कितनी-कितनी राशि का व्यय अब तक विगत तीन वर्षों में किया गया? (घ) क्या यह सही है कि शासन के लाखों रूपये व्यय होने के बाद भी पेयजल के अधिकांश नलकूप एवं गांवों की नल जल योजना बंद पड़ी है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? इसके सही क्रियान्वयन के लिये क्या विभाग मानीटरिंग सिस्टम लागू करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 5881 नलकूप। **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार।** (ख) रूपये 14.45 लाख। **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार।** (ग) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार।** (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की योजनाएं

21. **(क्र. 1230) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्योपुर जिले में वर्तमान में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं, इनके संचालन हेतु वर्ष, 2012-13 से वर्तमान की अवधि में जिले को वर्षवार प्राप्त हुई राशि किन-किन कार्यों में व्यय की गई, योजना/कार्य/ वर्षवार बतावें? (ख) उक्त संचालित योजनाओं में से जिले के उक्त अवधि में कितने हितग्राही किन-किन योजनाओं से वर्षवार लाभान्वित हुए, संख्या बतावें? (ग) वर्तमान में किन-किन योजनाओं के तहत कितने हितग्राहियों के आवेदन विभाग को वर्ष, 2014-15 से वर्तमान तक प्राप्त हुए उस में से कितने आवेदनों को निराकृत कर दिया गया है? कितने आवेदन लंबित पड़े हैं? इनका निराकरण कब-तक करके हितग्राहियों को लाभान्वित किया जावेगा? (घ) विभागीय योजनाओं के संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं? निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

अनाथ आश्रम में आश्रित बच्चों के जाति एवं छात्रवृत्ति वितरण

22. **(क्र. 1265) श्री हरवंश राठौर :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनाथ आश्रम में आश्रित बच्चों के जाति प्रमाण पत्र किस आधार पर तैयार किए जाते हैं? (ख) अनाथ आश्रम में आश्रित बच्चों के पालक/अभिभावकों का नामांकरण किस आधार पर किया जाता है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनाथ आश्रम संचालित नही किये जाते है। विभाग द्वारा किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत विभिन्न प्रकार के आश्रय गृह यथा शिशु गृह, बाल गृह, पश्चातवर्ती गृह, आश्रय गृह एवं खुला आश्रय गृह शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओ के माध्यम से संचालित किये जाते है। इन गृहों में देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद, अनाथ परित्यक्त, कचरा बीनने वाले, भीख मांगने वाले, बेसहारा बालको को रखा जाता है। इन आश्रय गृहों में निवास करने वाले अनाथ बच्चो को दत्तक पर दिया जाता है संभावित माता-पिता की जाति अनुसार ही इन बच्चो की जाति निर्धारित होती है। जिन बच्चो की अपनी जाति ज्ञात होती है उनके जाति प्रमाण-पत्र तदनुसार बनवाए जाते है। इसके उपरान्त भी यदि कोई अनाथ बच्चा मिलता है जिसे अपने बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है की जाति का निर्धारण करने का अधिनियम/नियम में कोई प्रावधान नहीं है। (ख) प्रश्नांश ''क'' गृह के अधीक्षक का नामांकन पालक/अभिभावक के रूप में होता है।

प्रदेश की जेलों में विचाराधीन कैदी

23. **(क्र. 1367) श्री राजेश सोनकर :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि जिन धाराओं में दण्ड की अवधि दी गई है और उसकी आधी अवधि विचाराधीन कैदी द्वारा भुगती जा चुकी है, तो उसे रिहा कर दिया जाय? (ख) प्रदेश की जेलों में कितने प्रश्नांश भाग (क) के आधार वाले कैदी हैं, जिन्हें रिहा नहीं किया गया? (ग) 1.9.2014 से 31.1.2015 तक मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की परिधि में आने वाले कितने विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया? (घ) अगर निर्देश का पालन नहीं हुआ, तो क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-436(क) में यह प्रावधान दिया गया है कि विचाराधीन प्रकरण में दी गई अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में व्यतीत कर लेने पर उक्त धारा में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार संबंधित माननीय न्यायालय कैदी को जमानत या मुचलके पर रिहा कर सकता है। (ख) प्रश्नांश भाग "क" के अंतर्गत आने वाले कैदियों की संख्या दिनांक 31.01.2015 की स्थिति में कुल 07 कैदी है, जिन्हें संबंधित माननीय न्यायालय द्वारा जमानत/मुचलके पर रिहा नहीं किया गया है। (ग) उत्तर-"क" के आलोक में 35 विचाराधीन बंदियों को दिनांक 01.09.2014 से 31.01.2015 तक संबंधित न्यायालयों द्वारा रिहा किया गया। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अंधियारी सागर बांध मैहर के प्रभावित किसान को मुआवजा

24. **(क्र. 1391) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले की तहसील मैहर अंतर्गत विभाग द्वारा अंधियारी सागर बांध एवं नहर योजना के तहत जमीन अधिग्रहण करने हेतु दि. 01.01.2012 को प्रकाशन किया जाकर

ग्राम बंदरिया की आराजी नं. 132:3 रकबा 0.596 हे. भूमि, भूमि-स्वामी जगानू पिता रामजियावन चमार निवासी गुलवार कोठार को क्र. 70 दिनांक 01 जनवरी 2014 को भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 12(1) के अनुसार नोटिस दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त जमीन का मुआवजा राशि रू. 1,87,441/- बनाई गई है? जिस पर भू-स्वामी द्वारा अपनी आराजी सिंचित एवं दो फसली होने के कारण सिंचित के मान से मुआवजा राशि भुगतान करने के लिये कलेक्टर सतना, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मैहर जिला सतना को आवेदन दिया गया है? (ग) क्या उक्त आराजी में कपिलधारा योजना के तहत वर्ष 2010-11 में कूप स्वीकृत हुआ था एवं निर्मित था जो हल्का पटवारी द्वारा खसरा में भी दर्ज किया गया है लेकिन पटवारी द्वारा असिंचित का मुआवजा बनाया गया है, क्यों? (घ) यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ तो क्या सिंचित का मुआवजा बनाने के लिये निर्देश विभाग को दिये जायेंगे एवं मौके से निरीक्षण कराया जायेगा कि उक्त आराजी में कूप निर्मित है या नहीं? यदि निर्मित हैं तो तत्कालीन हल्का पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>पहुंच मार्गों को राजस्व विभाग के नक्शे में अंकित करना</u>

25. **(क्र. 1392) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना के विधानसभा क्षेत्र, रैगांव में ऐसे कितने गांव हैं, जिनके पहुंच मार्ग राजस्व विभाग के नक्शे में अंकित नहीं हैं, क्यों? (ख) क्या यह सत्य है कि गांवों के पहुंच मार्ग राजस्व विभाग के नक्शों में अंकित न होने से अकारण विवाद एवं गांवों की शांति भंग होती रहती है? (ग) उक्त पहुंच मार्गों को नक्शों में अंकित करने में शासन पर कितना वित्तीय भार आता है? (घ) क्या यह भी सत्य है कि उक्त रास्तों का नक्शे में अंकित न होने के कारण कई गांवों की सड़कों का निर्माण रूका पड़ा है? (ड.) प्रश्नांश (क) में अंकित ऐसे गांवों के पहुंच मार्ग, जो नक्शे में अंकित नहीं है? कब तक नक्शों में अंकित किए जाऐंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) सतना के विधान सभा क्षेत्र रैगांव में कुल 13 ग्राम ऐसे हैं जिनके पहुंच मार्ग राजस्व विभाग के नक्शे में लाल स्याही से अंकित नहीं हैं लेकिन नक्शों में पेन्सिल से प्रदर्शित हैं। उक्त ग्रामों के रास्तों की भूमि, भूमिस्वामी स्वत्व की होने के कारण एवं ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत के माध्यम से भूमि अधिग्रहण या म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 173 अंतर्गत त्यजन की कार्यवाही का प्रस्ताव न भेजे जाने से नक्शे में लाल स्याही से तरमीम किया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। (ग) उक्त पहुंच मार्गों को नक्शे में दर्ज करने में भूमि स्वामी हक की भूमि बीच में होने से वैधानिक कठिनाई है। यदि उक्त पहुंच मार्गों के बीच में स्थित भूमि का भू-अर्जन किया जाता है तो संबंधित क्षेत्र विशेष की सब रजिस्ट्रार गाईड लाईन में अंकित दरों एवं भू-अर्जन अधिनियम एवं उसके अद्यतन नियमों के अंतर्गत अवार्ड में मुआवजा निर्धारण की राशि जो भी

अभिनिश्चित होगी वही देय होगी। (घ) जी नहीं। (ड.) पहुंच मार्गों के मध्य में पड़ने वाली भूमि स्वामी हक की भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव प्राप्त होने व तद्अनुक्रम में कार्यवाही पूर्ण होने पर या संबंधित भूमिस्वामी के द्वारा त्यजन की कार्यवाही किए जाने पर ही प्रश्नगत भूमि नक्शे में अंकित की जा सकती है। जिसकी समय सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>राजस्व निरीक्षक के स्वीकृत पद</u>

26. **(क्र. 1393) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में वर्तमान में राजस्व निरीक्षक के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? (ख) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में एक साथ कितने पद रिक्त हो रहे हैं एवं कितने राजस्व निरीक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं? (ग) प्रदेश में कई जिलों (शहडोल) में हल्का बंदी लागू हो गई है, लेकिन सतना जिले में कब तक हल्का बंदी पंचायतवार लागू होगी? क्या हल्का बंदी होने से राजस्व निरीक्षक वृत बढ़ेंगे? यदि हाँ, तो उन पर नियुक्ति कब तक होगी? (घ) रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु पटवारियों से विभागीय परीक्षा पश्चात ट्रेनिंग/प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति कब तक करने की शासन की मंशा है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) मध्यप्रदेश में वर्तमान में राजस्व निरीक्षक के 2167 पद स्वीकृत होकर दिसम्बर 2014 की स्थिति में 533 पद रिक्त हैं। (ख) राजस्व निरीक्षकों के वर्ष 2013-14में 512 पद रिक्त थे तथा वर्ष 2014-15 में 31.12.2014 की स्थिति में 533 पद रिक्त हैं। मार्च 2015 तक 24 राजस्व निरीक्षक सेवानिवृत्त होंगे। (ग) प्रदेश के समस्त जिलों में पटवारी हल्का बंदी लागू कर दी गई है। सतना जिले में पूर्व हल्का बन्दी के अनुसार राजस्व निरीक्षक वृत्तों की संख्या 28 थी जो नवीन हल्का बंदी के पश्चात बढ़कर 41 कर दी गई है। बढ़ाये गये राजस्व निरीक्षक वृत्तों पर पद स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वर्ष 2010 तक पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण 118 पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों पर जुलाई 2014 में पदोन्नत कर जिलों में पदस्थ किया जा चुका है, 111 शेष पटवारियों को परिभ्रमण में होने से उनसे संबंधित जानकारी जिलों से प्राप्त होते ही शीघ्र उन्हें भी रिक्त राजस्व निरीक्षकों के पद पर पदोन्नत कर पदस्थ कर दिया जावेगा। शेष 416 राजस्व निरीक्षकों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर व्यापम द्वारा भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है।

<u>संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस बल बढ़ाऐ जाने बावत्</u>

27. **(क्र. 1413) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के पुलिस विभाग अंतर्गत सागर जिले में कुल कितने पुलिस थाने हैं और कहाँ-कहाँ हैं? इन पुलिस थानों में किस-किस सवंर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत है, कितने पद भरे हुये हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? (ख) सागर जिले के अंतर्गत किस पुलिस थाने के क्षेत्रांतर्गत दिनांक 1.1.2012 से 31.1.2015 तक गौ मांस की तस्करी के, अनाधिकृत रूप से मवेशी परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज हुये है? (ग) सागर जिले के कौन-कौन से थाना क्षेत्र सिमी एवं अन्य प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों के कारण संवेदनशील हैं और इन पुलिस थानों में क्षेत्र की जन संख्या के अनुपात से पुलिस बल की कितनी कमी है? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के अनुसार उक्त पुलिस थानों में कितना पुलिस बल तैनात है और क्या यह पर्याप्त हैं? यदि नहीं तो पर्याप्त बल की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ग) सागर जिले का कोई थाना सिमी अथवा अन्य प्रतिबंधित संगठनो की गतिविधियों के कारण संवेदनशील नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ग' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>उषा किरण योजना में दर्ज प्रकरणों का निराकरण</u>

28. **(क्र. 1414) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में उषा किरण योजना का क्रियान्वयन किस दिनांक से किया गया है और इसका मूल उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत मध्यप्रदेश में 31 जनवरी 2015 तक कुल कितने प्रकरण दर्ज हुये हैं, तथा इनमें से कितने प्रकरणों का निराकरण हो चुका है, तथा कितने प्रकरण निराकरण के लिए शेष हैं? जानकारी संख्यात्मक एवं जिलेवार दी जाये? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार दर्ज हुये प्रकरणों में से कितने प्रकरण सही एवं प्रमाणित पाये गये हैं? जो प्रकरण सही एवं प्रमाणित पाये गये हैं, उन प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में सुलह करायी जाकर प्रकरण निराकृत किये गये हैं? (ग) पंजीयत कितने प्रकरणों में कितनी महिलाओं को संरक्षण दिया गया, कितनी महिलाओं को कानूनी सहायता दी गयी, तथा कितने प्रकरणों में कितनी महिलाओं को पुर्नवास की सुविधा उपलब्ध करायी गयी? जानकारी जिलेवार दी जाये? (घ) दिनांक 31 जनवरी 2015 की स्थिति में दर्ज हुये प्रकरणों में से कितने प्रकरण लंबित हैं और क्यों? इन लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक करा दिया जावेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) मध्य प्रदेश में उषा किरण योजना का क्रियान्वयन 31 मार्च 2008 से किया गया है। इसके मूल उद्देश्य की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'क' के अनुसार** है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 31 जनवरी 2015 तक कुल दर्ज प्रकरण, निराकृत प्रकरण एवं शेष प्रकरणों की संख्यावार एवं जिले वार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ख' के अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ग' के अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'घ' के अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ड' के अनुसार** है, लंबित प्रकरणों का निराकरण परिवार परामर्श केंद्र एवं माननीय न्यायालय द्वारा किया जाता है अतः समय सीमा नहीं दी जा सकती।

<u>कुपोषित बच्चों हेतु थेरेप्यूटिक फूड का उत्पादन</u>

29. **(क्र. 1425) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि महिला एवं बाल विकास विभाग गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार के लिये रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड के उत्पादन के बारे में विचार कर रहा है? (ख) क्या यह भी सही है कि इसका उत्पादन एम.पी.स्टेट एग्रो कॉरपोरेशन के द्वारा करवाने का निर्णय लिया गया है? (ग) क्या यह भी सही है कि एम.पी.स्टेट एग्रों

कॉरपोरेशन ने इसका उत्पादन स्वयं न करके किसी निजी कंपनी के द्वारा करवाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? (घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार अपने संसाधनों से इस तरह की कंपनी को उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिये आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है? इस इकाई की स्थापना पर कितना व्यय आना संभावित है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) वर्तमान में विचार नही किया जा रहा है। (ख) जी नहीं। ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता। (ग) जी नहीं। ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता। (घ) जी नहीं।

रेशम निर्माण की गतिविधियां

30. **(क्र. 1428) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में रेशम उद्योग के अधीन जिलों में कहाँ-कहाँ रेशम केन्द्र हैं व रेशम निर्माण की गतिविधियां है तथा कहाँ-कहाँ कब से बंद हो गये हैं? (ख) अशोक नगर जिले में रेशम केन्द्र की गतिविधियां कब प्रारंभ हुई व कहाँ-कहाँ कितनी भूमि व कितने भवन बनाये गये तथा वहाँ गतिविधियाँ कब क्यों बंद हुई? क्या विभाग पुनः गतिविधियां शुरू करेगा? (ग) अपनी भूमि भवन का कहाँ क्या उपयोग हो रहा है व रख-रखाव की क्या व्यवस्था है? (घ) बहादुरपुर गांव में रेशम केन्द्र भवन का क्या उपयोग हो रहा है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (ख) एवं (ग) अशोकनगर जिले मे रेशम केन्द्र की गतिविधियॉ लगभग वर्ष 1980 से प्रारम्भ हुई थी। भूमि, भवन, गतिविधियॉ बंद होने के कारण तथा भूमि भवन के उपयोग की जानकारी**पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। हितग्राहियों द्वारा रूचि न लेने के कारण गतिविधियॉ पुनः प्रारम्भ करना प्रस्तावित नहीं है। (घ) बहादुरपुर गॉव मे रेशम केन्द्र नहीं है।

तहसीलदार कार्यालय में पंजीबद्ध प्रकरण

31. **(क्र. 1444) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले की गंजबसौदा, त्यौदा एवं ग्यारसपुर तहसील में जनवरी 2013 से प्रश्नांकित दिनांक तक रास्ते के विवाद, भूमि सीमांकन एवं बंटवारें का किस दिनांक को किस ग्राम के किस किसान का प्रकरण किस क्रमांक पर पंजीबद्ध किया गया? (ख) उपरोक्त अवधि में पंजीबद्ध किए प्रकरण का निराकरण किस दिनांक को किया गया कौन सा प्रकरण किन कारणों से वर्तमान में भी लंबित हैं? (ग) भूमि का सीमांकन किए जाने, रास्ते का विवाद, निपटारा किए जाने एवं बंटवारें के प्रकरण का निराकरण किए जाने के लिए शासन ने क्या-क्या समय-सीमा निश्चित की है, उस समय सीमा में प्रकरण का निराकरण न हो पाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भूमि अर्जन का मुआवजा

32. **(क्र. 1445) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गंज बासौदा विधानसभा क्षेत्र में किस ग्राम की कितनी निजी भूमि के अवार्ड का प्रकरण वर्तमान में लंबित है? किस योजना के लिए पारित किस दिनांक के अवार्ड आदेश के अनुसार मुआवजा वितरण का कार्य शेष है? (ख) किस प्रकरण में किस दिनांक को अवार्ड पारित किया? उस प्रकरण में से किस प्रकरण में अवार्ड पारित किए जाने के पूर्व ही कितने किसानों को कितनी निजी भूमि पर कब्जा किया जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया था? (ग) दिसम्बर 2013 में किस-किस प्रकरण में अवार्ड पारित होना शेष था? उस प्रकरण में प्रश्नांकित दिनांक तक किस कानून के अनुसार वर्ष 2014 में क्या-क्या कार्यवाही की गई? यह कार्यवाही पुराने कानून के अनुसार किए जाने का क्या कारण रहा है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) कोई प्रकरण लंबित नहीं है। वर्घरू मध्यम परियोजना के अंतर्गत दिनांक 24.5.2014 को पारित अवार्ड के मुआवजा वितरण का कार्य जारी है। (ख) ऐसा कोई प्रकरण लंबित नहीं होने से जानकारी निरंक है। (ग) निम्नवत कुल 07 प्रकरणों में अवार्ड पांरित होना शेष था।

क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रकरणक्रमांक
1	रहमानपुर	12/अ-82/12-13
2	नयागांव	13/अ-82/12-13
3	खिरिया	14/अ-82/12-13
4	त्योदा	15/अ-82/12-13
5	सुमेरकासम	16/अ-82/12-13
6	पिपरिया	17/अ-82/12-13
7	खामखेडा	18/अ-82/12-13

भू-अर्जन अधिनियम 2013(1 जनवरी 2014 से प्रभावी) की धारा 24 (क) के प्रावधानानुसार प्रतिकर का अवधारण कर अवार्ड आदेश पारित किया गया। यह कार्यवाही राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक-12-13/2014/सात-2ए, दिनांक 6.9.2014 के निर्देशानुसार की गई है।

प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

33. **(क्र. 1512) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले की तहसील उदयनगर में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों को राहत राशि भुगतान में जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा की गई गड़बड़ियों के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा अगस्त, 2014 में प्रभारी मंत्री जी तथा कलेक्टर देवास को शिकायत पत्र भेजा था? (ख) प्रश्नकर्ता के पत्र पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई, तथा यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों कारण बतायें? (ग) तहसील उदयनगर में किन-

किन कृषकों को स्वीकृति के बाद भी राहत राशि का भुगतान क्यों नहीं हुआ, तथा कब तक भुगतान होगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) शिकायत पत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बागली द्वारा तहसीलदार उदयनगर से जांच करवाई गई। तहसीलदार के प्रतिवेदन में शिकायत के संबंध में कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होने से शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता। (ग) प्रभावित कृषकों को राहत राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता।

<u>तहसीलदारों के विरूद्ध लम्बित विभागीय जांच</u>

34. **(क्र. 1517) श्री बाला बच्चन :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में ऐसे कितने तहसीलदार हैं, जिनके विरूद्ध 5 वर्षों से अधिक समय से विभागीय जांच लंबित है? विभागीय जांच पूरी किये जाने और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की अधिकतम समय सीमा क्या है? इसके नियम की जानकारी उपलब्ध करावें? किस तहसीलदार के विरूद्ध कबसे विभागीय जांच लंबित है? नाम, दिनांक, विभागीय जांच के कारण सहित वर्षवार जानकारी देवें? (ख) जिन तहसीलदारों की विभागीय जांच निर्धारित समय अवधि में पूरी नहीं हो सकी, उसका पृथक-पृथक कारण बतायें? लम्बे समय तक जांच लंबित रहने के लिए तय समय अवधि में जांच पूर्ण न किये जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? उनका नाम, पदनाम जिम्मेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई, यह भी बतावें? (ग) जिन तहसीलदारों के विरूद्ध 5 वर्ष से अधिक समय से विभागीय जांच लंबित है, वह कब तक पूर्ण हो जायेगी? समय सीमा बतावें? क्या यह सही है कि विभागीय जांच के कारण तहसीलदारों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है? (घ) ऐसे तहसीलदार जिनके विरूद्ध वर्तमान में विभागीय जांच 5 साल की अवधि में भी पूर्ण नहीं हो सकी, उनकी जांच पूर्ण हो जाने के कितने दिन बाद उन्हें पात्रता अनुसार पदोन्नति दी जायेगी? समय सीमा बतावें? क्या यह सही है कि विभागीय जांच के कारण ऐसे तहसीलदारों का मनोबल कमजोर हो रहा है, जो शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए त्वरित कार्यवाही करते हैं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>महापंचायत संबंधी मांगों पर विचार</u>

35. **(क्र. 1571) श्री मधु भगत :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मा. मुख्यमंत्री द्वारा संपूर्ण प्रदेश के स्थाई पटेलों की महापंचायत करवाने संबंधी पूर्व में घोषणा की गई थी, यदि हाँ, तो महापंचायत कब की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या यह सही है कि माननीय स्थाई पटेलों द्वारा समय-समय पर प्रदेश सरकार के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को मांगपत्र/ज्ञापन आदि दिए गए है, सत्र 2013 से प्रश्न दिनांक तक समस्त मांगों/ज्ञापन आदि पर कि गई कार्यवाही से अवगत करावें तथा स्थाई

पटेलों के वेतन/अधिकार संबंधी क्या योजना प्रस्तावित है? (ग) क्या स्थाई पटेलों की मांगों को स्वीकार किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निर्माण कार्यों की जांच एवं कार्यवाही

36. **(क्र. 1572) श्री मधु भगत :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बालाघाट जिले में प्रश्न दिनांक की स्थिति में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है? इन केन्द्रों में सं‍चालित गतिविधियों के संबंध में शासन के क्या निर्देश है? निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) क्या उक्त केन्द्रों में उक्त निर्देशोनुसार सभी कार्य एवं गतिविधियां नियमित संचालित होने, केन्द्रों के नियमित न खुलने तथा गुणवत्तायुक्त भोजन न परोसे जाने सहित अन्य कई प्रकार की अनियमितताए बरती जाने की स्थिति निर्मित होती रही है अथवा होती रहती है? यदि हाँ, तो इन अनियमितताओं की रोकथाम हेतु विभाग क्या कार्यवाही करेगा? (ग) वर्तमान तक की अवधि में उक्त संचालित सहित केन्द्रों में सेमिनार केन्द्रों में किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस दिनांक को निरीक्षण किया गया के दौरान क्या अनियमिततायें पाई गई? इनके लिये कौन दोषी पाया गया के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) उक्त अवधि में ही उक्त केन्द्रों में अनियमिततायें बरती जाने की क्या कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो क्या उनकी जांच कराई गई? जांच उपरांत कौन दोषी पाया गया के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) बालाघाट जिले में 2374 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आईसीडीएस की छः सेवायें यथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पूरक पोषण आहार प्रदान की जाती है। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों का नियमित वज़न लिया जा कर उनकी वृद्धि निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त मंगल दिवस,सबला योजना, पोषण आहार सप्ताह तथा स्तनपान, सप्ताह, आंगनवाड़ी चलो अभियान, एवं बाल चैपाल, अन्तर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है। निर्देशों की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार** है। (ख) जी हाँ। अनियमितता/शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार** है।

गौचर भूमि की जानकारी

37. **(क्र. 1617) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिला अंतर्गत हटा विधानसभा क्षेत्र में कितनी शासकीय भूमि रिक्त पड़ी है जो कि गौचर भूमि के नाम पर शासन में अंकित है पतावार जानकारी उपलब्ध करावे? (ख) क्या हटा विधानसभा क्षेत्र की गौचर भूमि अतिक्रमित है यदि हाँ तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा किस-किस खसरा नक्शा की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है नाम पतावार जानकारी प्रदाय करें? (ग) क्या उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने की मुहिम शासन स्तर पर चलायी जावेगी? यदि अतिक्रमण हटाया जायेगा तो कब तक नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) (ख) (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>गुमशुदा लोगों की संख्या</u>

38. **(क्र. 1635) श्री कुंवर सौरभ सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विगत तीन वर्षो में कितने लोगो की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है? जिलेवार जानकारी देवें? (ख) इनमें से कितनी लोगो की बरामदगी की गई है एवं कितने लोग अभी तक गुमशुदा है? (ग) इन गुमशुदा लोगो की तादात किस उम्र संख्या अर्थात 1-5 वर्ष 6-10 वर्ष, 11-15 वर्ष, 16-25 वर्ष, 26 से उपर है महिला पुरूषवार जानकारी देवें? (घ) क्या सड़क के किनारे स्टेशन मंदिरों बस स्टेण्ड आदि स्थानों में भीख मांगने वाले बच्चे बच्चिया क्या शासन के द्वारा चिन्हित एवं दर्ज है? क्या जो लोग अभी गुमशुदा है उन्हें तालाश करने के लिये क्या कार्यवाही हो रही है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) गुमशुदा लोगों को तलाश कर बरामद करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

<u>रिक्त पदों की पूर्ति</u>

39. **(क्र. 1718) श्री प्रताप सिंह :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में संचालित पशु चिकित्सालयों/उपकेन्द्रों में कितने-कितने पद चिकित्सकों, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एवं अन्य वर्ग के स्वीकृत हैं तथा उनके विरूद्ध कितने पद भरे एवं कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति अभी तक न किये जाने का क्या कारण रहा है? (ख) जबेरा विधानसभा क्षेत्र की तहसील तेन्दूखेड़ा एवं जबेरा में कितने पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र संचालित हैं तथा इन केन्द्रों में चिकित्सक, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एवं अन्य वर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनके विरूद्ध कितने पदस्थ हैं एवं कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों की पद पूर्ति हेतु शासनस्तर पर क्या कार्यवाही की गई? कब तक पद पूर्ति कर दी जावेगी? (ग) विधानसभा क्षेत्र में संचालित पशु चिकित्सा केन्द्रों में से कितने केन्द्र भवनविहीन है? भवनविहीन केन्द्रों में कब तक भवन नवनिर्माण करा लिये जावेगें? समय-सीमा बतलावें? क्या शासनस्तर से वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में नवीन केन्द्र प्रारम्भ किये जाने हेतु आदेश हुए हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ? कितने पूर्व निर्मित भवन जीर्ण-क्षीर्ण हो चुके हैं? क्या उनके पुनः निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं? यदि हाँ, तो कब?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रदेश में संचालित पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्रों में निम्नानुसार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त है-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1184	762	422
2	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	3820	2375	1445

3	अन्य वर्ग	3354	2664	690

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों के 349 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 467 पदों की पूति हेतु नियंत्रक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल को मांगपत्र प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग एवं व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जबेरा विधानसभा क्षेत्र की तहसील तेन्दूखेडा एवं जबेरा में 08 पशु चिकित्सालय एवं 10 उपकेन्द्र संचालित है। इन केन्द्रों में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी /अन्य वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत, एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	02	02	00
2	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	16	07	09
3	अन्य वर्ग	34	29	05

रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नही है। (ग) जबेरा विधानसभा क्षेत्र में केवल कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र माला, भवन विहीन है। भवन निर्माण उपलब्ध बजट प्रावधान एवं मापदण्ड अनुसार किया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नही है। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में नवीन केन्द्र प्रारंभ नही किये गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। पूर्व निर्मित भवनों में कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र सड़कहरदुआ जीर्ण-शीर्ण है। जी-नही।

<u>हैण्डपंप संधारण हेतु सामग्री क्रय के संबंध में</u>

40. **(क्र. 1746) श्री अमर सिंह यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले में हेण्डपंपों के संधारण में पिछले 3 वर्षों में कितने मीटर राईजर पाईप क्रय किया गया? उस पर कितनी राशि व्यय की गई? जारी क्रय आदेशों एवं सप्लाई की गई सामग्री का वर्षवार एवं विकासखण्डवार ब्यौरा देवें? (ख) उक्त प्रश्नांकित अवधि में संधारण के दौरान हैण्डपंपों से कितनी खराब पाईप व अन्य सामग्री बुलाई गई? वर्षवार उसकी मात्रा बतावें? खराब सामग्री की बिक्री हेतु निविदा कब-कब बुलाई गई? निविदा नहीं बुलाई गई तो सामग्री कहाॅ रखी गई है? (ग) वर्तमान में राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्रामों में कितने-कितने हेण्डपंप स्वीकृत हैं? उनमें से कितने चालू हालत में है तथा कितने खराब स्थिति में है? पूर्ण सूची उपलब्ध करावें? (घ) वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने हेण्डपम्प किन-किन ग्रामों में स्वीकृत किये गये है? उसकी पूर्ण सूची उपलब्ध करावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 17000 मीटर। रूपये 32.14 लाख। क्रय आदेश विकासखण्डवार जारी नहीं किये गये। शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-1 **अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-2 **अनुसार**। निविदा आमंत्रित नहीं की गई। सामग्री विभागीय भण्डारगृहों में रखी गई है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-3 **अनुसार**। (घ) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-4 **अनुसार**।

<u>कर्मचारियों का अटेचमेंट</u>

41. **(क्र. 1747) श्री अमर सिंह यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों अथवा परिवीक्षा अवधि के कर्मचारियों को अन्य विभागों या एक जिले से दूसरे जिले में अटेचमेंट किये जाने के शासन के कोई दिशा निर्देश हैं? यदि हाँ, तो कितने समय के लिये? शासन के निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) राजगढ़ जिले में वर्तमान में कितने कर्मचारी अन्य जिलों से इस जिले में या अन्य जिलों अथवा दूसरें विभागों में अटेचमेंट पर कार्यरत हैं? उन्हें कब तक व क्यों अटेच किया गया है? उनके नाम, पदनाम, पदस्थापना अवधि एवं स्थल, सहित विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) राजगढ़ जिले में अथवा राजगढ़ जिले से अटैच किये गये कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कहाँ से किया जा रहा है तथा उनको गृह भाड़ा का भुगतान किस मान से किया जा रहा है? नाम, पदनाम, पदस्थापना स्थल सहित राशि की जानकारी उपलब्ध करावें? शासन द्वारा उनको उनके मूल पदस्थापना स्थल पर कब तक भेजा जावेगा? (घ) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला राजगढ़ में किस संवर्ग के कितने पद कितने समय से रिक्त हैं? पदनाम सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? क्या शासन उक्त अटेच कर्मचारियों की रिक्त पदों पर स्थानांतरण कर पदस्थापना नहीं कर सकता है? यदि नहीं, तो कब तक उक्त सभी रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नही। (ख़) निरंक। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नही होता है। (घ) संवर्गवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** में दर्शायी गई है। रिक्त पदों की पूर्ति की समय सीमा बताया जाना संभव नही है।

<u>परिशिष्ट – "चौंतीस"</u>

<u>ग्रामीण क्षेत्र में पानी की टंकी/स्टाप डेम/कूप निर्माण</u>

42. **(क्र. 1748) श्री अमर सिंह यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकी/स्टाप डेम/कूप निर्माण स्वीकृत किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो अप्रैल 2012 से किन-किन ग्रामीण क्षेत्र में पानी की टंकी/स्टाप डेम/कूप निर्माण स्वीकृत किये गये हैं? स्थानों की सूची, स्वीकृत दिनांक एवं राशि, क्रियान्वयन ऐजेन्सी का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत निर्माण कार्यों का कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं?

कार्य की वर्तमान स्थिति बतावें? यदि पूर्ण नहीं किया गया है, तो इसके लिये कौन दोषी है, तथा कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।** (ग) कार्य पूर्ण हो चुके हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।** शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता।

<u>परिशिष्ट – "पैंतीस"</u>

<u>शासकीय कर्मचारियों को आवास आवंटन</u>

43. **(क्र. 1750) श्री अमर सिंह यादव :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासन के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय आवास आवंटित किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो किस श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी को किस श्रेणी के आवास कितने गृहभाड़ें पर दिये जाने का प्रावधान है? (ख) राजगढ़ जिले मुख्यालय पर किस-किस विभाग के किस-किस श्रेणी के शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को शासकीय आवास आवंटित किये गये है? उनके आवास का कितना भाड़ा लिया जा रहा है? (ग) क्या संविदा अधिकारी/कर्मचारी अथवा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी/ अध्यापक जिनको शासन द्वारा गृह भाड़ा नहीं दिया जाता है अथवा जिनका स्वयं का उसी शहर में निजी आवास है अथवा दूरस्थ ग्रामों में शासकीय सेवा में है उन्हें भी शासकीय आवास आवंटित किया जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) राजगढ़ जिले मुख्यालय पर ऐसे कितने शासकीय आवास/कार्यालय है जो जीर्णशीर्ण अवस्था में है जिन पर लाखों रूपये मरम्मत एवं देखरेख में व्यय हो रहे हैं अथवा उन पर अतिक्रमण किया गया है? क्या शासन उनको तुड़वाकर उनके स्थान पर शासन के हित में उसका अन्य व्यापारिक कार्य में उपयोग कर सके इसके लिए कोई योजना बनाई जा रही है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हॉं। **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" तथा परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार।** (ग) भोपाल राजधानी मुख्यालय पर भोपाल स्थित शासकीय आवासों का आवंटन नियम-2000 जिला एवं संभाग स्तर पर जिलावार तथा संभागीय स्तर पर निवास स्थान आवंटन नियम-1973 के प्रावधानों के अंतर्गत शासकीय आवास गृह का आवंटन किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। (घ) 21 आवासीय एवं 08 गैर आवासीय भवन। इन भवनों की देखरेख/मरम्मत पर किसी प्रकार का व्यय नही किया गया। इन भवनों को तोड़कर उनके स्थान पर व्यापारिक कार्य के उपयोग की कोई कार्य योजना प्रस्तावति नही है।

<u>अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के आदेश का पालन</u>

44. **(क्र. 1793) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि. अतां. प्रश्न संख्या 35 (क्र. 5734) दिनांक 5/4/07 के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय

अधिकारी विजावर जिला छतरपुर के पत्र क्र. 257 dt 29/3/2007 द्वारा लेख किया गया था कि कलेक्टर छतरपुर द्वारा निरस्त किये गये पट्टाधारियों को हटाने की कार्यवाही की जावेगी? (ख) यदि हाँ, तो अब तक कार्यवाही में किन कारणों से विलम्ब किया गया? दोषी कौन से अधिकारी है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रीवा राज दरबार का आदेश

45. **(क्र. 1820) श्रीमती रेखा यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जिन जमीनों को रीवा राज दरबार के 8 फरवरी 1937 में जारी आदेश के अनुसार संरक्षित वन भूमि माना जाकर वन विभाग ने कार्यवाहियां की वह जमीनें वर्तमान राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज भूमि ही बताई जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो रीवा राज दरबार के आदेशानुसार संरक्षित वन मानी गई छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले की कितनी जमीनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) अधिसूचित किया जाकर किस-किस अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा 5 से 19 तक की जांच हेतु प्रस्तुत किया गया है? (ग) धारा 5 से 19 तक की जांच हेतु लंबित कितनी भूमि छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दखल रहित राजस्व भूमि के रूप में दर्ज बताई जा रही है? (घ) 1937 के आदेशानुसार संरक्षित वन मानी गई जमीनों में से धारा 4(1) में अधिसूचित भूमियों को राजस्व अभिलेखों में संरक्षित वन संशोधित न किए जाने का क्या-क्या कारण रहा हैं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नही। (ख) टीकमगढ में कुल 36438 हैक्टेयर एवं छतरपुर में 197792 हे. भूमि की जांच की जा रहीं है। (ग) टीकमगढ में 36438 हैक्टेयर, एवं छतरपुर में वनखण्डों में सम्मिलित कुल 197792 हे. भूमि की जांच अनुभाग टीकमगढ,बल्देवगढ,जतारा एवं निमाडी में की जा रही है। (घ) टीकमगढ जिले में प्रश्नाधीन आदेश के अनुसार संरक्षित वन मानी गई जमीनों में से सार्वजनिक निस्तार एवं कृषि भूमि को छोडकर शेष वनभूमियों को राजस्व अभिलेख में संशोधित किया गया है। जिला छतरपुर में समस्त वन भूमि तथा वेस्ट लैण्ड को संरक्षित वन भूमि माना गया है। इसमें आरक्षित वन, लैण्ड होल्डिग (सीर एवं ग्राम सहित) आबादी, तालाब, क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

जानकारी एकत्रित किया जाना

46. **(क्र. 1821) श्रीमती रेखा यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के अता. प्रश्न संख्या-95(क्र. 1097) दिनांक 10/12/2014 में जिन धारा 5 से 19 तक की अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच का उल्लेख किया गया है? उन जांच की नस्तियां वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय

में उपलब्ध ही नहीं हैं? (ख) धारा 5 से 19 तक की जांच हेतु लंबित बताए गए कितने वनखण्डों में से कितने वनखण्डों की नस्ती उपलब्ध हैं, कितने वनखण्डों की नस्ती उपलब्ध नहीं हैं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का निराकरण</u>

47. **(क्र. 1872) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर में राजस्व विभाग के कितने प्रकरण 01.01.12 से 30.01.2015 तक जनसुनवाई के लिए आए? माहवार, वर्षवार बतावें? (ख) कितने प्रकरणों का निराकरण हुआ व कितने शेष हैं? माहवार वर्षवार बतावें? (ग) समय पर प्रकरणों का निराकरण न करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? समय-सीमा बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) कुल 724 प्रकरण प्राप्त। माहवार, वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) 655 प्रकरणों का निराकरण हुआ। 69 प्रकरणों का निराकरण शेष है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) प्रकरणों का विधि प्रक्रिया अंतर्गत निराकरण किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>महिदपुर में कर्मचारियों का अटेचमेंट</u>

48. **(क्र. 1875) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में राजस्व विभाग में किन-किन विभागों के कर्मचारी/अधिकारी कब से अटैच है? नाम, पदनाम सहित बतावें? (ख) इन्हें इनके मूल विभागों में कब तक भेजा जाएगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) महिदपुर विधानसभा क्षैत्र में राजस्व विभाग मे अन्य विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी संयोजित नहीं है।

<u>फौती एवं नामांतरण प्रकरण के प्रकरण</u>

49. **(क्र. 1977) श्रीमती नंदनी मरावी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील सिहोरा एवं कुण्डम में दिनांक 31.10.2014 की स्थिति में फौती, नामांतरण एवं मुख्यमंत्री आवास के पट्टा के कितने-कितने प्रकरण कहाँ-कहाँ कब से लंबित हैं, और क्यों? हल्कावार व ग्रामवार सूची उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) प्रकरणों के निराकरण की शासन द्वारा क्या-क्या समय सीमा निर्धारित की गई हैं? समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण न करने के लिये कौन-कौन दोषी हैं, नाम बतायें? इनके विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुआवजा राशि का वितरण

50. **(क्र. 1978) श्रीमती नंदनी मरावी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिहोरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में वर्ष 2013-14 में रवि की फसलों/दलहन में पाला के कारण भारी हानि हुई थी? क्या शासन द्वारा सर्वे के निर्देश दिये गये थे? यदि हाँ तो विभाग द्वारा कराये गये सर्वे की जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कितने किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया? कितने किसान अभी शेष है? शेष किसानों को कब तक मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उद्‌भुत नहीं होता। (ख) प्रश्नांश "क" की जानकारी के प्रकाश में प्रश्न उद्‌भुत नहीं होता।

लंबित राशि की वसूली

51. **(क्र. 2055) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भू-राजस्व एवं उगाही एवं वसूली तथा किसानों से कृषि भूमि, व्यवसायिक भूमि पर किस दर से लगान प्रीमियम तथा अन्य करों की वसूली हेतु शासन के क्या-क्या निर्देश हैं उनकी प्रति दें? (ख) शासन/विभाग द्वारा किसानों को क्या-क्या सुविधायें दी जा रही है, पूर्ण विवरण दें? (ग) रायसेन एवं देवास जिले में कितनी राशि विभाग को वसूल किया जाना शेष हैं, उक्त राशि वसूल करने हेतु क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की गई? (घ) किसान तथा उसकी फसल का बीमा करवाये जाने की विभाग की क्या-क्या योजना है? प्रश्नकर्ता विधायक के सुझाव पर विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) भू-राजस्व उगाही एवं वसूली के संबंध में भू-राजस्व संहिता की धारा 146 से 156 में प्रावधान दिये गये है। कृषि भूमि के व्यवसायिक प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 02 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम तथा बाजार मूल्य का 0.4 प्रतिशत वार्षिक भू-राजस्व निर्धारित कर लिया जाता है। उक्त प्रावधान मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता और उसके अंतर्गत बने नियमो में दिये गये है। पृथक से निर्देश जारी करने का प्रश्न उपस्थित नही होता है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** हैं। (ग) जिला रायसेन में रूपये 208.27 लाख तथा जिला देवास में 331.66 लाख की राशि वसूल किया जाना शेष हैं। बकाया राशि बकायादारो से ग्रामवार केम्प लगाकर वसूली की कार्यवाही प्रचलित है। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" पर** हैं। सुझाव विभाग में आना नही पाया गया हैं।

<u>परिशिष्ट – "छत्तीस"</u>

<u>सांझा चूल्हा योजना मापदण्ड</u>

52. **(क्र. 2105) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सांझा चूल्हा योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्थानीय स्व-सहायता समूहों के चयन हेतु विभाग के मापदण्ड निश्चित है एवं इनका भौतिक सत्यापन किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्तानुसार स्थानीय स्व-सहायता समूहों द्वारा विभाग द्वारा आवंटित बी.पी.एल. दर पर गेहूं, चावल के उठाव हेतु भौतिक सत्यापन सहकारी संस्थाओं से किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया है? (ग) साथ ही भुगतान हेतु किन-किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना आवश्यक है? संचालित स्व-सहायता समूह के गठन बाबत क्या नियम निर्देश है? क्या इनका पालन किया जा रहा है? (घ) यदि हाँ, तो रतलाम जिले में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक संपूर्ण जानकारी से अवगत करायें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/09/50-2/दिनांक 1/10/2009 के अनुसार वे स्व सहायता समूह जो मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रहे है वे ही समूह पोषण आहार प्रदाय का कार्य करेंगे। समूहों का चयन मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 4-5/2014/50-2 के अनुसार समूहों के भौतिक सत्यापन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत, जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी, एवं पर्यवेक्षक आदि द्वारा तथा समय-समय पर वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा नामांकित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। विभागीय परिपत्रों की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) विभाग के अंतर्गत समूहों को आवंटित वी पी एल गेहु/चावल का सत्यापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, संबंधित शाला के शिक्षक,परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता आदि द्वारा किया जाता है। (ग) विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ4-5/2014/50-2 दिनांक 24/2/14 के अनुसार भुगतान स्व-सहायता समूह द्वारा देयक एवं उपस्थिति प्रत्रक संकलित आंगनवाडी कार्यकर्ता को प्रतिमाह दिया जाता है। आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा उक्त संकलित देयक/प्रत्रक सेक्टर पर्यवेक्षक को प्रस्तुत किया जाता है। जिसके द्वारा केन्द्रों का संकलित देयक/पत्रक परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। परियोजना अधिकारी द्वारा समस्त सेक्टरो से प्राप्त देयकों का संकलन तैयार कर राशि भुगतान की अनुशंसा सहित देयक जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया जाता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा व्यय की अनुमति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत देयक अनुमति पश्चात आहरण कर ई -पेमेन्ट से समूहों के खते में राशि जमा की जाती है। स्व सहायता समूहो का गठन निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। निर्देशों का पालन किया जा रहा है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है।

<u>राजस्व मंडल के आदेश का पालन न कराया जाना</u>

53. **(क्र. 2138) श्री हर्ष यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राजस्व मंडल द्वारा रिवीजन नंबर 824-पीबीआर/05 में किस दिनांक को अंतिम निर्णय पारित किया गया था? क्या उक्त आदेश का अनुपालन करा लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) वर्णित आदेश का पालन प्रश्न दिनांक तक नहीं कराया गया? इस हेतु कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही, कब तक की जायेगी? (ग) क्या यह भी सही है कि माननीय उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 4729/2006 में दिनांक 07 मार्च 2007 को पारित आदेश में चूना भट्टी कोलार रोड स्थित सर्वे क्रमांक 54-55 का पुन: डिमार्केशन कराने के निर्देश पारित किये गये थे? क्या इसका पालन प्रश्न दिनांक तक कराया गया? नहीं तो क्यों? पालन न करने को लेकर कौन-कौन उत्तरदायी है? इनके विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>मैहर के टमाटर उत्पादक क्षेत्र में विभाग के कार्य</u>

54. **(क्र. 2148) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मैहर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत क्या टमाटर का उत्पादन स्थानीय कृषकों द्वारा किया जाता है? यदि हाँ, तो इस क्षेत्र के टमाटर उत्पादक कृषकों के हितार्थ विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं के अंतर्गत क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? (ख) गत पांच वर्षों में विभाग द्वारा इस क्षेत्र के कितने कृषकों को किस-किस योजनांतर्गत किस-किस प्रकार लाभांवित किया है? (ग) मैहर के टमाटर उत्पादक कृषकों के कल्याण व उत्पाद के बेहतर प्रसंस्करण के लिये विभाग की क्या-क्या योजनायें प्रस्तावित है? इन्हें कब तक पूर्ण किया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। टमाटर उत्पादक 204 कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया और इस वर्ष सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना अन्तर्गत 29.250 हेक्टर क्षेत्र के लिए 51 कृषकों को अनुदान दिया जाना प्रतिवेदित है। (ख) विवरण **संलग्न परिशिष्ट** पर है। (ग) नेशनल मिशन आन फूड प्रोसेसिंग के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर पात्र उद्यमी को अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

<u>**परिशिष्ट – "सैंतीस"**</u>

<u>**कैदियों का स्थानांतरण**</u>

55. **(क्र. 2149) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कुल कितने कैदियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया? (ख) उक्त अवधि में स्थानांतरित कैदियों के स्थानांतरण की कार्यवाही किनके द्वारा आरंभ की गई? कैदियों के स्थानांतरण का सामान्य आधार क्या रहा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) दिनांक 01 जनवरी, 2013 से दिनांक 12.02.2015 तक कुल 7,573 कैदियों को एक जिले से दूसरे जिले की जेल में स्थानांतरित किया गया। (ख) उक्त अवधि में स्थानांतरित कैदियों के स्थानांतरण की कार्यवाही संबंधित अधीक्षक, जेल द्वारा की गई। कैदियों के स्थानांतरण का सामान्य आधार न्यायालय से बंदियों का दण्डित होकर सजा भुगतने हेतु उचित जेल में स्थानांतरित होना, विचाराधीन कैदियों के अन्य प्रकरणों के निराकरण हेतु न्यायालय स्थित संबंधित जेल पर स्थानांतरित होना, बीमार कैदियों का उपचार हेतु स्थानांतरित होना एवं जेल अपराध करने वाले कैदियों को अन्य जिले की जेल में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित होना रहा है।

आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवा म.प्र. के पत्र पर कार्यवाही

56. **(क्र. 2157) श्री रामसिंह यादव :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा म.प्र. के कार्यालय से आयुक्त द्वारा पत्र क्रमांक/एबाविसे/स्था-4 /2015/246 भोपाल, दिनांक 19.01.2015 जारी किया गया है? (ख) क्या यह सही है कि उक्त पत्र के क्रम में दिनांक 27/01/2015 को आयुक्त कार्यालय में संबंधित द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया है? इस जबाव में वर्णित अभिलेखीय साक्ष्यों एवं आक्षेपों का परीक्षण कर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या यह सही है कि उक्त जवाब में मनगढ़ंत और फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अवैधानिक कार्यवाही किए जाने का पत्र क्रमांक एवं दिनांक सहित उल्लेख किया गया है? यदि हाँ, इसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? (घ) क्या यह सही है कि संबंधित तत्कालीन डी.पी.ओ.आई.सी.डी.एस. को बचाने के लिए किसी अन्य के विरूद्ध कार्यवाही कर प्रकरण को दबाया गया है? और अभिलेख प्रमाण के बावजूद डी.पी.ओ. के विरूद्ध कार्यवाही जानबूझकर नही की गई है? यदि नहीं तो कार्यवाही कब तक की जावेगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्रस्तुत उत्तर में श्रीमती रमिता जावडा द्वारा अभिलेख कलेक्टर न्यायालय जिला शिवपुरी में जमा करना उल्लेखित किया है। कलेक्टर द्वारा अपने पत्र कमाक 11 दिनांक 13/2/15 में इस तथ्य की पुष्टि की है कि न्यायालय कलेक्टर शिवपुरी में प्रकरण में अभिलेखों के तहत आंगनवाडी केन्द्र 13 +14+15 से संबंधित आवेदन पत्र, पंजी एवं आवेदन पत्रो तथा पत्र क्रमांक 455 दिनांक 10/6/14 की प्रति सहित जमा किया है। प्रकरण में परिक्षण मूल अभिलेखों के आधार पर ही किया जायेगा न कि आरोपी शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर। अतः पूरे प्रकरण का परिक्षण कर अभिमत हेतु कलेक्टर जिला शिवपुरी को संचालनालय के पत्र क्रमांक 569 दिनांक 19/2/15 द्वारा लेख किया गया है कलेक्टर द्वारा प्राप्त अभिलेख एवं साक्ष्यों के आधार पर ही कार्यवाही की जायेगी। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ओला प्रभावित किसानों की मुआवजा की शेष राशि की जानकारी

57. **(क्र. 2159) श्री रामसिंह यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2014 में ओलावृष्टि से नष्ट हुई कृषकों की फसल की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हाँ, तो कब एवं 31 दिसम्बर 2014 तक कितने किसानों को कितनी-कितनी राहत राशि का भुगतान नहीं किया गया था? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) में वर्णित राहत राशि पटवारी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत हुई थी? (ग) क्या कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ कृषकों की राहत राशि सहमति के आधार पर किसी अन्य किसान के खाते में अतिरिक्त रूप से भुगतान की गई? यदि हाँ, तो किन-किन किसानों की कौन-सी सहमति के आधार पर किसी अन्य के खाते में अतिरिक्त रूप से भुगतान की गई? (घ) क्या यह सही है कि फर्जी सहमति के आधार पर राहत राशि की बंदरवाट कर किसी अन्य के खाते में जमा की गई है? यदि हाँ, तो इसकी स्वीकृति/अनुमति किसके द्वारा दी गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुपोषित बच्चें

58. **(क्र. 2237) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्तमान में कुल कितने बच्चे कुपोषित हैं? शासन द्वारा कुपोषण मुक्त करने हेतु बच्चे एवं उनके परिवार को क्या सहायता दी जाती है? (ख) शासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान से प्रश्नांश (क) क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में कितने बच्चों को कुपोषण मुक्त किया गया हैं? (ग) मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजनांतर्गत प्रश्नांश (क) क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं? (घ) योजना प्रारंभ से आज तक मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजनांतर्गत कितने प्रकरण प्रश्नांश (क) क्षेत्र में लंबित हैं? लंबित होने का क्या कारण है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कुल अतिकम वजन के बच्चों की संख्या 2147 है विभाग द्वारा कुपोषण मुक्त करने हेतु दी जा रही सहायता यह है कि - 1. सांझा चुल्हा अन्तर्गत कुपोषित बच्चों को तीसरा आहार। 2. अतिकम वजन के बच्चों का पोषण पुर्नवास केन्द्र में उपचार। 3. सुपोषण अभियान में स्नेह शिविर के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों में अतिकम वजन बच्चों के पोषण स्तर में सुधारात्मक उपचार। (ख) विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियान में प्रश्नांश (क) क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में माह जनवरी 2015 तक कुल 297 अतिकम वजन के बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया गया है। (ग) लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रश्नांश (क) क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में कुल 868 प्रकरण स्वीकृत किये गये है। (घ) योजना प्रारंभ से आज तक लाडली लक्ष्मी योजनांतर्गत प्रश्नांश (क) क्षेत्र में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कृषिभूमि की रजिस्ट्री

59. **(क्र. 2238) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा अंतर्गत विगत 5 वर्षों में कितनी रजिस्ट्रियां कृषि भूमि की हुई है तथा कितनी कृषि भूमि के विक्रय लेख पंजीयन के बाद नामांतरण हेतु शेष हैं? (ख) भीकनगांव विधानसभा अंतर्गत कितनी रजिस्ट्रियों का आर.ओ.आर. के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा कितने प्रकरण स्वयमेव राजस्व विभाग में दर्ज किये गये हैं? (ग) वर्ष 2014-15 में भीकनगांव विधानसभा अंतर्गत कितने कृषकों को प्राकृतिक आपदा अंतर्गत लाभान्वित किया गया है? (घ) भीकनगांव विधानसभा अंतर्गत कितने कृषकों के प्राकृतिक आपदा अंतर्गत मुआवजे के प्रकरण लंबित हैं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) विगत 5 वर्षों में कुल 4609 रजिस्ट्रयां हुई हैं, जिनमें से 2571 नामान्तरण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है (ख) से (घ) निरंक।

मृत कृषकों के वारिसों का नामांतरण

60. **(क्र. 2239) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व रिकार्ड में समस्त मृतक कृषकों के वारिसों का नामांतरण विभाग द्वारा कर दिया गया है? (ख) नहीं तो, क्या राजस्व विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर केम्प लगाकर मृत कृषकों के वारिसों का नामांतरण किया जा सकता है? (ग) क्या कोई मृत कृषक का नामांतरण हेतु उनके वारिसों को तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की बाध्यता हैं? (घ) मध्यप्रदेश में कृषि भूमियों के अंतरण के पंजीयन के बाद पंजीयन विभाग से राजस्व विभाग को आर.ओ.आर. की एक प्रति व रजिस्ट्री की जानकारी दी जाती है, क्या उक्त आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामांतरण का प्रावधान है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र का संचालन

61. **(क्र. 2240) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भीगनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं? (ख) स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों के परिप्रेक्ष्य में कितने केन्द्रों पर भवन निर्मित हैं? (ग) स्वीकृत केन्द्र जहाँ पर भवन बनना शेष है, वहाँ पर आंगनवाडियों की संचालन व्यवस्था क्या है? विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने केन्द्र किराये से संचालित है, क्या सभी का भुगतान हो गया? नहीं तो क्यों? (घ) जिन केन्द्रों पर भवन निर्माण शेष है, वहाँ पर भवन निर्माण हेतु कौन सी कार्य योजना में सम्मिलित किये गये हैं? या शासन द्वारा कौन सी योजना में आवंटन किया जायेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कुल 454 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। (ख) स्वीकृत 454 आंगनवाड़ी केंद्रो में कुल 290 भवन निर्मित हुए है। (ग) परियोजना भीकनगांव /झिरन्या जहाँ भवन बनना शेष हैं वहाँ आंगनवाडियों का संचालन किराये के भवन में/अन्य शासकीय भवनों में किया जा रहा हैं। विधानसभा क्षेत्र में 105 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। तृतीय त्रैमास तक किराये का भुगतान कर दिया गया हैं एवं शेष किराये का भुगतान किया जा रहा हैं। (घ) जिन केंद्रो पर भवन निर्माण शेष है वहाँ शासन की कार्ययोजना में राज्य आयोजना मद में 07 भवन, 13 वें वित्त में 4 भवन सम्मिलित किये गये है। शासन द्वारा आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आबंटन की उपलब्धता अनुसार किया जाता है।

<u>ग्वालियर जिले में चेक डेम एवं स्टाप डेमों का निर्माण</u>

62. **(क्र. 2263) श्रीमती इमरती देवी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2011-12 से 2014-15 में ग्वालियर जिले के बि.ख. भितरवार, डबरा, घाटीगांव एवं मुरार में किस स्थान/ग्राम में कितनी-कितनी राशि के स्टापडेम/चेक डेम वर्षवार स्वीकृत किये गये तथा प्रश्न दिनांक तक प्रत्येक कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई तथा किस उपयंत्री की देख-रेख में कार्य कराया गया, वर्षवार एवं कार्यवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त अवधि में बनवाये गये स्टापडेम/चेक डेम, में से किस-किस स्थान के कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण है, अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कराया जावेगा समयावधि बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार उक्त वर्षों में बनवाये गये स्टापडेम एवं चेक डेमों में से किस स्थान के कार्य कब पूर्ण हो चुके है? प्रत्येक पूर्ण कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई, जिनका भौतिक सत्यापन एस.डी.ओ. एवं ई.ई. द्वारा किस-किस दिनांक को किया गया?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार।** (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार।**

<u>कटनी जिले में रजिस्टर्ड एन.जी.ओ.</u>

63. **(क्र. 2280) श्री संजय पाठक :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि महिला एवं बाल विकास द्वारा एन.जी.ओ. के माध्यम से पोषण आहार का वितरण जीरो से छः वर्ष के बच्चों को तथा धात्री माताओं को वितरण किया जाता है? यदि हॉं, तो क्या पोषण आहार एवं कितनी-कितनी मात्रा में बच्चों एवं धात्री माताओं को? पृथक-पृथक ब्यौरा दें? (ख) कटनी जिले में ऐसे कितने एन.जी.ओ. विभाग में रजिस्टर्ड है एवं कितनों के माध्यम से किन-किन क्षेत्रों तथा तहसीलों में इस योजना का संचालन किया जाता हैं? क्या गुणवत्ताहीन एवं निर्धारित पोषक तत्व की कम मात्रा प्रदाय किये जाने के संबंध में कलेक्टर कटनी एवं शासन स्तर पर विगत दो वर्षों में कोई शिकायत

प्राप्त हुई है? यदि हॉं तो कब-कब, किस-किस की? शिकायतों की जॉंच उपरांत की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इस हेतु कौन दोषी हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी नही। यह सही नही है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एन.जी.ओ के माध्यम से पोषण आहार की वितरण जीरों से छः वर्ष के बच्चों को तथा धात्री माताओं को किया जाता है। अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ख) कटनी जिले में ऐसे कोई भी एन.जी.ओ. विभाग में रजिस्टर्ड नही है एवं किसी भी एनजी.ओ के माध्यम से जिले के किसी भी क्षेत्र तथा तहसील में इस योजना का संचालन नही किया जाता है। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' अनुसार ही जानकारी निरंक है।

लंबित प्रकरणों का निराकरण

64. **(क्र. 2281) श्री संजय पाठक :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ एवं बरही तहसील में नामांतरण एवं बंटवारा हेतु कितने प्रकरण किन-किन के कब से विभागीय पंजी में दर्ज हैं? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (क) तहसीलों में उक्त प्रकरण विगत पॉंच वर्षों से लंबित हैं? यदि हॉं, तो बिना पर्याप्त कारण के प्रकरणों को लंबित रखने हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें? (ग) क्या प्रदेश सरकार प्रश्नाधीन प्रकरणों के निराकरण हेतु समय सीमा तय करेगी? नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उपयंत्रियों के एम.ऐ.एस. (मटेरियल एण्ड साईड) में कथित भ्रष्टाचार

65. **(क्र. 2294) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या गुना, अशोगनगर एवं शिवपुरी जिलों में विभाग के मटेरियल के सेन्ट्रल स्टोर है यदि हॉं तो विगत तीन वर्ष में ऐसे कितने उपयंत्री है जिन्हे एम.ए.एस. के अंतर्गत केंसिग पाइप, हैण्डपंप एवं अन्य सामग्री आवंटित की है? मटेरियल एवं उपयंत्रियों की जानकारी दें? (ख) गुना, अशोकनगर, शिवपुरी जिलों में गत तीन वर्षो में कार्यरत ऐसे कितने उपयंत्री है जिनके पास एम.ए.एस. (मटेरियल एण्ड साईड) की केसिंग, हैण्डपंप सामग्री है कितनी मात्रा में प्रश्न दिनांक तक सामग्री उपलब्ध है? क्या उन्होने आवंटित सामग्री सेन्ट्रल स्टोर में जमा की या नहीं कब तक जमा करेंगे? सेन्ट्रल स्टोर होते हुये एम.ए.एस. क्यों दिये जाते है? (ग) गुना-अशोकनगर-शिवपुरी जिलों में गत तीन वर्षो में कितनी केंसिग, हैण्डपंप विद्युत पंप एवं चैन पुली पाईप आदि सामग्री क्रय की है कितनी आवश्यकता थी? क्रय की गई सामग्री एवं

उपयंत्रियों के पास एम.ए.एस. की सामग्री का प्रश्न दिनांक तक भौतिक सत्यापन सहित उन पर कथित भ्रष्टाचार एवं नियम विरूद्ध आवंटन जमा आदि की कार्यवाही सहित विवरण दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। गुना, अशोकनगर एवं शिवपुरी में विगत तीन वर्ष में कुल 37 उपयंत्री हैं जिन्हें एम.ए.एस. के अंतर्गत सामग्री आवंटित की गई है। मटेरियल एवं उपयंत्रियों को एम.ए.एस. के अंतर्गत आवंटित सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1, 2 एवं 3" अनुसार** हैं। (ख) गुना, अशोकनगर एवं शिवपुरी में विगत तीन वर्ष में ऐसा कोई उपयंत्री नहीं हैं जिसके पास एम.ए.एस. की केसिंग, हैण्डपंप सामग्री है। अतः सेंट्रल स्टोर में सामग्री जमा करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। उपयंत्रियों को एम.ए.एस. में सामग्री कार्य की आवश्यकता एवं समस्या के निराकरण हेतु प्रदाय की जाती है। (ग) गुना, अशोकनगर एवं शिवपुरी जिले में गत 03 वर्षों में आवश्यकतानुसार क्रय की गई सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। उपयंत्रियों के एम.ए.एस. का सत्यापन संबंधित सहायक यंत्री द्वारा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के भ्रष्टाचार एवं नियम विरूद्ध आवंटन जमा नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>पशु औषधी का क्रय</u>

66. **(क्र. 2315) श्री जितू पटवारी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इंदौर एवं उज्जैन संभाग में कितने पशु चिकित्सालय है? पशु चिकित्सालय में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी पदवार प्रदान करें? (ख) पशु चिकित्सालयों में औषधी क्रय करने के क्या मापदण्ड है एवं क्रय की गई औषधी की गुणवत्ता की जॉच किस प्रकार एवं कहाँ की जाती है? (ग) विगत 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में किन-किन फर्मों द्वारा पशु चिकित्सालयों में औषधी सप्लाय की है? इन फर्मों के नाम, संचालकों के नाम एवं पते सहित जानकारी देवें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) पशु चिकित्सालयों में औषधि क्रय करने हेतु विभागीय औषधि क्रय नीति मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2-9/2012/35 भोपाल दिनांक 12 जून 2012 द्वारा जारी की गई। क्रय की गई औषधि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभागीय औषधि क्रय नीति की कंडिका 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 एवं 8.11 अनुसार उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें को प्रदाय की गई औषधियों की जांच अनिवार्यतः समिति गठित करते हुए रेण्डम के आधार पर सैम्पल लिये जाएगें तथा एक सैम्पल परीक्षण हेतु मान्यता प्राप्तलेबोरेटरीज तथा एक सैम्पल औषधि नियंत्रक को जांच को भेजे जाते है। औषधि क्रय एवं जांच की नीति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है।

<u>फलबाग संबंधित</u>

67. **(क्र. 2317) श्री जितू पटवारी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय फलबागों को लीज पर देने की क्या प्रक्रिया है? (ख) विगत तीन वर्षों में इन्दौर जिले के फलबागों से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? वर्षवार जानकारी देवें? (ग) वर्तमान में इंदौर जिले में कितने फलबाग है एवं इंदौर के फलबाग सहित अन्य जिलों में स्थित फलबागों के रखरखाव एवं सुरक्षा के क्या प्रावधान है? (घ) इंदौर जिले में विगत तीन वर्षों में इन फलबागों के रखरखाव पर कितनी राशि कौन-कौन से कार्य हेतु व्यय की गई है? वर्षवार, मदवार जानकारी देवें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं (ख) शासकीय फलबागों को लीज पर नहीं दिया जाता है। अत : प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) इन्दौर जिले में एक फलबाग है और पांच नर्सरियों में फलों के वृक्ष है। फलबाग और फलवृक्षों के रखरखाव के लिए सिंचाई एवं अमले की व्यवस्था है। उपलब्ध अमला सुरक्षा भी करता है। (घ) इन्दौर शहर में फलबाग के रखरखाव पर किये गये व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	मजदूरी (रूपये)	अन्य (रूपये)
2011-12	558693	57051
2012-13	457705	36100
2013-14	554629	34114

<u>रीवा जिले के मत्स्य विकास एवं मछुआ कल्याण विभाग के द्वारा किये गये कार्यों की जांच</u>

68. **(क्र. 2331) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा जिल के प्रत्येक विकासखण्ड में कितने पोखरों, तालाबों एवं जलाशयों में मत्स्य पालन के लिये लीज में पट्टे उपलब्ध कराये हैं, विकासखण्डवार सूची उपलब्ध करायें? (ख) रीवा जिले के सूची बांध, जलमोहरा, सिरमौर ब्लाक, हनुमना ब्लाक, मऊगंज एवं नईगढ़ी के बांधों में मत्स्यपालन हेतु 2012 से 2014 तक शासन ने क्या बजट उपलब्ध कराया एवं उनका खर्च विवरण बांधवार उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के लीज पट्टा कौन से समितियों को प्रदान किये गये हैं, अनु.जाति/जनजाति वर्ग के मत्स्य कृषक हितग्राहियों को क्या आरक्षण दिया गया है, यदि नहीं, तो क्यों कब तक आरक्षण का लाभ दिया जायेगा? समय-सीमा बतायें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) रीवा जिले के 9 विकास खण्डों में 1124 तालाब एवं 10 सिंचाई जलाशय मत्स्य पालन के लिये लीज पर पट्टे उपलब्ध कराये गये विकास खण्ड वार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित बांधों में मत्स्य पालन विकास त्रिस्तरीय पंचायत द्वारा किया जाता है। वर्ष 2012-13 में कोई राशि मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई। वर्ष 2013-14 में विभागाधीन जरमोहरा जलाशय के पेरीफेरी में संवर्धन पोखर निर्माण हेतु राशि रूपयें 16.387

लाख जल संसाधन विभाग को उक्त निर्माण कार्य हेतु प्रदाय की गई, उनके द्वारा निविदाओं की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। व्यय, निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर हो सकेगा। (ग) प्रश्नांश क एवं ख के अनुसार 9 मछुआ सहकारी समितियों को 20 ग्रामीण तालाब तथा 5 सिंचाई जलाशय लीज पर दिये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण का प्रावधान मत्स्य नीति 2008 में नहीं है अपितू मत्स्य नीति में वरीयता क्रमशः वशांनुगत मछुआ जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछडा वर्ग/सामान्य वर्ग के समितियां/समूह/व्यक्ति विशेष को निर्धारित है।

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किये गये कार्यों की जांच

69. **(क्र. 2332) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा जिले के सभी विकासखण्डों में 2012 से 2014 तक बीज वितरण,खाद्य वितरण,फलदार-फूलदार पौध रोपण संबंधी योजनाओं में क्या-क्या सामग्री वितरित की गई? (ख) रीवा जिले में प्रश्नांश(क) अवधि में कितने उद्यान विकसित किए गये हैं तथा उनके विकास व विस्तार के लिये 2012 से 2014 तक कितना बजट उपलब्ध कराया गया? उद्यानवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उनके निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई है? की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करायें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ'** अनुसार है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब'** अनुसार है। (ग) दो शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनका निराकरण कर दिया गया है। विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' एवं 'द' अनुसार** है।

परिशिष्ट – "अड़तीस"

समयमान वेतनमान का भुगतान

70. **(क्र. 2335) श्री आरिफ अकील :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग के अन्तर्गत पदस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयमान वेतनमान प्रदाय किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए है? यदि हाँ तो शासन की मशानुरूप विभाग में पदस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है? (ख) यदि नहीं तो यह अवगत करावें कि कितने अधिकारियों को लाभ दिया गया है और शेष अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लाभ कब तक दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि इस लापरवाही के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है उनके विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हॉ। (ख) 50627 अधिकारी/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है। शेष के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से निश्चित

समय सीमा बताई जाना संभव नही है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता।

गौ सेवकों की समस्याओं का निराकरण

71. **(क्र. 2338) श्री तरूण भनोत :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही गौ सेवक योजना के अंतर्गत मैत्री योजना में गौ सेवकों को प्रशिक्षण उपरांत मानदेय निधारित किया गया है? ऐसे ही राष्ट्रीय गौ-भैंस वंशीय परियोजना के अंतर्गत विभाग द्वारा विगत 10 वर्षों से कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कार्यरत गौसेवकों को मैत्री योजना में शामिल क्यों नहीं किया गया? और मैत्री योजना के अंतर्गत मानदेय इन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है? यदि मानदेय दिया जायेगा तो कब तक दिया जावेगा? (ख) क्या मैत्री योजना अंतर्गत जिलेवार लक्ष्य निर्धारण का कार्य कुक्कुट एवं पशुधन विकास निगम द्वारा लिया जाकर आदेश जारी किया गया है जिसमें यह नहीं देखा गया है कि जिलों में पूर्व से ए.आई. प्राइवेट प्रेक्टिशनर प्रशिक्षित है तथा कुछ जिलों में भी कार्य कर रहे हैं? (ग) क्या पशुपालन विभाग ने लक्ष्य निर्धारण के समय गौ सेवक चयन प्रक्रिया के संबंध में निगम को अवगत कराया था? यदि नहीं तो विभाग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में क्या भागीदारी है? क्या विभाग मात्र बजट की उपयोगिता को ही लक्ष्य मानता है? (घ) यदि नहीं तो इतनी महत्वपूर्ण योजना के लिये ए.आई. प्राइवेट प्रेक्टिशनर मैत्री का चयन पशुधन संख्या/पूर्व से प्रशिक्षित ए.आई. प्रेक्टिशनर/ विभागीय संस्था से दूरी आदि का ध्यान चयन प्रक्रिया में क्यों नहीं दिया गया?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं, National Programme for Bovine Breeding ¼NPBB½ योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2014-15 से मैत्री ¼Multi Purpose A.I. Technician for Rural India ¼MAITRI½ हेतु प्रशिक्षण उपरान्त कृत्रिम गर्भाधान करने पर निम्नानुसार टेपरिंग ग्रांट देने का प्रावधान किया है जो निम्नानुसार हैः-(1) प्रथमवर्ष रूपये 1500/-(2) द्वितीय वर्ष रूपये 1200 तथा (3) तृतीय वर्ष रूपये 800 प्रतिमाह। भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार ही मैत्री प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। (ख) योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा संचालनालय को उपलब्ध कराये गये प्रदेश के कुल लक्ष्यों का जिले वार निर्धारण संचालनालय द्वारा किया जाता है एवं प्रशिक्षणार्थीयों का चयन निर्धारित मापदण्डों अनुसार जिलो के उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा किया जाता है। (ग) जी हा, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, गौ सेवक चयन प्रक्रिया से भलीभांती अवगत है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों तथा मैत्री के चयन के सम्बंध मे गठित समिति की अनुशंसा के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। (घ) मैत्री योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन जिलों के उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाता है।

तरल नत्रजन पात्रों का क्रय

72. **(क्र. 2339) श्री तरूण भनोत :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संचालनालय पशुपालन विभाग द्वारा क्रय की गई तरल नत्रजन पात्रों की जानकारी क्रय की गई पात्रों की राशिवार, क्षमतावार वर्ष 2010 से 31 मार्च 2014 तक बताई जावे? क्या उक्त पात्रों के क्रय हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गई थी? प्राप्त निविदाओं का विवरण एवं क्रय के लिए गठित समिति सदस्यों के नामवार बताई जावे? (ख) वर्णित (क) के पात्रों के भुगतान का पात्रों के प्रकार, क्रमांक, प्राप्ति दिनांक, टेस्टिंग रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट, उपसंचालकों/संयुक्त संचालकों को प्रदाय तिथि के विवरण की जानकारी देवें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) उक्त अवधि मे तरल नत्रजन पात्र क्रय नही किये गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है। (ख) वर्णित "क" के संदर्भ मे प्रश्न उपस्थित नही होता है।

विधानसभा क्षेत्र मऊगंज में पेयजल संकट

73. **(क्र. 2342) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज का अधिकांश हिस्सा पठारी एवं जंगली क्षेत्र है? जहाँ पेय जल की गंभीर समस्यायें हैं? (ख) प्रश्न (क) के प्रकाश में यदि उत्तर जी हाँ तो जिले में पेयजल की समस्या के निदान हेतु जिले के प्राप्त आवंटन का अधिकांश हिस्सा क्या विधानसभा क्षेत्र मऊगंज में खर्च होता है? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बतावें? (ग) प्रश्न (क) एवं (ख) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र मऊगंज में पेयजल की समस्या के निदान हेतु क्या अतिरिक्त आवंटन प्रदाय किया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक एवं कितना-कितना? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। जी नहीं। (ख) उत्तरांश "क" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

सहायक संचालक मत्स्योद्योग रीवा के अन्तर्गत राज्य योजना मण्डल से स्वीकृत कार्यों की जानकारी

74. **(क्र. 2343) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सहायक संचालक मत्स्योद्योग रीवा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना मण्डल म.प्र. भोपाल द्वारा कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदाय की गई? स्वीकृत कार्यों का विवरण स्वीकृत राशि सहित बतावें? (ख) प्रश्न (क) के प्रदाय में कार्यों का विवरण विकासखण्ड वार बतावें एवं इन कार्यों की अद्यतन भौतिक स्थिति क्या है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) रीवा जिले के लिये वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा 07 कार्यक्रमों के लिये राशि रूपये 78.00 लाख

स्वीकृत किये गये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के प्रदाय कार्यो का विवरण विकास खण्डवार संलग्न है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है।

दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही

75. **(क्र. 2361) श्री आरिफ अकील :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग के कुछ राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध सी.आई.डी. जांच/विवेचना संस्थित की गई है? (ख) यदि हाँ तो वर्ष 2009 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध कब-कब किन-किन कारणों से जांच संस्थित की गई और उस जांच की अद्यतन स्थिति क्या है? (ग) प्रश्नांश (क-ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि किन-किन अधिकारियों की जांच पूर्ण हो चुकी है पर क्या-क्या कार्यवाही की गई और किन-किन की जांच किन-किन कारणों से लम्बित है कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

विकलांग अनुसूचित जनजाति महिला की जमीन पर कब्जा

76. **(क्र. 2391) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि श्रीमती सखी बेवा स्व. श्री लखना, अनुसूचित जनजाति, निवासी-ग्राम जरगवा, तहसील करैरा (शिवपुरी) द्वारा तहसीलदार करैरा को शिकायती आवेदन दिया गया था, जिसमें उसके स्व. पति के स्वामित्व की भूमि सर्वे 100/4/1 रकवा 0.049 हेक्टैयर को दंबगो द्वारा कब्जा कर लिया गया है, यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या यह भी सही है कि उक्त अनुसूचित जाति महिला विकलांग है तथा कलेक्टर शिवपुरी को भी शिकायत की गई वर्ष 2015 में की गई शिकायत पर राजस्व अधिकारियों द्वारा कब-कब बेदखल की क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण जानकारी दी जावें? (ग) अनुसूचित जाति विकलांग महिला संपत्ति संरक्षण हेतु शासन से निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या शासन कार्यवाही करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हैण्डपम्प का खनन

77. **(क्र. 2394) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि सुमावली विधानसभा मुरैना की ग्राम पंचायत मुढा चंबल के मजरा साबदा में एक मात्र पेयजल जल स्त्रोत हैण्डपंप खराब होने से गांव में जल संकट पैदा हो गया है? (ख) उक्त मजरा बस्ती में एक मात्र हैण्डपंप किस वर्ष में लगा था एवं कब-कब इसकी मरम्मत की गई थी? (ग) क्या शासन खराब हैण्डपम्प के स्थान पर अविलंब नवीन हैण्डपम्प खनन करायेगा ताकि पेयजल समस्या का समाधान हो सकें? यदि हाँ तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं, उक्त बस्ती में 03 हैण्डपंप स्थापित हैं, जो क्रमशः वर्ष 1989, 1992 तथा 2009 में स्थापित हुए। सुधार योग्य हैण्डपंपों का सुधार कार्य आवश्यकतानुसार नियमित रूप से किया गया। (ग) उक्त आंशिक पूर्ण मजरे में नलकूप खनन कराया जायेगा। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

प्रदेश के शासकीय सेवकों के साथ मारपीट की घटना

78. **(क्र. 2411) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 16 जून 2013 से 15 जून 2014 तक की अवधि में प्रदेश में शासकीय सेवकों के साथ मारपीट के 1315 प्रकरण एवं हत्या के 07 प्रकरण दर्शाए गए हैं? जैसा कि परि. अता. प्रश्न क्रमांक 638 दिनांक 7 जुलाई 2014 के उत्तर में बताया गया है? (ख) यदि हाँ तो उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में 16 जून 2014 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रदेश के शासकीय सेवकों के साथ मारपीट किये जाने, हत्या किए जाने आदि के कितने-कितने प्रकरण जिलेवार पंजीबद्ध किए गए हैं? (ग) उक्त प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवकों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) आवश्यकतानुसार शासकीय कार्यालयों/सेवकों की सुरक्षा व्यवस्था है। अपराध घटित होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट – "उन्चालीस"

अपराध क्रमांक 50/14 के आरोपियों की गिरफ्तारी

79. **(क्र. 2412) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले के थाना डिरोलीपार के अंतर्गत पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 50/14 किन-किन अपराधियों के विरूद्ध किस-किस धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया? अपराधियों के नाम पता सहित विवरण दें? (ख) क्या यह सच है कि उक्त पंजीबद्ध अपराधियों को लगभग 9 माह बाद भी गिरफ्तार न कर पुलिस द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो दो व्यक्तियों की जघन्य हत्या के आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार न करने का कारण बतायें? (ग) उक्त

आरोपियों के विरूद्ध दतिया जिले के थाना सेवढ़ा, डिरौलीपार व भिण्ड जिले के थाना आलमपुर, असवार, अमायन में कब-कब, किन-किन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किये गये? (घ) उक्त पंजीबद्ध अपराध में किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब जांच के आदेश दिये गये? प्रत्येक जांच कब तक पूरी कर प्रकरण में चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। प्रकरण की विवेचना पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन के द्वारा गठित एस.आई.टी. द्वारा की जा रही है। आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर विधिवत् कार्यवाही की जायेगी। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) पुलिस अधीक्षक, दतिया के आदेश दिनांक 04.06.14 के द्वारा संपादित प्रकरण में कुछ बिन्दुओं पर बारीकी से विवेचना हेतु निर्देश दिये गये है। विवेचना में प्राप्त संपूर्ण साक्ष्य की समीक्षा करने के पश्चात ही प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की जावेगी। समय सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "चालीस"

सिहंस्थ हेतु विभागीय तैयारी

80. **(क्र. 2423) डॉ. मोहन यादव :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिंहस्थ 2016 को लेकर महिला एवं बालविकास विभाग द्वारा जनवरी 2010 के पश्चात कब-कब एवं कहाँ-कहाँ पर बैठको का आयोजन किया गया एवं उक्त बैठको में किन-किन जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, यदि नहीं तो जनप्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किये जाने के क्या कारण रहे? (ख) प्रश्नांश (क) में आयोजित बैठको में क्या-क्या निर्णय लिये गये, जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या-क्या सुझाव दिये गये? उन सुझावों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? निर्णयों की प्रति उपलब्ध कराते हुये विवरण प्रस्तुत करें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) सिहस्थ 2016 को लेकर पृथक से बैठकों का आयोजन किये जाने के संबंध में कोई निर्देश नहीं होने से महिला एवं बाल विकास विभाग जिला उज्जैन द्वारा बैठको का आयोजन नहीं किया गया। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के संदर्भ में शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

उज्जैन में कार्यरत नोटरी अभिभाषक

81. **(क्र. 2425) डॉ. मोहन यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन शहर में कितने नोटरी अभिभाषक एवं शपथ आयुक्त नियुक्त होकर वर्तमान में कार्यरत हैं सूची उपलब्ध करावें? नोटरी नियुक्त करने के क्या-क्या मापदण्ड हैं अवगत करावें? (ख) 01.01.2008 के पश्चात् उज्जैन शहर में कितने नोटरियों को किस-किस आधार पर नियुक्त किया गया? नाम सहित सूची उपलब्ध करावें, क्या यह समस्त नीति अनुसार हैं?

(ग) क्या यह सही है कि उज्जैन में जनसंख्या एवं भौगोलिक क्षेत्रफल एवं न्यायालयीन प्रकरणों की अधिकता के अनुरूप नोटरियों की संख्या काफी कम होने से नोटरी अभिभाषकों द्वारा नागरिकों से नियमों के विपरीत भारी भरकम राशि वसूली जा रही हैं, यदि हाँ तो इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) :(क) 18 नोटरी अभिभाषक एवं 04 शपथ आयुक्त कार्यरत हैं। "**जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। " नोटरी की नियुक्ति नोटरी नियम 1956 के नियम 4,6 एवं 7 के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अनुशंसित अधिवक्ताओं के पैनल से साक्षात्कार बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा की जाती है। (ख) दिनांक 01.01.2008 के पश्चात 4 नोटरियों को नियुक्त किया गया जिनके नाम **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** क्रमांक 15 से 18 लगायत अंकित हैं। जी हाँ। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत अपूर्ण नल-जल पूर्ण की जाना

82. **(क्र. 2455) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में मुख्यमंत्री नल-जल योजना अंतर्गत कितनी योजनाएं स्वीकृत की गयी है? ग्रामवार एवं उनकी लागत की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त स्वीकृत योजनाओं में से कितनी योजनाएं प्रश्न दिनांक तक पूर्ण की गयी है एवं उनका संधारण किस संस्था को सौंपा गया है? संस्था द्वारा योजना में आधिपत्य लेने वाले पत्र की प्रति प्रस्तुत करें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार अपूर्ण योजनाओं को कब तक पूरा किया जावेगा एवं अपूर्ण रहने का कारण बतावें, तथा विलंब से पूर्ण करने वाले ठेकेदारों एवं अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 14 योजनायें। **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार**। (ख) 8 योजनायें। शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" एवं "ब" अनुसार**। (ग) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार**। कोई भी दोषी नही है, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नही होता है।

कतियों/बुनकरो को रोजगार उपलब्ध कराया जाना

83. **(क्र. 2456) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रबंध संचालक खादी ग्रामोद्योग के द्वारा दिनांक 06.06.12 को प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को पत्र लिखकर कतियों एवं बुनकरों को रोजगार देने के लिए भण्डार क्रय नियम की कण्डिका 14-(अ) के अन्तर्गत आदेश देने का आग्रह किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रबंध संचालक खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा पत्र

लिखे जाने के उपरान्त प्रश्न दिनांक तक कितने करोड़ रूपये के गॉज/बैण्डैज प्रदाय करने के आदेश मिले एवं उक्त आदेश से प्रदेश के कितने कतियों एवं बुनकरों को रोजगार मिला? हाथ करघा क्लस्टरों के नाम बताएँ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हॉ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गॉज/बैण्डैज प्रदाय करने में अनियमितता

84. **(क्र. 2457) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खादी ग्रामोंद्योग बोर्ड उज्जैन में एम्पोरियम के द्वारा कितने रूपये का गॉज/बैण्डैज प्रदाय किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उज्जैन स्थित एम्पोरियम द्वारा प्रदेश की किन-किन बुनकर सहकारी समितियों से क्रय किया गया है? उन संस्थाओं के मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लायसेंस की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) यदि क्रय देयक नहीं है, तो उज्जैन स्थित एम्पोरियम द्वारा सिर्फ फर्जी देयक जारी कर स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से करोड़ो रूपये का गबन किया है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उज्जैन जिले में कई वर्षों से पदस्थ लिपिकीय कर्मचारियों का स्थानांतरण

85. **(क्र. 2485) श्री सतीश मालवीय :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्टर, जिला उज्जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं उज्जैन जिले की तहसील कार्यालयों में एक ही लिपिक को तीन, चार, पांच या कई वर्ष अथवा लिपिक की शासकीय सेवा से निवृत्ति तक एक ही शाखा में रखे जाने की प्रशासनिक आधार पर शासन की कोई नीति अथवा नियम शासन अथवा जिले में कलेक्टर स्तर पर प्रचलित है? (ख) कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कार्यालयों में एक ही लिपिक एक ही शाखा में प्रशासनिक आधार पर कार्यालय प्रमुख द्वारा न्यूनतम अथवा अधिकतम रूप से कितने वर्षों तक कार्य करने के लिये पदस्थ कर सकता है? (ग) कलेक्टर कार्यालय उज्जैन तथा जिला उज्जैन के अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) व तहसील कार्यालयों के अधीन कार्यरत लिपिक जो वर्षों से एक ही शाखा में जमे हैं, इन लिपिकों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र शाखाओं या कार्यालयों में पदस्थ करने की कलेक्टर उज्जैन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो उक्त लिपिकों को कार्यरत शाखाओं से कब तक हटाया जावेगा? यदि हटाया नहीं जाता है, तो कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जावे? (घ) कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कार्यालयों में पदस्थ उक्त लिपिकों को उनके अनुभव एवं क्षमता के आधार पर एक ही शाखा में कई वर्षों से पदस्थ किया गया है, तो कार्यालय में अन्य लिपिकों की पदस्थापना का क्या औचित्य है? शासन का स्थापना व्यय बढ़ाने का क्या कारण है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं। अमले की उपलब्धता एवं दक्षता के आधार पर कार्य का दायित्व सौंपा जाता है। जिसके लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार। (ग) विभिन्न शाखाओं में कार्यरत लिपिकों के संबंध में उनके विरूद्ध कार्य अनियमितता/ उपेक्षा/लापरवाही/आचरण/संनिष्ठा/शिकायत संबंधी स्थिति उत्पन्न होने पर एवं सही पाये जाने पर उनकी शाखा परिवर्तन की कार्यवाही की जाती है। (घ) जिला कार्यालय की सभी शाखाओं में कार्य संपादन हेतु लिपिकों की पदस्थापना की जाती है।

ग्रामीण नल जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण

86. **(क्र. 2495) श्री सतीश मालवीय :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम में नल-जल योजना संचालित है, तथा इनकी स्वीकृति एवं निर्माण कब हुआ था? उनका संचालन एवं संधारण कौन करता है? (ख) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्रामों की नल-जल योजनाऐं जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं? उनके जीर्णोद्धार की विभाग के पास क्या योजना है? (ग) ऐसी कितनी योजना एवं पानी की टंकियां है जिनके निर्माण के बाद से आज तक शुभारम्भ नहीं हो पाया है उनके नाम कारण सहित बतावें? (घ) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र की कितनी योजनाऐं स्वीकृति की प्रत्याशा में रूकी हुई है? सूची उपलब्ध करावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**। विभाग द्वारा नलजल योजनाऑ के बन्द स्त्रोतो के पुनर्जीवीकरण का कार्य किया जाता है। नलजल योजनाओं के सुधार की कार्यावाही संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा की जावेगी। (ग) कोई भी योजना नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) कोई भी योजना नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

सीहोर जिले में संचालित मत्स्य विकास गतिविधियां

87. **(क्र. 2569) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीहोर जिले में विभाग क्या-क्या गतिविधियां संचालित कर रहा है? जिले में इस विभाग से संबंधित कितनी सहकारी संस्थाएं पंजीकृत हैं एवं कितनी कार्यरत हैं? इन संस्थाओं के नाम, सदस्यों के नाम एवं पते की सूची दें? (ख) सीहोर जिले में कितने तालाबों/नदियों/घाटों पर मत्स्य पालन एवं संवर्धन किया जा रहा है? चिन्हित ऐसे कितने स्थान हैं जहाँ पर संचालन नहीं हो रहा है? संचालन हो इस हेतु क्या कदम उठाए गए? (ग) क्या प्रोत्साहन हेतु क्या अनुदान या प्रोत्साहन राशि दी जाती है? अगर हाँ, तो पिछ्ले 3 वर्षो में कितनी राशि किन-किन संस्थाओं को कब-कब दी गई? (घ) कितनी समितियां पिछ्ले 3 वर्षो में पंजीकृत हुई? नाम, सदस्य नाम, पता सूची दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) सीहोर जिले में विभाग की निम्न गतिविधियां संचालित है:- 1. मत्स्य पालन प्रसार 2. मत्स्य बीज उत्पादन 3. जलाशय तथा नदियों में मत्स्योद्योग विकास 4. मछुआ सहकारिता 5. कृषक अनुदान 6. शिक्षण प्रशिक्षण 7. बचत सह राहत, जिलें में 67 मछुआ सहकारी समितियां पंजीकृत है जिसमें से 64 समितियां कार्यरत है, संस्थाओं के नाम, सदस्यों के नाम व पते की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) जिलें में 447 सिंचाई एवं ग्रामीण तालाबों में मत्स्य पालन किया जा रहा है तालाबों में संवर्धन का कार्य नही किया जाता है। सीहोर जिले की नदियों/घाटों में मत्स्याखेट कार्य किया जाता है। चिंहित ऐसे स्थान कोई नहीं। (ग) सीहोर जिले में विगत तीन वर्षो में 20 मछुआ सहकारी समितियों को राशि रूपयें 4,54,300/- का अनुदान वितरण किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। (घ) पिछले तीन वर्षो में जिले में 8 मछुआ सहकारी समिति का पंजीयन किया गया नाम, सदस्य का नाम एवं पता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है।

खाद्य प्रसंस्करणों की इकाईयों की स्थापना

88. **(क्र. 2570) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत तीन वर्षों में सीहोर जिले में खाद्य प्रसंस्करण की कितनी इकाईयां स्थापित की गई? विधानसभावार नाम एवं पतेवार सूची उपलब्ध कराएं? (ख) वर्तमान में कितनी इकाई सीहोर जिले में संचालित हो रही हैं? कौन-कौन से खाद्य पदार्थ इन इकाईयों द्वारा बनाए जा रहे हैं? इकाईवार ब्यौरा दें? (ग) क्या इन इकाईयों को विभागवार अनुदान दिया गया? अगर हाँ तो कब-कब कितना-कितना अनुदान किन-किन इकाईयों को दिया गया? विधानसभावार ब्यौरा दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (ग) - जानकारी निम्नानुसार है:-

विधानसभा क्षेत्र	इकाई का नाम एवं पता	निर्मित खाद्य पदार्थ	अनुदान का विवरण
इछावर	मे. तृप्ती नमकीन उद्योग, प्रो. अमरजीत जैन, ग्रामीण कर्मशाला आष्टा, तहसील-आष्टा	कुरकुरे नमकीन एवं फरीमेस फूड्स	उद्योग विभाग द्वारा राशि रू. 25000/- परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति अनुदान दि. 28.09.2012 को दिया गया।
इछावर	मे. तृप्ती नमकीन उद्योग, प्रो. अमरजीत जैन, ग्रामीण कर्मशाला आष्टा, तहसील-आष्टा	नमकीन	निरंक
इछावर	मे.रामा वेफर्स प्रा.लि, प्रो. मोहनलाल तनवानी प्लाट प्रो. अमरजीत जैन, ग्रामीण कर्मशाला आष्टा, तहसील-आष्टा	पोटेटो चीप्स एवं वेपर्स फरीमेस फूड्स	उद्योग विभाग द्वारा राशि रू.2,58,000/- परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति अनुदान दि.28.09.2012 को दिया गया।
इछावर	मे. तृप्ती नमकीन उद्योग, प्रो. अमरजीत जैन, ग्रामीण कर्मशाला आष्टा, तहसील-आष्टा	नमकीन	निरंक

इछावर	मे.रामा वेफर्स प्रा.लि, प्रो. मोहनलाल तनवानी प्लाट नं.4 इण्डस्ट्रीयल एरिया अब्दुल्लापुर, पचामा, तह. सीहोर।	पोटेटो चीप्स एवं वेपर्स	उद्योग विभाग द्वारा राशि रू.2,58,000/- परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति अनुदान दि. 26.03.2014 को तथा ब्याज अनुदान राशि रू.4,08,909/- दि. 03.06.2014 को, रू.2,23,840/- दि.01.09.2012 को एवं रू.2,12,640/- दि.15.11.2014 को दिया गया।
आष्टा	मेसर्स सगुन प्रो.राजेश, बामनिया कला ग्राम धनखेडी, तहसील-सीहोर।	अचार-मुरब्बा	निरंक

<u>कालापीपल तहसील मुख्यालय पर सिविल न्यायालय की स्थापना</u>

89. **(क्र. 2581) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शाजापुर जिले में किन-किन स्थानों पर सिविल न्यायालय स्थापित है? (ख) क्या शाजापुर जिले के किसी अन्य स्थान पर सिविल न्यायालय की स्थापना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ? (ग) क्या कालापीपल में सिविल न्यायालय नहीं होने से आसपास के ग्रामीण जनता को न्याय हेतु 40-50 कि.मी. दूर सिविल न्यायालय शुजालपुर जाना पड़ता है? दूरी के कारण ग्रामीण जनता के समय एवं धन की बर्बादी नहीं हो रही है? (घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर सही है तो अभी तक कालापीपल को सिविल न्यायालय से वंचित क्यों रखा गया है? क्या ग्रामीण जनता को समय पर न्याय मिले इस हेतु कालापीपल मुख्यालय पर सिविल न्यायालय कब तक स्थापित किया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>पशु चिकित्सा भवनों की स्थिति</u>

90. **(क्र. 2582) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कालापीपल एवं शुजालपुर विकासखण्ड के अन्तर्गत कहाँ-कहाँ पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कितने चिकित्सालयों में से किन-किन में पशु चिकित्सक, सहायक पशु चिकित्सक पदस्थ है? (ग) क्या पशु चिकित्सालय, पशु औषधालयों एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र शासकीय भवनों में संचालित है? यदि नहीं तो किस भवन में संचालित है? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित भवन विहिन औषधालयों के भवन निर्माण कब तक कराये जावेंगे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** हैं। (ख)**जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है। (घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत अधोसंरचना विकास योजनांतर्गत विभागीय मापदण्डानुसार एवं बजट उपलब्धता अनुसार प्रदेश के विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण का कार्य किया जाता है, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट – "बयालीस"</u>

<u>गौशालाओं को राशि आवंटन</u>

91. **(क्र. 2596) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कौन-कौन सी गौशालायें संचालित की जा रही है? (ख) वित्तीय वर्ष 2012-2013, 2013-2014 और 2014-2015 में गौशालाओं के रखरखाव, पशु

आहार, औषिधियों, एवं अन्य मदों में शासन द्वारा कितनी राशि आवंटित की गयी, मदवार ब्यौरा दें? (ग) क्या शासन आय के परिप्रेक्ष्य में गौशाओं को स्वावलंबी बनाने की कोई योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 1. श्री लक्ष्मी गौशाला, कुक्षी 2. श्री कामधेनू गौशाला, निम्बोल, 3. श्री कनक बिहारी गौशाला निसरपुर, गौशालाएं संचालित है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है। (ग) जी नहीं। गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु गौशालाओं को कार्यशालाओं के माध्यम से गौ मूत्र औषधि, जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य गतिविधियॉं संचालित करने हेतु मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे वह स्वावलंबी बन सके।

<u>परिशिष्ट - "तैंतालीस"</u>

<u>गौ सेवा योजनांतर्गत प्रशिक्षण</u>

92. **(क्र. 2608) श्री लखन पटेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले में विकास खण्ड पथरिया एवं बटियागढ़ में क्या पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है? (ख) स्टापिंग पैटर्न अनुसार अधिकारी/कर्मचारियों की पदस्थापना है? नहीं है, तो कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? (ग) गौ - सेवक योजनांतर्गत विकास खण्ड दमोह, पथरिया एवं बटियागढ़ के ग्रामीण अंचल व्यवहारिक प्रशिक्षण कितने बेरोजगार युवकों को दिया गया है? (घ) प्रत्येक ग्राम में कितने बेरोजगार युवकों का प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हॉं। (ख) जी नही। विभाग द्वारा समय-समय पर नियमानुसार रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियॉं की जाती है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) जिले के दमोहविकासखण्ड से 89, पथरिया विकासखण्ड से 62, एवं बटियागढ विकासखण्ड से 59 गौसेवकों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। (घ) गौसेवक योजनांतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक बेरोजगार युवक को प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है।

<u>हैण्ड पंपों में उपयोगार्थ सामान क्रय</u>

93. **(क्र. 2617) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नवीन हैण्ड पंप खनन एवं पुराने हैण्ड पंपों की मरम्मत में उपयोगार्थ सामग्री क्रय हेतु शासन के क्या - क्या मापदण्ड निर्धारित हैं? प्रति उपलब्ध करावें? (ख) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड मुरैना को वर्ष 2012-13 से जनवरी 2015 तक कितना-कितना सामान क्रय किया गया? की जानकारी नाम फर्म/सामग्री विवरण दिया जावे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) नवीन हैण्ड पम्प खनन एवं पुराने हैण्ड पम्पों की मरम्मत में उपयोगार्थ सामग्री म.प्र.वित्तीय संहिता मे वर्णित भण्डार क्रय नियमावली के नियम-14 के अनुसार विभाग द्वारा म.प्र. लघु उद्योग के माध्यम से क्रय की जाती है। प्रति

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-2 एवं प्रपत्र-3 अनुसार।

ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम

94. **(क्र. 2618) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) समूह नल जल प्रदाय योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु शासन की क्या-क्या नीति, मापदण्ड निर्धारित है? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित योजना हेतु मुरैना जिले को कितनी राशि दी जाकर उसमें से विधानसभा क्षेत्र दिमनी जिला मुरैना को कितनी राशि दी गई, व कहाँ-कहाँ उपरोक्त योजना एवं कार्यक्रम से संबंधित कार्य कराये गये की जानकारी दी जावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "अ" अनुसार।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "ब" एवं "स" अनुसार।** विधानसभा क्षेत्र वार राशी की आवंटन नहीं दिया जाता है।

आंगनवाडियों का संचालन

95. **(क्र. 2638) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है, नाम, स्थान नाम सहित बतावें? (ख) विगत 3 वर्षों में प्रश्नांश (क) अनुसार कितना खाद्यान्न खिलौने एवं अन्य सामग्री प्रदत्त की गई, वर्षवार विवरण देवें? (ग) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता के कितने पद रिक्त है, इन्हें कब तक पूर्ण किया जावेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में 311 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"1" अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"2" अनुसार** है। (ग) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 8 तथा आंगनवाड़ी सहायिका के 17 पद रिक्त है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 की आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी।

महिदपुर वि.स. क्षेत्र में लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण

96. **(क्र. 2639) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में नामांतरण, फौती नामांतरण, बंटवारे के कितने प्रकरण विगत 6 माह से अधिक समय से लंबित हैं? कारण सहित बतावें? (ख) उपरोक्त विषय में प्रकरणों के निराकरण की क्या समयावधि निर्धारित है? (ग) निर्धारित समय सीमा से अधिक के जो प्रकरण लंबित है उनका निराकरण कब तक होगा? (घ) निर्धारित समय में प्रकरणों का निराकरण न करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) नामांतरण के कुल 33 प्रकरण जिसमें से 25 फौती नामांतरण के विवादित प्रकरण बंटवारे के 49 प्रकरण 6 माह से अधिक समय से लंबित हैं।

उक्त प्रकरणों में स्वत्व का प्रश्न निहित होने एवं न्यायालयीन प्रक्रिया में विचाराधीन होने से लंबित हैं। (ख) सिटीजन चार्टर के अनुसार विवादित नामांतरण के लिए समय-सीमा 4 माह विवादित बंटवारा जिसमें स्वत्व का प्रश्न निहित हो के लिए 7 माह की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अविवादित नामांतरण/बंटवारा के निराकरण की समय सीमा म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में 30 एवं 90 कार्य दिवस निर्धारित हैं। (ग) विवादित प्रकरणों का निराकरण न्यायालयीन प्रक्रिय के पूर्ण होने पर निर्भर है। इनके निराकरण की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>ताप्ती नदी बैतूल पर समूह नल जल योजना का सर्वे</u>

97. **(क्र. 2640) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधान सभा क्षेत्र बैतूल के अंतर्गत ताप्ती नदी पर समूह नलजल योजना का सर्वे कराया गया है? (ख) यदि हाँ तो योजना के लिए आवंटन कब तक उपलब्ध कराया जाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा? (ग) योजना से कौन-कौन से ग्राम के कितने परिवार लाभांवित होंगे, ग्रामों एवं परिवार संख्या की जानकारी दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) धनोरा समूह योजना का कार्य प्रगति पर है। कार्य की प्रगति अनुसार आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है। (ग) **जानकारी संलग्न**
परिशिष्ट के अनुसार।

<u>परिशिष्ट - "चौवालीस"</u>

<u>बैतूल जिले में अनुदान राशि का वितरण</u>

98. **(क्र. 2641) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उद्यानिकी विभाग द्वारा बैतूल जिले को वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक वर्षवार कितना-कितना आवंटन किन-किन मदों (मद का स्पष्ट विवरण) में किया गया, तथा कितना-कितना व्यय किया गया? वर्षवार आवंटन एवं व्यय की जानकारी देवें? (ख) क्या उद्यानिकी विभाग द्वारा हितग्राहियों को अनुदान का वितरण भी किया जाता है? यदि हाँ, तो उपरोक्त वर्षो में बैतूल जिले के कितने व्यक्ति को कितना-कितना अनुदान दिया गया? (ग) क्या स्वीकृत अनुदान हितग्राहियों को दिया जाना शेष है? यदि हाँ तो अभी तक अनुदान नही दिए जाने के क्या कारण है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'क' अनुसार** है। (ख) जी हाँ, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'ख' अनुसार** है। (ग) 292 कृषकों को राशि रू.

4,39,817 /- का अनुदान दिया जाना शेष है। अनुदान का भुगतान इसी माह में करने के निर्देश दे दिए गये है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

ट्रेविस योजनांतर्गत पंचायतों को राशि का प्रदाय

99. **(क्र. 2662) श्री विजय सिंह सोलंकी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पशु चिकित्सा विभाग जिला खरगोन द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में ट्रेविस योजनांतर्गत किन-किन पंचायतों को राशि प्रदान की गई? यह राशि पंचायतों को कब दी गई? (ख) प्रदान की गई राशि का उपयोग कर ट्रेविस कार्य कितनी पंचायतों ने पूर्ण करा लिया है? किन पंचायतों में यह कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है? (ग) कार्य न करवाने वाली पंचायतों को कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु क्या प्रयास किए गये? प्रयासों की जानकारी देवें? इस योजना को पूर्ण कराने की समयावधि क्या है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। (ख) **जानकरी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब''/''स'' अनुसार** है। (ग) कार्य न करवाने वाली पंचायतो के लिये जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से कार्य पूर्ण कराने के सतत प्रयास किये जा रहे है। योजना पूर्ण करने हेतु समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

नई ऋण पुस्तिका का वितरण

100. **(क्र. 2665) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत विकासखण्ड पुष्पराजगढ़ में दिनांक 31 जनवरी 2015 की स्थिति में नई ऋण पुस्तिका तैयार कर कितने किसानों को प्रदान कर दी गई है? कितने प्रकरण कहाँ-कहाँ, कब से लंबित है और क्यों? ग्रामवार सूची उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) प्रकरणों के निराकरण हेतु क्या शासन द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण न करने के लिए कौन दोषी है? विभाग इनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) तहसील पुष्पराजगढ़ अन्तर्गत 31 जनवरी 2015 की स्थिति में 54750 किसानों को नई ऋण पुस्तिकाएं तैयार कर प्रदान कर दी गई है। शेष 1550 ऋण पुस्तिकाएं वितरण से लंबित हैं, उक्त ऋण पुस्तिकाएं ऐसे कृषकों की है जिनके द्वारा बैंकों से कर्ज आदि प्राप्त किये हैं तथा जमानत भी ली गयी हैं। (ख) जी हाँ। ऋण पुस्तिका प्रथम बार प्राप्त करने हेतु 15 दिवस एवं द्वितीय बार प्राप्त करने हेतु 45 दिवस निर्धारित की गई हैं। आवेदन का निराकरण समय-सीमा में कर दिया जाता है।

विद्युत परियोजना लगाने हेतु कृषकों की अधिग्रहित की गई भूमि

101. **(क्र. 2666) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-2012 से प्रश्न दिनांक तक अनूपपुर जिले में विद्युत परियोजना लगाने हेतु

मोजर वियर, न्यू जोन इंडिया एवं वेलस्पन कंपनी की कितनी-कितनी भूमि कौन-कौन से ग्राम में किन-किन कृषकों की अधिग्रहित की गई उनमें से कितनी भूमि शासकीय है, कितनी राजस्व विभाग एवं वन विभाग की है, कितनी भूमि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्गों की है? (ख) क्या यह सही है कि राज्य की पुनर्वास नीति के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों से अधिग्रहित भूमि के बदले भूमि अन्यत्र खरीद कर दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ तो इन वर्गों के व्यक्तियों की भूमि के बदले किन-किन किसानों को कितनी भूमि दी गई? (ग) अनुसूचित जाति, जनजाति के ऐसे किसानों की भूमि अधिग्रहित करके उसके एवज में भूमि उपलब्ध न कराने के लिये पुनर्वास नीति का पालन न करने के लिये दोषी कौन है? क्या शासन दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करके पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार भूमि उपलब्ध करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>मुख्यमंत्री समाधान आनलाईन में दर्ज शिकायत</u>

102. **(क्र. 2679) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि मुख्यमंत्री समाधान आनलाईन में दर्ज शिकायत pg/272520/2014/94 दिनांक 05/05/14 को आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रमुख सचिव गृह विभाग को अग्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) यदि आवेदन में दर्ज शिकायत के बिंदुओं पर कार्यवाही नहीं की गई तो उसके लिये कौन उत्तरदायी है, उसका नाम बतावें? (ग) क्या विभाग दर्ज शिकायत पर उचित कार्यवाही कर दोषियों से किये गये भ्रष्टाचार की राशि की वसूली कब तक कर ली जायेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। शिकायत की जाँच प्रक्रियाधीन है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जाँच निष्कर्ष में आये तथ्यों पर विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

<u>पाटन विधान सभा अन्तर्गत बंद नल-जल योजनायें</u>

103. **(क्र. 2693) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पाटन विधानसभा अन्तर्गत कहाँ-कहाँ की कौन-कौन सी नल-जल योजनाऍं एवं हैण्डपंप किन-किन कारणो से कब से बंद है? सूची देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित बंद नल-जल योजनाओं एवं हैण्डपंपों हेतु कौन जिम्मेदार हैं? एवं इन्हें कब तक कितनी लागत से पुन: प्रारंभ कर दिया जावेगा? तथा कौन-कौन से वार्ड, ग्रामों को ग्रीष्म ॠतु में पेयजल संकट हेतु चयनित किया गया हैं एवं इसे दूर करने हेतु विभाग ने क्या कार्य योजना तैयार की है? (ग) पाटन विधानसभा अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यालय कहाँ-कहाँ पर स्थापित है एवं इन कार्यालयों में कौन-कौन से अधिकारी, कर्मचारी पदस्थ है? कार्य क्षेत्रवार सूची देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित कार्यालयों को वित्त वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक

नल-जल योजनाओं एवं हैण्डपंपों के निर्माण/संधारण/ सुधार कार्य हेतु किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि एवं सामग्री प्राप्त हुई? कितनी-कितनी, कहाँ-कहाँ, कब-कब व्यय हुई? सूची देवें? प्रश्न दिनांक पर किस-किस कार्यालय में कितनी-कितनी राशि एवं सामग्री शेष है? कार्यालयवार सूची देवें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' एवं '2' अनुसार।** (ख) नल-जल योजनाओं एवं हैण्डपंपो के संधारण एवं संचालन का दायित्व क्रमशः संबंधित ग्राम पंचायतों एवं विभाग का है। बंद सभी हैण्डपंप असुधार योग्य हैं। अतः इस हेतु कोई भी जबाबदार नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' व '2' अनुसार।** ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट संभावित नहीं होने से किसी भी ग्राम का चयन नहीं किया गया न ही कोई कार्य योजना तैयार की गई। (ग) कोई भी कार्यालय स्थापित नहीं। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता। (घ) उत्तरांश-''ग'' के संदर्भ में जानकारी शून्य।

आदिवासियों की भूमि विक्रय की अनुमति

104. **(क्र. 2694) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग अंतर्गत विभिन्न जिलों में वित्त वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक कितने आदिवासियों ने भूमि के विक्रय हेतु अनुमति मांगी थी? (ख) प्रश्नांक (क) में वर्णित अनुमति प्रकरणों में कितने आदिवासी कृषकों की भूमि विक्रय करने की अनुमति कब-कब और क्यों प्रदान की गई? कितने प्रकरण कब से अनुमति हेतु लंबित है? (ग) क्या कारण है कि उद्योगों को आदिवासी वर्ग की भूमि विक्रय की अनुमति तो शीघ्र प्रदाय की गई पर अन्य प्रकरणों में अनुमति प्रदाय नहीं की जा रही है? (घ) क्या इसकी शासन/विभाग द्वारा जांच करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

खाता विभाजन के समय सहखातेदारों का नाम काटा जाना

105. **(क्र. 2702) पं. रमेश दुबे :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के तहत भूमियों का खाता विभाजन के दौरान क्या किसी महिला सहखातेदार का नाम सह भूमिस्वामित्व की भूमि से राजस्व अभिलेखों से पृथक करने का प्रावधान है? क्या राजस्व अभिलेखों से महिला सहखातेदारों का नाम पृथक करना उनके हितों पर कुठाराघात नहीं है? (ख) बालाघाट जिले के तहसील किरनापुर, कटंगी एवं बिरसा में अगस्त 2012 से अक्टूबर 2014 के मध्य श्री आशाराम मेश्राम तहसीलदार के पदस्थ रहने के दौरान उनके द्वारा कुल कितने खाता विभाजन के प्रकरणों के निराकरण के समय महिला सहखातेदारों के नाम उनके सह भूमिस्वामित्व की भूमियों पर से राजस्व अभिलेखों में से पृथक किये गये हैं? प्रकरणवार, मौजावार, खसरा नं. रकबा सहित राजस्व

अभिलेखों से पृथक किये गये नामों की जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में भू-राजस्व संहिता में प्रावधान नहीं होने के पश्चात भी उक्त अवधि में खाता विभाजन के प्रकरणों के निराकरण तथा संशोधन पंजी में सीधे खाता विभाजन के प्रकरणों के निराकरण के दौरान महिला सहखातेदारों का नाम राजस्व अभिलेखों से पृथक किये जाने के लिये क्या शासन श्री आशाराम मेश्राम तहसीलदार को दोषी मानता है? यदि हाँ, तो क्या शासन उनके विरूद्ध कार्यवाही के आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में महिला सहखातेदारों का नाम पृथक किये जाने से शासन को कितनी धनराशि की बतौर स्टाम्प शुल्क हानि हुई है? क्या शासन यह धनराशि संबंधित तहसीलदार से वसूल कर शासकीय खजाने में जमा कराने का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधान सभा चौरई में कराए गए कार्यों की जानकारी

106. **(क्र. 2703) पं. रमेश दुबे :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छिन्दवाड़ा को वित्तीय वर्ष 2012-13 से जनवरी 2015 तक किन-किन कार्यों हेतु किन-किन मद में कुल कितनी धनराशि कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई? प्राप्त धनराशि से कौन-कौन से कार्य कहाँ-कहाँ पर कराये गये? कार्य एजेंसी कौन-कौन थी? विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) प्राप्त धनराशि में से विभाग के द्वारा अप्रैल 2012-13 से जनवरी 2015 के मध्य विधानसभा क्षेत्र चौरई में कितनी-कितनी धनराशि से कौन-कौन से कार्य कहाँ-कहाँ पर कराये गये हैं, कार्य का नाम, कार्य प्रारंभ होने की तिथि, कार्यपूर्णता की तिथि, यदि प्रगतिरत है तो वर्तमान अपडेट स्टेटस की जानकारी, लागत राशि, कार्य एजेंसी का नाम एवं पूर्ण पता सहित किन अधिकारियों/कर्मचारियों के पर्यवेक्षण में कार्य हुआ कार्यवार जानकारी दें? (ग) क्या उक्त कार्यों में से कोई कार्य विभाग के द्वारा स्वयं कराया गया है, यदि हाँ तो करायें गये कार्य की कितनी-कितनी राशि किस-किस को भुगतान किया गया है? क्या किसी ऐसे व्यक्ति को भी किसी कार्य के लिए भुगतान किया गया है जिसके परिवार का कोई सदस्य छिन्दवाड़ा जिले में ही तकनीकी पद पर विभाग में पदस्थ हैं? (घ) क्या कोई तकनीकी अधिकारी कर्मचारी के किसी परिवार के किसी सदस्य के द्वारा उस जिले अथवा तहसील में जहाँ पर वह अधिकारी कर्मचारी पदस्थ है, उनके पदस्थापना के दौरान ठेके पर किये गये किसी कार्य को नियमानुकूल मानता है? क्या उसके द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्तायुक्त व पारदर्शितापूर्ण होगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" एवं "2" अनुसार।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"3" अनुसार।** (ग) जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"4" अनुसार।** जी नहीं। (घ) जी नहीं।

शिविर/समारोह से लाभांवित हितग्राहियों के संबंध में

107. **(क्र. 2712) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किन-किन योजनाओं के तहत कब-कब, कहाँ-कहाँ, किस-किस प्रयोजन हेतु शिविर/समारोह का आयोजन किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में आयोजित शिविर/समारोह में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस-किस प्रयोजन हेतु किन-किन को किया गया, तथा किन-किन अधिकारियों द्वारा इनका भौतिक सत्यापन किया गया? (ग) उपरोक्तानुसार आयोजित शिविर/समारोह से कितने हितग्रातहियों को क्या लाभ प्राप्त हुआ? (घ) क्या उक्त अवधि में आयोजित शिविर/समारोह के नाम पर अधिकारियों द्वारा केवल खानापूर्ति की गई, जिससे महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ संबंधितों को नहीं मिल सका? इस कारण क्षेत्र में संचालित आंगनवाड़ियों में दर्ज बच्चों की संख्या में से अधिकांश बच्चें कुपोषण के शिकार है, आंगनवाड़ियां प्रतिदिन समय पर लगती नहीं हैं? विभागीय सामग्री केंद्र के स्थान पर न होकर कार्यकर्ताओं के घरों पर पाई जाती है? इस प्रकार संसाधनों का दुरूपयोग करने वालों के विरूद्ध सघन जांच करते हुये दोषी पाये जाने पर क्या कोई कार्यवाही की जावेगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** पर है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** पर है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** पर है। (घ) जी नहीं, जी नहीं। आंगनवाड़ी केन्द्र निर्देशानुसार निर्धारित समय पर लगाए जाते हैं। विभागीय सामग्री केन्द्र के स्थान पर कार्यकर्ताओं के घरों में पाए जाने तथा संसाधनों का दुरूपयोग करने वाले के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

परिशिष्ट – "सैंतालीस"

टप्पा सुठालिया को तहसील का दर्जा प्रदान किया जाना

108. **(क्र. 2713) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत टप्पा सुठालिया स्टेट हाईवें क्रमांक 14 पर स्थित होकर विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा की लगभग आधी आबादी निवास करती है एवं ब्यावरा नगर से 26 कि.मी. की दूरी पर स्थित है एवं आसपास 30-35 कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है एवं विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा का दो तिहाई भाग सुठालिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तथा राजस्व कार्यों के समाधान हेतु लगभग 60-70 ग्रामों के ग्रामीणों को सुठालिया टप्पा आना पड़ता है? (ख) यदि हाँ तो क्या सुठालिया टप्पा कार्यालय में नायब तहसीलदार न्यायालय के साथ विभिन्न प्रकरणों में पैरवी हेतु अभिभाषकों की आवश्यकता लगती है लेकिन तहसील, अनुविभाग राजस्व कार्यालय, तथा जिला अपर सत्र न्यायाधीश सहित अधीनस्थ सभी न्यायालय ब्यावरा में होने से अभिभाषक टप्पा कार्यालयों पर उपस्थित नहीं हो पाते है? जिससे पीडि़त पक्षों को मदद नहीं मिल पाती है? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन क्षेत्र की जनता की पुरजोर मांग को दृष्टिगत रखते हुये टप्पा सुठालिया को यथाशीघ्र तहसील का दर्जा प्रदान करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। तहसील, अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) कार्यालय तथा जिला अपर सत्र न्यायाधीश सहित अधीनस्थ सभी न्यायालय ब्यावरा में स्थित हैं। जहाँ तक अभिभाषकों का प्रश्न है। टप्पा कार्यालय में पेशी एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्य हेतु अभिभाषक पक्षकारों के सम्पर्क पर ही उपस्थित होते हैं। पीडित पक्षों को मदद नहीं मिलती है, यह कहना सत्य नहीं है। (ग) उचित माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।